

ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL
REFEREED/PEER REVIEWED JOURNAL

Website : www.ijosss.com

Volume 27, August 2019

flash

Editor in Chief
Dr. Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)

www.ijosss.com

Volume 27, August 2019

**Editor in Chief
Dr. Rishikesh Singh**

**Published by
Flash Publication
Gonda / Varanasi**

**For
INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES**

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

Volume 27, August 2019

Biannual

International Standard Serial Number: 0974-7265

Website – www.ijosss.com

Prints -1000 Copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: Dr. Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

DTP By : Gopi Nath, Mob. 9005856561.

Published By : Flash Publication
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,
Baharaich Road, Gonda-271003
Uttar Pradesh, India
Mob.: 09415458974

Editorial


I feel a deep sense of pleasure in presenting the 27th volume of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.



(Dr. Rishikesh Singh)

Date: August 28, 2019.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
1.	Love and Sex Jealousy in Shakespeare's Play "Hamlet"	Dr Lal Bahadur Ray	01 - 04
2.	The Lower caste struggle for Their Identity During British Rule In India	Dr. Babban Ram	05 - 08
3.	Agriculture Insurance Challenges and Way Forward	Dr Shreepakash Choubey	09 -12
4.	Charles Dickens : The Singer of Underdog	Ved Prakash Dwivedi	13-15
5.	एनी बेसेंट के सामाजिक दृष्टिकोण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० ब्रिजेश कुमार	16-19
6.	रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' के काव्यों में प्रगतिवादी चेतना	अनीता सिंह	20-24
7.	भारत में आतंकवाद : इण्डियन मुजाहिदीन के विशेष परिप्रेक्ष्य में	डॉ० अनुराग तिवारी	25-27
8.	भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति : संभावनायें व सुझाव	डॉ० इन्द्र कुमार चतुर्वेदी	28-32
9.	प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति अध्ययन	डॉ० रणभद्र सिंह	33-37
10.	भूमि उपयोग प्रतिरूप : शाहाबाद (बिहार) के संदर्भ में	डॉ० उमेश कुमार सिंह	38-40
11.	आतंकवाद—एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन	डॉ० ममता शुक्ल	41-49
12.	साहित्य और नारी	अनिता मौर्य	50-52
13.	नालंदा विश्वविद्यालय : एक समीक्षा	डॉ० राजीव कुमार	53-56
14.	ग्रामीण विकास का आधार: कृषि उद्योग	डॉ० जय शंकर सिंह	57-61
		एवं डॉ० लीलावती कुमारी	
15.	प्रादेशिक विकास में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान	डॉ० लीलावती कुमारी	62-67
16.	पर्यावरण प्रदूषण एवं आविषी रसायन के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ	एवं डॉ० जय शंकर सिंह	
		डॉ० दिलीप शुक्ल	68-73
17.	तुलसी साहित्य और हनुमान	डॉ० पदमा सिंह	74-80
18.	पर्यावरण संरक्षण एवं कानून	अमित कुमार सिंह	81-83
19.	भारत विभाजन की वास्तविकता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ० ऋषिकेश सिंह	84-89

LOVE AND SEX JEALOUSY IN SHAKESPEARES PLAY “HAMLET”

Dr Lal Bahadur Ray*

William Shakespeare has written many plays in which love and sex-jealousy play an important role. The play “Hamlet” is also not an exception. We see that sex-jealousy works in Hamlet, prince of Denmark Hamlet is killed by his own brother Claudius because he wants to gain over Gertrude. The ghost of Hamlet appears before prince Hamlet and directs him to take revenge upon his uncle, though he should not touch his mother who will be punished by him. With the opening scene of Hamlet, we enter into a world of chaotic confusion. The members of the opposite sexes would, naturally, be suspicious of one another with the result that the development of the spiritual side of the sex would be hampered and sex would be urgent only on the plane of its physical base. Feminine beauty would be in a greater demand:honesty taken for granted be delegated to a secondary place.

Is it the “Hamlet” of Shakespeare, who gives reason the place of divinity in many of the answer is no. whatever causes may be assigned-situational, biological cultural, social or climatic, all playing together on the woman herd in Denmark. Women here are definitely, the degraded specimen the sex in general. The delineation of the characters of Gertrude, the queen

***Department of English V.K.S.U, Ara**

and Ophelia, the chief Minister's daughter, is enough to show as Shakespeare intended that if two women of first rank and at different stages of life are pitifully weak in the matter of sex. The result is a highly artificial society in which nothing is predictable Claudius is easily has closely watched the king and the queen in their marriage relationship. There is bound to be something essentially unhealthy and superficial in the love of queen Gertrude for he easily credulous husband. It may be argued that Hamlet's reminiscences of his mother's love acting's must logically date from her liaison with Claudius therefore, was correct in his diagnosis of the diseased love of queen Gertrude. It is fact that king Hamlet was engaged in long wars which he personally conducted against Fortinbras of Norway and the Pollack, gave him the idea, the queen would be an easy prey to his adulterous design.

The fact was that the queen was very young, certainly within her teens in accordance with the ancient practice of easily marriages. All this created for Claudius, a unique opportunity. He takes into confidence the courtiers and especially that wise fool, Polonius. Further, he must either depend on the queen to marry him after the natural or unnatural death of the king, his brother or must he solely looks to the voice of the people for support . If only he could make the queen agree that in the event of her husband's death, she would marry him and it would be much easier to capture the throne.

We take an insignificant incident from the married life of the royal couple to drive home our point that the rift between their marital relationship had gradually widened. Since even after his marriage, he had maintained his habit of taking his afternoon rest in his orchard by himself. His wife had been excluded.

“O Hamlet what afalling- off was there;
From me, whose love was of that dignity?
that it went hand in hand even with the vow
I made to her in marriage; and to decline
Upon a wretch whose natured gifts were poor
To those of mine.”

Claudius, on the other hand, gave her what she failed to receive her husband and which she definitely deserved. She is modest and moderate in the expression of her views and opinions. When she has her own convictions, she expresses them with courage. She disagrees with the chief Minister on his diagnosis of Hamlet's madness.

Shakespeare has stated here a psychological truth. The power of imagination in woman is comparatively weaker than in man, Gertrude, Ophelia, Brutus, Portia among women and Romeo. Othello, Euro barb us among men are such cases, and meet the same fate. Hamlet had come to the correct generalization as to the women devoid of necessary balancing reason: “Frailty thy name is woman” Men and woman in Denmark are given to artificiality and insincerity. Therefore, he decided that he should act mad. The idea of madness had already been suggested to him by Horatio.

In “Othello”, Shakespeare has worked out more clearly and at length how a suspicion takes a dangerous root in man’s soul. In “Hamlet”, the only person who can set one’s misgivings arising out of one’s mother’s sexual slip is being an interested party eventually become dead to the life of action. Having taken on action so far, it seems to him clearly that he does bear it. Claudine, immorality questions Hamlet’s integrity, his very identity there is no way out of these catacombs of sexual suspicion. The safely way is not to reedit the Ghost.

Hamlet’s mother alone in some remarkable way can initiate Hamlet’s action of revenge. She alone may release the revenge action. She is a woman, in whom the physical sex is very urgent and as a result she cannot miss its implications when indulging in extra-marital relationships. She must know that once adultery is suspected or established she will be nowhere. She possesses the usual bag of feminine tricks. Hamlet offers no valid arguments in the case of his mother. It shows his lack of his knowledge of the science of sexology which teaches that in men and women from about forty onwards to sixty, depending on the general health of the individual sex-instinct. It is almost as urgent in demanding satisfaction as it is in the young folk between the ages of fourteen and twenty one or twelve and twenty four years. She must be in the blooming health being at an age of around thirty-eight.

Gertrude does not appear to have been burdened with the usual family toil of bearing a large number of children. Hamlet was her eldest and only child. Another factor of maleattraction is the sex-health and the virility, which is full of urgent sexual appeal for the women. Hamlet was not a good male. He was too much taken up with wars to study the sex happiness of his wife. He must take his share in the fall of Gertrude. It is clear from her conviction that she would not side with her son against her lover-husband. On Hamlet’s in action Dr. E Jones remarks!

“-----if Hamlet does not explain his delay, it is because he cannot. And if Shakespeare does not explain it, it is because Shakespeare cannot either. The real reason lay beneath the consciousness of the dramatist himself” F.L Lucas gives the reasons in the same

context-----he cannot kill his uncle, firstly, because his uncle, in killing his Father has only done exactly what Hamlet, at bottom, longed to do himself, secondly, because Claudius has now become a father substitute and the moral prohibition against patricides reasserts itself.

T.S Eliot reminds us that Hamlet is an artistic failure.

WORKS CITED

- (1) Hamlet, I, 5,47-52
- (2) Dr. E Jones Essays in Applied psycho- Analysis, London, 1949 P-79
- (3) F.L Lucas literature and psychology, London, 1951, P-36



THE LOWER CASTE STRUGGLE FOR THEIR IDENTITY DURING BRITISH RULE IN MODERN INDIA

Dr. Babban Ram*

There are certain things which cannot be mended but only ended said by Ramaswamy Naicker in the terms of Brahmanical Hinduism is one such. One is not a Brahmin by birth, nor by birth a non-brahmin. By action is one a Brahmin, by action is one a non-brahmin. In general sense of the terms, it is widely stated that an identity is what “I am” or “we are”, “he is” or “they are”. The “I” and “we” similarly “he” and “they” is neither independent/ autonomous social product not remain fixed forever. One’s identity is constructed through the processes of interaction, and daily engagement both with the local and global society. These processes of construction get widely influenced by the social and cultural institutional arrangements of the society like the caste, religion and ethnicity, class, political party, state and the like. Thus the process of identity construction get negotiated both with the localized conditionalities, historical experiences and inter connections with the wider society. It is a complex and dynamic process through which individual collective self gets constructed, reformed and rejuvenated. Hence the summation of identity represents the collective self. Generally speaking human beings are born in society and societal conditions widely shape the identity. Hence the concept of collective identity has also become an obstacle to explore the forms of mobilizations increasingly taking place in the networks, scapes and flows. The fluid like characteristics of emerging society with increasing

***Ex-Research Scholar, PG Department of History, VKSU, Ara**

unequal flows of people, information, money, images risks, practices and emotions with no clearing beginning or the end points. Within these emerging complexities social systems increasingly manifest fluid-like characteristics and become increasingly subject to shockwaves fluidarity rather than solidarity, public experience of self rather than collective identity are the emerging paradigm of contemporary social movements. Indian religious reformers mostly attracted their followers from the lower castes. In contrast to this the socio-religious reform movements of the 19th century and untouchability.

A number of circumstances in the 19th and 20th centuries created class consciousness among the lower castes who took upon themselves to struggle for caste equality. Their efforts resulted in the organization of various lower caste movements in South India, Western India and across India. In South India lower caste movements were a direct revolt against the Brahmanical in the Madras Presidency. It is interesting to note that in 1916 a spokesman of the lower castes pointed out that out of the 15 members of the All India Congress Committee from Madras Presidency only one was a non-Brahmin. Some of the lower caste leaders propagated that the Dravidians were the original inhabitants of India while the Aryans were the immigrants into India and they had brought the evil institution of the caste system with them. In India lower caste people started founding and organized the first Non-Brahminical organization called South Indian Liberal Federation, which later came to be popularly known as the Justice Party. In 1937, Ramaswamy Naicker was elected the President of the Justice Party. Naicker was a crusader for social equality and fought against the evil of untouchability. He denounced Hinduism as an instrument of Brahmanical control the laws of Manu as in human, the Puranas as fairy tales. Naicker condemned religion as superstition and opposed imposition of Hindi on the Dravidians. Quick-tempered as he was ,Naiker tarred caste name-board on hotels, cutting off the holy thread of Brahmins, beating of deities with chappals and breaking of idols. His followers called him a Thanthai (father) and Periyar (Great Soul). Annadurai and the D.M.K. Naicker's follower and friend C.N. Annadurai carried further the Dravadian movement. Anna came from a weaver community of Kancheepuram. In 1944, the Justice Party was renamed DravideKazhagam (Dravadian Federation) by Annadurai who became president and fought against untouchability and formation of new Tamil state. He was not against of unity of India. In 1962 Anna was elected to the Rajya Sabha and further he became Chief Minister of Tamilnadu. Narayan Guru and the SNDP, Narayan and his associates launched a two point programme for the uplift of the

Ezhevans. Firstly, to give up the practice of untouchability with respect to caste below their castes. He also simplified rituals regarding marriage, religions worships and funerals Naraya Guru achieved notable success in transforming the untouchable groups into a backward class. He openly criticized the Congress and Mahatma Gandhiji for their lips sympathy towards the lower castes systems and untouchability that the juice of all leaves of a particular tree would be the same in content. He gave a new Slogan “One religion, one caste and one god for mankind. Further movement was carried by Jyotirao Phule who established the Satya ShodhakSamaj, JotiraoGovindrao Phule struggled for the lower castes, he was born at Poona in 1827 in a Mali caste. Once he was scolded and insulted by a Brahmin for his audacity in joining a Brahmin marriage procession.

The Brahmins also opposed Jyotiba in running a school for the lower castes and women. The Brahminical pressure compelled Jyotiba to close the school: under upper caste pressure Govindrao turned Jyotiba and his wife from leaving his family house. In 1873 Jyotiba started the Satya ShodhakSamaj with the aim of securing social justice for the weaker sections. He opened number of schools and orphanages for the children and women belonging to all castes and he was elected as a member of the Poona Municipal Committee in 1876. Jyotiba's publications include Dharma Tritiya Ratiya Raina Ishara, Life of Shivaji, etc and he was honoured with title mahatma. It was further carried by Dr. B.R. Ambedkar who was another crusader in the cause of the uplift of the lower castes. Bhim Rao was born on 14 April 1891 in a Mohar caste at Mohar. Ambedkar started an organization in Bombay called ‘BahishkritHitkarni Sabha’ for the moral and material progress of the untouchables. He resorted to methods of agitation and launched Satyagraha to establish civic rights of the untouchables to enter the Hindu temples and draw water from public wells. In 1930 he entered national political and demanded separate electorates for the untouchables. He was nominated as a delegate of the three Table Conferences in London. The Communal Award announced by the British Prime Minister on 17 August 1932 provided for separate electorates for the Depressed Classes which upset Gandhiji who went on fast unto death, a final compromise popularly known as the Poona Pact which provided reservation of seats for the Depressed Classes in the general constituencies'. He further opposed the National Congress's demand for independence and wanted British rule in India to continue to safeguard the interest of the lower castes. In 1942 he founded the Scheduled Caste Federation as an all India Party. Later he announced that Scheduled castes would leave Hindu fold altogether. He along with many

followers embraced Budhism. He was nominated by the Congress Party as member of the Constituent Assembly. His contribution in framing and piloting the Indian Constitution and the Hindu Code Bill are well recognized. Today, Ambedkar is remembered as the emancipator of the lower castes. The new Constitution of Indian Republic has accepted the Principle of Equality for all Indian citizens and has abolished untouchability. The Untouchability Act 1955 spells out the punishment to be awarded for offences under this Act.

In this various aspects of social change in India from colonial rule to the advent of globalization as an important factor of social change. It is true that, like any other society, Indian society, too, has been changing even before the advent of British rule. Yet the British rule released such new forces of change that contributed to much faster pace than ever before. It can be said that the British rule contributed to immensely to the cultural and technological modernization of India. The process of social mobility in Indian society cannot be understood without a fairly good understanding of sustainable development. It has deeply affected the caste system and its dynamics. Needless to say, caste system is one of the most important social institutions in India and any change in it would affect the entire Indian society. And have started impacting the Indian society in a variety of ways. Just to make it clear, the impact of globalization on various segments of Indian society such as tribal communities, dalits, and women has been explained with the help of suitable examples scattered all around us.

REFERENCES

1. Barker.C. and. Galasinski, D.(2001): Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity; London, Sage publication
2. Verghese, K.E. (1992): General Sociology; Chennai, Macmillan India Ltd.
3. Weber, Max (1920): The theory of social and economic organization; New York, Simon & Schuster.
4. Annadurai, C.N.: NadumYedun
5. Keer, Dhananjaya: Dr. Ambedkar : Life and Mission
6. Baker, C.J.: The politics of South India.
7. Smith, D.E.: South Asian Politic and Religion.
8. B.L. Grover: Modern Indian History; Delhi, S. Chand& Company Ltd



Agriculture Insurance Challenges and Way Forward

Dr. Shreepakash Choubey*

There are about 100 million in India who work the hardest and yet seem to suffer the most. Their occupation totally depends upon the mercy of nature. It becomes the primary duty of Government to think of the welfare of farmers which would necessitate thinking of ways and means of reducing the risk in farming. Crucial aspect of agriculture is weather. It can make or break a farmer's fortune if rains, crops fail. If rain comes at wrong time, then this also results in crop failure. There are following various complexities in agriculture insurance:

- (a) outdated model: The model of NAIS is outdated because crop cutting experiments(for deciding claim payout) is quite laborious and time- consuming, Also, these experiments are no longer valid as farmers cultivate multitude of crop varieties within unit are of insurance coverage having varying degree of productivity completely unrelated to the yields from crop cutting experiments.
- (b)Delay in claim payout: Claim payout to the farmer's often takes more than a year to reach the farmer or to the banks from whom they have taken crop loans.
- (c)Huge burden on exchequer: Since the 1999 to the 2007-08 rabbi seasons, the total paid and payable claims were about Rs 11607 core against a collected premium of Rs 3626 crore rendering it unsustainable.
- (d)Lack of historical weather data: Indian Meteorological Department is the central body controlling the weather stations and the captured date do not have a pan India network to give historical weather data.
- (e)Lack of dedicated weather station network: IMD does not work exclusively on agro meteorological services. It has other functions to take care of such as aviation, weather forecasting etc. so a focused weather station network for agriculture at mandal/tehsil level is

* Ex-Research Scholar, PG Department of Economics, VKSU, Ara

much needed for capturing the true losses incurred by farmers addition, there is a crying need to educate farmers on the insurance schemes. The Government should use formal an informal network to spread awareness in this area. The State Governments can be made accountable to ensure that farmers enroll in crop insurance schemes through the co-operative sector and get some benefit when burdened by natural calamities. AIC has plans to move beyond Crop Insurance towards a novel weather based insurance Scheme as an alternative to NAIS. AIC is looking at a comprehensive package that includes farmers' huts' tools, implements, and animals besides crops-all this is of course subject to IRDA approvals.

Weather-based insurance products will help the farmer in faster claim settlement. This could also mean lower premiums for farmers buying these insurance products. Differential rate of premium based on the variability in yield levels in the past and movement towards premium rates based on actuarial principles these are some of the areas that need to be focused on. A good risk assessment tool needs to be developed so that both farmers and insurers benefit. This can happen if insures work closely with institutions specializing in statistical research. Agricultural insurance schemes are being subsidized on global scale.

The Way Forward:

Sustainability is the key for any risk management model and dependence on subsidies of support in any form for a successful risk cover need to be done away with. The only way this can be achieved s by increasing the spread of insurance cover by taking the following measure on a war footing.

All India Crop and weather Risk Profiling: Understanding of crop agronomy, pest complex and weather risks for effective insurance product design. An in-depth study of the various crops (horticultural and agricultural) grown in the country and the associated weather risks is the need of the hour and this will go a long way in providing information for developing appropriate risk covers.

PPP(Public, Private Partnership) model in weather station network; Given the probability of increased vagaries of floods and droughts due to climate change, devising an effective risk management system for agriculture would be crucial for the farming community financial resources could be made use of for devising this system inviting global tenders for installation and maintenance of weather stations in PPP mode at the rate of 10 each district in the 600-odd districts in the country can be considered for immediate implementation.

Application of remote sensing; The sound remote sensing capabilities can be harnessed to aid the insurance sector. Satellite imagery of Normalized Difference Vegetation Index(NDVI) can be used to assess crop growth stages, amount of loss in harvest etc.

Managing crop and price risk; The three risks which farming as an enterprise is encountered with are the agronomy (farming practices) and pest risk, the output price risk and lastly, the weather risk. Effective management of the first two risks by proper interventions such as ramping up the extension services will enable insurance companies to offer better weather risk covers.

Voluntary Vs compulsory insurance: Farmers should be encouraged to habitually include insurance in their budgets. It can be achieved by designing products offering genuine protection at reasonable premiums and demonstrating the economic illustration of the risk with and without insurance by carrying out a mass campaign.

The need of the hour is introduction fo a range of innovative insurance products covering diverse risks. Some have hinted at schemes like excess rainfall insurance, draught insurance schemes, sowing failure risk cover etc. Instead of one-size fits all approach, we can look at linking the risks with the type of crops. More importantly, the Government subsidy on insurance schemes has to reach the farmer who needs it the most.

Now a day's change is happening in agriculture sector. Traditional farmers are expending their operation to include new and different options are expending their operation to include new and different options in doing so they are met with new liability; issues and new risk management needs. Agriculture Insurance is a risk management tools and as a risk transfer device that farmers can depends on as an instrument of indemnity in the event of crop failure. Risks like the price for the Agriculture produce and Monsoon are two major factors on which the agriculturalist has absolutely no control. In a country like India, where crop production has been subjected to vagaries of weather and large scale damage due to attach of pests and diseases, agriculture insurance assumes a vital role in the stable growth of the agriculture sector. Agriculture Insurance requires the full support of the IRDA. The present Agriculture insurance policies are weak on the various frons. These Agriculture insurance policies can not crate success story in India. Therefore, we recommend introducing separate Agriculture Insurance Development Authority in India, as the existing authority is incapable to deal with the various issues and emerging problem in the Agribusiness.

References :

*Jain, RCA(2004): Challenges in implementing Agriculture insurance and Re- insurance in developing The Journal, January –June.

*Mishra.(1996) Agriculture Risk insurance and income. Araby, vermon: Ashgate publication company.

*National the account statistics(2007): CSO Government of India, New Delhi

*Planning Commission(2007): Report of working group on ‘Risk management of Agriculture’
11th five year plan

*Sethi Anadi Kishore- The Indian trends in Risk management practices retrieved from
www.chlorisk.com



Charles Dickens : The Singer of Underdog

Ved Prakash Dwivedi*

As being a student of Charles Dickens and his novels it seems needless to mention as to where and in what social conditions he was born . what were the conditions that framed his mind and thoughts and made him feel the poverty and exploitation around him.The chronology and content of his novels make us understand all these factors and it explains the making of Charles Dickens.

Born in 1812 near Port seas a delicate child, had an early liking for books and unfortunately Dickens's education was terribly neglected and he had to lead a precarious existence by labelling bottles at blacking warehouse. Later on he was sent to school and being a good shorthand writer subsequently became an attorney's clerck but even after all the trials and troubles the literary instinct was never dead and very soon came his Sketches By Boz.

It is quite important to understand the conditions which led to the production of his first three novels Pickwick was written at the suggestion of an editor for serial Publication. Each chapter was to be accompanied by a cartoon by Seymour and the object was to amuse the public. He had to make an effort to sell the paper. The result was a series of wonderful characters never seen before." The plot of his Novel is rudimentary. In order to provide an occasion for Seymour's sketches Dickens hit upon the idea of a Sporting Club to be called the pickwick club. As the book proceedes the idea is soon dropped and the history becomes a kind of large and genial picaresque novel. The incidents are loosely connected and chronology will not bear close inspection but in abundance of a detail of a high quality, in vivacity of humour, in acute and accurate observation, the book is of the first rank. It is doubtful if Dickens ever improved upon it.¹" And undoubtedly we can say that Dickens wrote with the mind's eye upon the customs and manners the men and women of his time which his imagination seizing hold of , lifted into the world of the grotesque. He has been the home of the very greatest humorist the creator of Don Quixote, falstaff and uncle Toby. In full sympathy with his material as one who k new London and the hardships of its slums and prisons. He invested his narrative but its farce and comedy, with the tragic cast and the noble humanity.

Oliver Twist started as a contribution to Bentley's miscellany. This novel is a blend

***Researcg Scholar,P.G.Deptt. of English, VKSU,Ara**

of the humours of Pickwick papers and the pathos of innocent childhood and protest against the abuse of power specially on the part of governmental Institutions. Moreover Oliver Twist with Bill Sikes and Fagin bettered Bulwer's instruction in the use of crime to excite terror and horror and added an element which Dickens used more powerfully than Scott namely, the mob. His object was to tell the truth in this model to show how crime is bread and that vice systematically pursued does not yield the delights gaily asserted by the romances. Oliver's childhood in the workhouse and his far echoing request for 'more' may be condoned in a tract upon the poor law even though it was a little out of date. Before the completion of Oliver twist in 1838 he began the publication of Nicholas nickleby in 20 numbers here the themes of suffering childhood and operation of Institutions are United in death boys hall a composite picture of the oxide schools which Dickens personally investigated to give authority to his exposure he continued his number with Mrs nikale be his interest in crime with Ralph nickleby and introduced characters of Fantastic many valence in the the Cheerable brothers.

In 1847 started a Miscellany to be called Master Humphrey's Clock which was to provide a frame for his serial Old Curiosity Shop. The old curiosity shop is remarkable for the fact that the two most prominent and disputable characters Nell and her grandfather could be almost cut out of the book except as terms of reference Nell whose death made continents weep in one generation and scoff in the next is one of the Dickens's characters in some need of revaluation. Those who, from report, think of little Nell as Dickensian Angel child perishing in the Dickensian effluence should really read the story and Discover Nell Trent. Nothing can be done with the grandfather whose ,habit gambling, is realistic and whose character, antiquarian, is fantastic but almost all the other characters are superb. Dombey and Son which can be called last of his early novels shows that how shellfishness is replaced by Pride which is incarnated in Mr Dombey. One thing the plot does ensure in this novel at some cost to probability that every one of the least importance does get his or her exact accidental deaths and a batch of incongruous weddings. Of the inner consistency of serious tragedy there is little but the more painstaking workmanship does mark a turning point in Dickens. He was not going to discard his farce and his humour. There are various true dickensian elements in the novel

His novels Hard Times was published in 1854. It gives the picture of the industrial system in coketown . Dickens Champions the unfortunate bleeding Under The Wheels of modern industrialism. By his artistic force of scorn and indignation Dickens galvanised his two personifications of blind slave driving energy and greed. Gardgrind and Boundrby into a semblance of life; like some of his more authentic creations, the pair have entered as permanent myths or synonyms into current thoughts and speech. Little Dorrit published in 1857 portrays the picture of two governmental Institutions the circumlocution office and Marshalsea Prison. Dickens had a public object when there was loud outcry at the delays and inefficiencies of the great government offices and the sheltered affluence of the drones who lurked there. His next Novel A Tale of Two Cities was published in 1859. It has its background of the French Revolution . It is the only one of his novels that he called a tale. He had read Carlyle's French Revolution and been

carried away by it. His ambition was to tell such a story as would convey the effect that tremendous book had had upon himself. It is not tragedy, it is not shapely profound and austere but it is a powerful story and the culminating scene when Sydney carton atones for a misspent life and his act of self immolation is normally conceived and has made many a heart beat. The subordinating figures, the young Aristocrat who owes his life to Cartons devotion, the heroin, the bloodthirsty revolutionaries Madame defarge and the rest of the women of the Terror are creatures of the melodrama which he did his best to authenticate from such books as he had time to read and from other sources it is always named as an example of Dickens's literary work. After A Tale of Two Cities Dickens wrote one great novel Great Expectations, It is a novel of adventure. The sort of adventure that might will happen to a person who got himself mixed up with questionable characters in such a spot as this ,close to the Convict ships, or in what really were in those days the wilds of London. Pip has a narrow escape and goes through many Wrecking experiences; he has to be prepared for acts of violence and before the end his manhood is put to the proof in a way unusual in a novel by Dickens. it is a Masterpiece of verbal art wheather in narrative and description or in the dialogue.

Undoubtedly," in Dickens's novels the characters are cast in detailed and purposeful social situations and an evaluated social world is created 2".His attempts to bring out and highlight thr povrty and underdog sometimes may lead us to accuse him as being Marxist but the truth is the delineation of the lower strata of society and its problems is nothing but a reflection of his own experiences.He feels a sympathy towards them and he is unsure of their future and this fills him with a kind of insecurity which ultimately finds expression in the novels.

References :-

- 1.A History of English Lit.- Edward Albert
- 2 The Politics of Dickens's Novels –Monroe Engel(Page 1)



एनी बेसेंट के सामाजिक दृष्टिकोण : एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ० ब्रिजेश कुमार*

सारांश : एनी बेसेंट ने महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, फेब्रियन समाजवाद और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वह भगवान से जुड़ने के थिओसीफी के तरीके से काफी प्रभावित हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी जाति, रंग, वर्ग में भेदभाव के खिलाफ थी और सर्वभौमिक भाईचारे की सलाह देती थी। मानवता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना उनका परम उद्देश्य था।

भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के मदद से वह वर्ष 1893 में भारत पहुँचीं। एनी बेसेंट ने अपना पहला भाषण अगस्त 1874 में दिया था। उसका विषय था—‘नारी का राजनीतिक स्तर’। इसमें उन्होंने तत्कालीन राजनीति में महिलाओं की स्थिति तथा उनके अधिकारों का वर्णन किया था। ओजस्वी वाणी, शब्द—चयनकी विशिष्टता और विषय पर गहरी पकड़—उनकी इन खूबियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहना अधिक उचित होगा कि पहले भाषण में ही उन्होंने लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तालियाँ बजाते हुए वे उनका उत्साहवर्धन करने लगे। कुछ सप्ताह बाद श्रोताओं की मँग पर उन्होंने दूसरा भाषण दिया। इस बार उन्होंने विषय चुना था—‘नैतिकता का सच्चा आधार।’ भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, “धर्म को नैतिकता का आधार मानना सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उसका व्यवहार नैतिक नहीं हो सकता अथवा वह नैतिकता का विरोधी है। इसी प्रकार धर्म को मानने वाला नैतिक हो, यह भी जरूरी नहीं है। वस्तुतः नैतिकता का आधार धर्म की अपेक्षा मनुष्य से संबंधित है। इन्सानियत, मानवीय संबंधों में विश्वास, परस्पर स्नेह, मानव—सेवा जैसे नैतिक कर्म ही नैतिकता के वास्तविक आधार हैं।” जैसी कि उम्मीद थी, भाषण ने लोगों के अंतरमन को झिंझोड़ डाला। इसके बाद तो मानों भाषणों का सिलसिला चल निकला। सन् 1875 तक वे सोसाइटी की लगभग सभी सभाओं में भाषण देने लगी थीं। लेखन और वाक्-कला में निपुण एनी बेसेंट की मनन—चिंतन में भी रुचि थी। गंभीर विषयों पर गहन चिंतन करना तथा तर्क—वितर्क से उसका मंथन करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। वे स्वयं कहती थीं, “मनन, चिंतन और मंथन—ये तीनों विचारों को भली—भाँति छानने का कार्य करते हैं। इन तीन साधनों का प्रयोग करके किसी भी विचार के मर्म तक पहुँचा जा सकता है। इनके समक्ष सत्य अधिक दिन तक अदृश्य नहीं रह सकता।” सन् 1875 के आरंभ होते ही एनी बेसेंट ने जीवन—परिवर्तन का शंखनाद कर दिया था। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से ‘स्वतंत्र विचारक’ और ‘समाज—सुधारक’ के रूप में स्थापित करने का निर्णय ले लिया। इसके अंतर्गत उनका उद्देश्य सामाजिक उत्थान, जागरूकता लाना, धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता, सत्य का प्रचार तथा कट्टरवाद के विरुद्ध संघर्ष करना था। वे

*पूर्व डॉक्टरल फेलो—आई०सी०एस०एस०आर०, नई दिल्ली एवं पूर्व शोध छात्र, VKSU, आरा

MA (Sociology, Geog.), B.Ed, MA (Edu.), Ph.D, UGC NET in Sociology, Geography, Women Studies & Education

जानती थीं कि इससे उनके साथ जुड़े अनेक लोगों की भावनाएँ आहत होंगी, लेकिन वे अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प थीं। इसी वर्ष अगस्त महीने के अंत में 'फ्री थिंकर्स' का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। चार्ल्स ब्रैडलॉफ द्वारा प्रेरित किए जाने पर एनी बेसेंट ने उसमें अपनी संस्था का नेतृत्व किया। सम्मेलन में देश-विदेश के कई विद्वान्, दार्शनिक व चिंतक सम्मिलित थे। उनके बीच आत्मविश्वास से परिपूर्ण एनी ने सारगर्भित व्याख्यान दिए। उनकी बौद्धिकता ने पहले ही दिन उन्हें लोकप्रिय बना दिया। वहीं उनकी भेंट डा. फ्रैडरिख बुखनर से हुई, जो जर्मन नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेता थे। उन पर एनी के व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उन्हें अपने ग्रंथों के अनुवाद का कार्य सौंप दिया। इस तरह 'स्वतंत्र विचारक' के रूप में एनी बेसेंट ने एक नई शुरुआत की।

विरोध का सामना : एनी बेसेंट अब विभिन्न प्रांतों में जाकर भाषण देने लगी थीं। इससे उनके विचार सीमित दायरे से निकलकर तेजी से लोगों में फैल रहे थे। दिन-प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लेकिन उनकी यह राह फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। धर्म के ठेकेदार उनके शत्रु बन गए। आँखों पर कट्टरवाद की पट्टी बाँधे वे लोग धर्म की कलई खुलते देख तिलमिला उठे और विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने लगे। एक बार एनी बेसेंट सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दे रही थीं। सदैव की तरह इस बार भी निरीश्वरवाद उनके व्याख्यान का प्रमुख विषय था। तभी शोर-शराबे के साथ पथराव होने लगा। कुछ लोग उन्हें मंच से नीचे उतारने की माँग करने लगे। वे सभा में व्यवधान डालने आए थे। लेकिन एनी निर्भयतापूर्वक व्याख्यान देती रहीं। उन्हें प्रभावहीन देखकर विरोधी उत्तेजित होकर मंच पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। सहसा एनी गरज उठीं, "यह सभा मानवता, नैतिकता और समाज-सुधार के समर्थकों के लिए हैं। यदि आप इन विचारों से सहमत नहीं हैं तो चुपचाप बाहर चले जाइए। यहाँ शोर मचाकर अपनी अज्ञानता और संकीर्णता का ढिढ़ोरा मत पीटिए।" विरोधी दल ठिठक गया। उनमें अनेक बलशाली और हट्टे-कट्टे लोग थे, लेकिन कोई भी एनी बेसेंट को मंच से उतारने का साहस नहीं जुटा पाया। धीरे-धीरे वे पीछे खिसकने लगे और फिर थोड़ी ही देर में तितर-बितर हो गए। एनी को ऐसा विरोध एक बार नहीं, अपितु अनेक बार झेलना पड़ा। विरोधियों के अपशब्दों, तीखे व्यंग्य-बाणों तथा अपमानजनक व्यवहार के साथ-साथ उन्होंने नहीं आने दी। उनका मार्ग काँटों-भरा था— यह बात वे जानती थीं। उन्होंने इसका चयन स्वयं किया था। यही कारण है कि वे अकेली विरोध के समुद्र को चीरती हुई निरंतर आगे बढ़ रही थीं।

सत्य की खोज : सन् 1875 में 'नेशनल सेक्युलर सोसाइटी' की बैठक में चार्ल्स ब्रैडलॉफ को अध्यक्ष मनोनित किया गया। एनी बेसेंट संस्था की कर्मठ सदस्या थीं; वे पूरी तरह समाज-सुधार के लिए समर्पित हो चुकी थीं। उनकी बढ़ती लोकप्रयता और समर्पण भाव को देखते हुए उपाध्यक्ष के पद के लिए उन्हें चुन लिया गया। उन्हें उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपते हुए ब्रैडलॉफ ने कहा, "संस्था ने जो आदर्श और नीतियाँ निर्धारित की हैं, उन्हें समाज में फैलाने का दायित्व तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हारी योग्यता को जानते हुए मुझे विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से संभालोगी।" एनी बेसेंट ने संस्था का लक्ष्य निर्धारित किया—'सत्य की खोज।' तदनंतर वे तन-मन-धन से इस लक्ष्य को पूर्ण करने में जुट गई। उनका कथन था, "हम सत्य की खोज के लिए प्रयासरत हैं। सत्य जानना ही हमारा उद्देश्य है।" उनके प्रयासों से शीघ्र ही संस्था सैद्धांतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ हो गई। अनेक लोग उससे जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में असंख्य समर्थक संस्था से जुड़ गए और उसकी जड़ें दूरस्थ क्षेत्रों तक फैल गईं।

शिक्षा एवं शिक्षण : तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति शोचनीय थी। कहने को विकसित यूरोप का वातावरण खुले विचारों से ओत-प्रोत था, लेकिन वहाँ भी नारी की स्थिति किसी पिछड़े देश की नारी से बेहतर नहीं थी। उसे पुरुष की अधीनस्थ समझा जाता था। उसके अधिकारों एवं इच्छाओं का निर्णय उसका पति करता था। ऐसे पुरुष-प्रधान समाज में एनी बेसेंट ने चर्च का बहिष्कार कर एक ओर सड़ी-गली रुद्धिवादिता का विरोध किया, तो दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए

कानूनी लड़ाई भी लड़ी। दोनों स्थितियों में पुरातन नियमों को चुनौती देते हुए उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का डटकर मुकाबला किया। उन दिनों लंदन में नारी-शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। उनकी शिक्षा चर्च द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों पर निर्भर थी, जिनमें स्कूली पढ़ाई की अपेक्षा धार्मिक तथा व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा दिया जाता था। यदि कोई लड़की निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, तो भी आगे के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह से बंद होते थे। लंदन यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन पिछले एक वर्ष से यूनिवर्सिटी ने इस नियम में कुछ ढील दी थी। एनी बेसेंट की लड़ाई केवल धर्म के विरुद्ध अथवा निजी हितों के लिए नहीं थी, वरन् वे समाज के प्रत्येक वर्ग को सजग करना चाहती थीं। स्वयं नारी होने के कारण नारी की पीड़ा उनसे छिपी नहीं थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि नारी समाज का उत्थान केवल शिक्षा द्वारा संभव है। ‘शिक्षित नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आत्मनिर्भर बने’— यह सोचकर एक आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित करने का निश्चय किया।

जब विश्व विभिन्न स्तरों पर बँटा हुआ था; निर्बल देश शक्तिशाली देशों के उपनिवेश बनकर गुलामी का जीवन जी रहे थे, उस समय एनी बेसेंट के मस्तिष्क में ‘विश्व-बंधुत्व’ का विचार उठ रहा था। उनका लक्ष्य ‘मानवीय प्रेम’ था और उसके लिए वे ‘विश्व-बंधुत्व’ की प्रबल समर्थक थीं। इस विषय पर उन्होंने एक लेख लिखाए जो ‘ऑवर कॉर्नर’ में प्रकाशित हुआ। लेख के अनुसार, “पिछले कई दिनों से ऐसे ‘विश्व-बंधुत्व’ का विचार मुझे आंदोलित कर रहा है, जो मानव-सेवा करके ईश्वर-सेवा का स्थान ले सके। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रेम में दीक्षित होकर भाईचारे को कर्म-रूप में अंगीकार करें। उसमें मानव-कल्याण के लिए कार्य करनेवाले व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी देश, वर्ग या समाज का हिस्सा हो; मित्र समझा जाएगा। ‘विश्व-बंधुत्व’ को हम ऐसे धर्म के रूप में चित्रित करते हैं, जो अज्ञान और बुराई के आवरण को हटाकर अंतिम सत्य के रूप में न्याय के सिंहासन पर आसीन होगा। स्मरण रहे, सिर्फ वही व्यक्ति जीवन को सार्थक कर सकता है, जो निराशा के काले बादलों को अमर आशा के इंद्रधनुषी रंग से रंगीन कर सकता है।”

सन् 1870 के दशक में संपूर्ण यूरोप कट्टरवाद के जाल में उलझा हुआ था; चारों ओर धर्म का बोलबाला था। ‘धर्म’ विरोधी को तिरस्कृत व अपरमानित दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी परिस्थिति में एनी बेसेंट निरीश्वरवाद पर खुलकर वक्तव्य देने लगी थीं। उनके प्रगतिवादी विचारों से प्रभावित होकर एक समाज-सुधारक संस्था ने व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। ‘नेशनल रिफॉर्मर’ में इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित हो चुकी थी। निर्धारित दिन एनी बेसेंट सहयोगियों के साथ निर्धारित सभागा में व्याख्यान देने पहुँची। परंतु मुख्य द्वार पर लटकते बड़े से ताले को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आयोजकों ने उन्हें यहीं का पता दिया था; दिन भी सही था। लेकिन दूर-दूर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ‘कहीं कार्यक्रम रद्द तो नहीं हो गया? यदि ऐसा है तो आयोजकों ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? यदि ऐसा है आयोजकों ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी?’ यही सोचते हुए वे वापस लौट गए। यद्यपि आमंत्रित करनेवाली संस्था रुढ़िवादी मान्यताओं तथा सिद्धांतों की विरोधी थी। परंतु वह इतना साहस नहीं जुटा पाई कि निरीश्वरवादियों के साथ खड़े होकर ‘धर्म सुधार’ की चर्चा कर सके। इसलिए उसने आनन-फानन में कार्यक्रम रद्द कर दिया था। बाद में एनी बेसेंट को सत्य का पता चल तो उन्होंने केवल इनता ही कहा, “संकीर्ण मानसिकता के बल पर समाज का सुधार कभी नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करने का दावा करते हैं, वस्तुतः वे असत्य फैलाने के उत्तरदायी हैं।”

निष्कर्ष : एनी बेसेंट ने निर्धनों की सेवा में आदर्श समाजवाद देखा। वह विधवा विवाह एवं अंतर-जातीय विवाह के पक्ष में थीं, लेकिन बहुविवाह को नारी गौरव का अपमान एवं समाज के लिए अभिशाप मानती थीं। एनी बेसेंट प्रमुख सामाजिक

सुधारक, थियोसोफिस्टिक, शिक्षाशास्त्री, राजनैतिक नेता, लेखक, वक्ता और एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. Besant, Annie (1908) : Annie Besant: An Autobiography ; London, Theosophical Society.
2. Besant, Annie (1913) : Wake Up India, A Plea for Social Reform; Madras, Theosophical Publishing House.
3. Dinnage, Rosemary (1987) : Annie Besant (Lives of Modern Women) Reform; Penguin Books.
4. Besant, Annie (1913) : In the Outer Court; Madras, Theosophical Publishing House.
5. चन्द्र, बिपिन (1990) : आधुनिक भारत (नई दिल्ली, NCERT)



रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' के काव्यों में प्रगतिवादी चेतना

अनीता सिंह*

कवि अपने समय का दृष्टा और सृष्टा होता है। अंचल जी के प्रगतिशील काव्य पर युग की अमिट छाप है। सन् 1936 से भारतवर्ष में मार्क्सवादी विचारधारा विकसित होने लगी थी। इस काल में समाज—सुधारक भौतिक जीवन की ओर उन्मुख हुए। कृषकों, श्रमिकों, निम्नवर्गीय व्यक्तियों का शोषित और प्रताड़ित जीवन समाज सुधारकों के समक्ष पूर्ण रूप से साकार हो उठा और वे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हुए। उन्होंने श्रमिकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें अभ्युदय की ओर प्रेरित किया महात्वाकांक्षा से अभिभूत, वासना—संकुल उच्च—वर्ग अपनी स्वार्थ—सिरी में निमग्न था और निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था, जिसके परिणाम स्वस्वरूप इस काल में उच्च—वर्ग के प्रति उपेक्षा और घृणा के भव व्यक्त होने लगे तथा उनके जघन्य कार्यों की भर्त्तर्ना की जाने लगी। युग की इस प्रवृत्ति का प्रभाव कवियों पर भी पड़ा, उन्होंने इस युगीन भावना को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया।

अंचलजी के सहृदय और उदार व्यक्तित्व पर युगीन प्रवृत्ति का अमिट और व्यापक प्रभाव पड़ा। उनका विपन्न और विद्युद्ध जीवन इस विचारधारा के साथ एकीकृत हो गया। श्रमिकों के प्रति उनकी अनन्य संवेदना फट पड़ी। एक सच्चा कवि युग की पुकार से वंचित रह ही कैसे सकता है? अपने प्रगतिशील क्षेत्र में अंचल जी मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद से विशेष प्रभावित हुए, पर उन्होंने मार्क्स के सिर्जनों का अन्धानुकरण नहीं किया।

उन्होंने अपने काव्य प्रणयन में स्वतन्त्र व्यक्तित्व से काम लिया है और मानवता के शाश्वत सम्बन्ध को ही इस काव्यधारा के अन्तर्गत अभिव्यक्त किया है। वे अपनी सामाजिक कविताओं की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं—‘इस प्रकार की, सामाजिक अनुभव से परिपूर्ण कविताओं की प्रेरणा मुझे जीवन की कुरुपता और विषमता को देखकर मिली है। मध्यमवर्गी होने के कारण आरम्भ से गांवों से घना सम्बन्ध होने के नाते मुझे भीषण दुख, दरिद्रता, अज्ञान अस्वस्थ गलित नैतिकता और रुढ़ि—पूजा के ऐसे दृश्य देखने को मिले जो बेनजीर है। मेरी बहुत सी कविताओं में इस प्रकार के वर्णन है।’ इसी स्वतंत्र दृष्टिकोण के कारण अंचलजी का काव्य प्रगतिवादी विचारधारा के अन्तर्गत न आकर प्रगतिशील काव्य—धारा के अन्तर्गत आता है।

जिस समय भारतवर्ष में प्रगतिवादी विचारधारा विकसित हो रही थी उसी समय भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन भी तेजी से चल रहा था। इस स्वतन्त्रता—आन्दोलन का प्रभाव भी प्रगतिवादी कवियों पर पड़ा है। अंचलजी तो इस आन्दोलन से विशेष प्रभावित हुए, उनका सम्पूर्ण प्रगतिशील काव्य देश को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। उनके प्रगतिशील काव्य में एक सच्चे देश—भक्त की आत्मा बोल रही है।¹

‘पड़ा मैं बन्द जीवन मैं, मुझे बाहर निकलने दो।²

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, करमा देवी पी०जी० कालेज, संसारपुर, बस्ती, उ०प्र०

अंचल के प्रगतिवादी गीतों में नारी के अन्य रूप के भी दर्शन होते हैं। यहां नारी यौवन की उत्तेजक वासना से भरी छलकती हुई गगरी नहीं है और न ही कामवासना की सूत्रधारिणी है, यहाँ वह जीवन के कर्म-क्षेत्र में संघर्षों का दमन कर प्रेरणा देने वाली शक्ति है। समाज के प्रति साहित्यकार के उत्तरदायित्व को समझते हुए अंचल का कवि-मन-यहाँ सामाजिक प्रगति की आकांक्षा संजोये, प्रगति के सोपानों को निर्विघ्न होकर लांघना चाहता है। प्रेयसी का वही मांसल रूप जो शरीर के रोम कूपों को रोमांचित कर उत्तेजक मांसपेशियों में वासना की उच्च ज्वाला भर देता था, ऐसे अवसरों पर यु(की भीषण लपटों में प्रेरणा का संचार करता है।

“देखा तुमको बिछौने की गुलाबी सुधि न आए
यु (में बढ़ते चले छाती फुलाकर मस्तक उठाए
रूप बिस्मित हो इन्हीं संग्राम लपटों में तुम्हारा
मृत्यु की झाँई न निष्प्रभ कर सके तब मधु तुम्हारा”³

'प्रेम—गीतों के क्षेत्र में इस प्रकार सामाजिक भावनाओं का सम्मिलन आधुनिक गीतकारों में सर्वाधिक अंचल में ही देखने को मिलता है। अपनी रूपसी—प्रेयसी की सहयोग—कामना वे केवल प्रणय—क्षेत्र में ही नहीं करते अपितु प्रत्येक क्षेत्र में वह उससे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आग्रह करते हैं।

तुम मेरे साथ चली आओ,
पथ की बाधाओं से न डरो न तनिक तुम घबराओ⁴
नारी को प्रेरक रूप में ग्रहण कर कवि ने अपनी अस्वीकृति
प्रस्तुत कर उसने अपने सर्वथा परिवर्तित रूप तथा स्वरूप
“आज जीवन और मरण के बीच की तुम सेतु बनकर⁵
दो मझे तपाफ़ान अगले, झोलने का शौर्य जमकर

कवि अंचल ने अपनी प्रगतिशीलता का परिचय प्रेयसी से ही नहीं दिया है अपितु जीवन एवं समाज के सभी क्षेत्रों में दिखायी पड़ती है।

मनुष्य पर यही अगाध विश्वास उन्हें सहज रूप से प्रगतिशील बनाता है। वह घोषणा—पत्र पढ़कर परचम उठाने वाले में नहीं रही। नारी में प्रेम व सौन्दर्य के सरसिज अनुभव करने वाले अंचल को उसका अपमान सहन नहीं होता। वेश्या बनने पर विवश नारी के प्रति उनकी संवेदना शाश्वत है—

चुक जाते अंगों के मोती चुस जाता जब दलित शरीर
 सहसा अनाहूत आ जाता कौन उदर में लेकर नीर
 ग ग
 माता बनी दूध भर आया किन्तु न भरता पापी पेट
 जननी बनकर भी पशुओं के आगे नग्न सकंगे लेट^६

दहात आर शहर-दाना से सम्पूर्ण हान के कारण दाना का हास्थातया न अचलजा का प्रभावत किया ह। उनके प्रगतिशील काव्य में शहर और देहात के सामाजिक स्वरूप का वर्णन बड़ी व्यापकता के साथ मिलता है। अंचलजी का हृदय तत्कालीन आर्थिक विषमता से बहुत क्षुब्धि है। वे सम्पूर्ण समाज को सुख-साधन-सम्पन्न देखना चाहते हैं। धनी और निर्धन के बीच की दूरी उन्हें असह्य है। उन्होंने निर्धन और शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का अपने काव्य में बड़ा हृदय-विदारक और संजीव वर्णन किया है तथा धनियों एवं शोषकों के अत्याचारों का बड़ी निर्भीकता के साथ, खुलकर भर्त्सना

की है।¹ कहने की आवश्यकता नहीं कि अंचल जी एक सीमा तक यथार्थ जीवन की व्यापक भाव-भूमि ग्रहण करने में सफल हुए हैं और इनकी काव्य चेतना ने शोषित सर्वहारा वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति स्थापित की है—

‘वह मजदूर की अंधी लड़की,
 कुम्हलाती बुझते चिराग—सी टिम—टिम करती
 देख न पाती कच्ची धूप—रोशनी जलती—
 ग ग
 संध्या को माँ—बाप मिलों से आते
 जर्जर—थकित अंगुलियां लेकर
 सिर में चक्कर खाते।’’

श्रमिक जब मिल में कठिन परिश्रम करने के बाद अपने घर में आकर सोना चाहता है, उस समय उसके रोगी शिशु किस तरह बिल्लाते हैं और वह उन्हें किस तरह आश्वासन देता है? इसका एक चित्र यहाँ पर दृष्टव्य है—

लगता कितना शून्य भयानक जब तुम थककर सोने जाते
रोगी बिललाते शिशुओं का क्रांदन सुनते नीद न पाते,
जल्द सुबह उठने के भय से आँख मूँदकर करते उपक्रम
अकुलाते हैं अंग, फूटती तन में कैसी जड़ता दुर्दम
श्रमिकों के प्रति अंचलजी के हृदय में बड़ी ममता और स्नेह

यह नस्ल जिस कहत मानव कोड़ी से आज गया बाति
बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती?
दिस गयी संस्कृति हुआ खोखला वैभव का ऐश्वर्य शिखर
पाषाणी शोषण परिधि—यहाँ सोते तुफान महासागर

अंचल जी ने मजदूर की अंधी लड़की का भी बड़ा ही मार्मिक वित्र खींचा है। निस्सहाय अंधी लड़की, दुर्गन्धि से भरी हुई है अंधेरी कोठरी में अपना जीवन बिता रही है, उसका अनग्न शरीर अस्त-व्यस्त चिथड़ों से आच्छादित है, रोगी लड़के को छाती से सटाये हए, जिन्दगी का दर्वर्ह भार झेल रही है, मेहनत मजदूर करने की स्थिति में भी वह नहीं है—

खून जम गया, जिसका काला—काला
 सड़ी प्राणघातक नमकीन हवा में।
 दृष्टिहीन दुर्गम्भि—भरी वह
 भूख गन्दगी—नग्न गरीबी में
 कहीं नहीं मेहनत—मजदूरी भी कर सकती।
 अंधकार में बड़ी कब्र—सी आँखें
 बासी रोटी, बासी पानी
 बीत रही धूँधली—धूँधली जिन्दगानी।

ऐसे ही एक श्रमिक की स्त्री का बड़ा हृदय—विदारक चित्र कवि ने खींचा है। श्रमिक की अधनंगी स्त्री, घायल चील—सी अपने जीवन का अभिशाप भोग रही है, उसका भूखा—शिशु उसके सूखे स्तनों को चिचोरता हुआ, ऊँधते कौए की तरह आर्त—कंठ से चीख रहा है—

वही चुनरी की मैली सेज
शिथिल लेटी नारी चुपचाप
घायल चील—सी
अधनंगी अज्ञात
किसी श्रमजीवी का अभिशाप।
चूसता, फिर चिचोरता सूखे स्तन
भूखा शिशु
ऊँधते कौए करते शोर
आर्त कंठ से जैसे।

इसी प्रकार एक चित्र और भी द्रष्टव्य है, जिसमें कवि ने श्रमिक के भूखे नवजात शिशु को, कुत्ते के सीत बिनते हुए दिखाया है—

मूक है आता कोतरदीन
देखता भूखी पड़ी उसकी कबीली नगर
नव प्रसूता शिथिल निस्पन्द
बच्चा सलोना
बिन रहा सीत कुत्ते के
पागल स्यार सा उन्मत हो
बैठ जाता गरदन उठाकर।
पास मस्जिद से निकलती
भूत—सी—अल्लाह की आवाज

जितनी ही निष्ठा के साथ अंचल जी शोषितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, उतनी ही घृणा के साथ पूँजीपतियों की भर्त्सना की है। मिल में मानव का किस प्रकार होम हो रहा है? इसका एक चित्र यहाँ एक द्रष्टव्य है—

अजगर—सी ऊँची चिमनी से यहाँ निकलती विष की ज्वाला
होम वहाँ मानव का होता, दानवता हंसती विकरांता
जिसके श्रम शोषक यंत्रों में चलता फिरता खपता मानव
ठठरी जलती हाड़ सुलगते जीवित ही बन जाता है शव
पूँजीपतियों के अत्याचारों को देखकर, कवि का हृदय दहल उठता है, वह पूँजीपतियों से अपील करते हैं कि तुम अपने अत्याचारों से मानव—मन में घृणा मत भरो—
दुनियाँ को मत और अधिक कुत्सित बदशकल बनाओ
कड़क रही बिजली को भू पर और न अधिक गिराओ
मानव के विभक्त मन में सन्देह घृणा मत ढाओ

ओ हिंसा के सौदागर अपनी दूकान उठा लो।⁹

वह उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। जिसकी नींव शोषण पर है। श्रमजीवियों की दुरवस्था पर कवि अंचल की टिप्पणी है—

वह नस्ल जिसे कहते मानव

कीड़ों से आज गयी बीती।

बुझ जाती तो आश्चर्य न था

हैरत है पर कैसे जीती।।

वह अपने ललकारते मनुजत्व का स्वर सुनकर नवीन विश्व के निर्माण हेतु सक्रिय होते हैं। उनकी धरती की आग व हवेली जैसी प्रगतिशील कविताएं इस दृष्टि से पठनीय हैं। वह 'जन-जन के मन में' परिवर्तन की चेतना फूँक देना चाहते हैं। 'पन्थदान' कविता में अंचल समय की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं। अन्धकार के कारवां को बढ़ते देखकर वह उद्बोधन करते हैं—

स्नेह भरा है केवल तुमसे माँग रहे चिनगारी।

एक तुम्हारी भरी लपट के ये कबसे अधिकारी।।

अंचल अपने भीतर कोटि-कोटि भूखों-नंगों की हलचल का अनुभव करते हैं। इसीलिए वह निस्संग नहीं रह पाते। उनके समाजवादी विश्वास उन्हें विचित के पक्ष में खड़ा करते हैं। इस दृष्टि से अंचल अद्भुत मानवतावादी कवि हैं। उन्होंने सदा ममतालु समाज का स्वप्न देखा। उसे रक्तरंजित देखकर उनका रचनाकार रातों-रातों जागता रहा। अंचल की कविता पाठक को जीवन से जोड़ती है। अपने प्रेम के बल पर ही वह कह पाते हैं—

दुनिया भूले तुम न भुलाना सब दिन अपना कहना।

दुनिया बदले तुम न बदलना तुम ऐसी ही रहना।।¹⁰

इस प्रकार अंचल प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए मानवतावाद की तरफ उन्मुख है।

सन्दर्भ

1. वही पृष्ठ-2
2. काव्य चिन्तन, विविध सन्दर्भ डॉ० चन्द्र विद्या विहार 106 / 104 गाँधी नगर मन्दिर 1989 पृष्ठ 44
3. हिन्दी के आधुनिक कवि, व्यक्तित्व एवं कृतित्व रवीन्द्र भ्रमर भारती साहित्य मन्दिर, फौब्बारा दिल्ली, पृष्ठ-209
4. लाल चूनर, पृष्ठ-38
5. वर्षान्त के बादल, पृष्ठ-65
6. लाल चूनर पृष्ठ-78
7. मेरा जीवन एक रतजगा, मेरी लगन निराली डॉ० कैलाश देवी सिंह, सम्मेलन पत्रिका हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृष्ठ-276
8. काव्य चिन्तन विविध सन्दर्भ, डॉ० चन्द्र बवन्दा विहार 106 / 154 गाँधी नगर, कानपुर, 1989 पृष्ठ-46
9. हिन्दी के आधुनिक कवि, व्यक्तित्व एवं कृति, रवीन्द्र भ्रमर भारती साहित्य मन्दिर, फौब्बारा दिल्ली, पृष्ठ-210
10. काव्य चिन्तन विविध सन्दर्भ, डॉ० चन्द्र विद्या विहार 106 / 154, गाँधी नगर, कानपुर, 1989 पृष्ठ-47



भारत में आतंकवाद : इण्डियन मुजाहिदीन के विशेष परिप्रेक्ष्य में

डॉ अनुराग तिवारी*

भारत में आतंकवाद आज केवल कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा गया है वरन् यह महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी की तरह फैल चुका है।

यदि हम भारत में आतंकवाद के इतिहास पर नजर डाले तो भारत उसी दिन से आतंकवाद की आग में झुलझ रहा है जिस दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही को व्यवहारिक रूप दिया था। यह अलग बात है कि एक राजनीतिक ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता लेकिन इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में चले गये थे और लाखों की संख्या में लोग बेघर हुये थे। पाकिस्तान के बनने के बाद भी यह प्रक्रिया थमी नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विरोध के सिद्धान्त पर हुआ था और उसने अपने अस्तित्व और विदेशनीति का आधार ही भारत विरोध निर्धारित किया। इसका सबसे बड़ा माध्यम बना कश्मीर। हालांकि आतंकवाद के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भारत विरोध की मानसिकता ही है।¹

पाकिस्तान ने आतंकवाद के माध्यम से भारत को अस्थिर और विखण्डित करने का उद्देश्य बनाया और भारत को चारों ओर से खुफिया जाल से घेर लिया है और वह भारत के सम्पूर्ण भू-भाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा हुआ है। तोड़फोड़, हिंसक, एवं विधंसात्मक कार्यवाईयों के अलावा यह धर्म और जेहाद का नारा देकर मुसलमानों को तथा उनके माध्यम से भारत के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्रीयता के भाव को खण्डित करने का प्रयत्न करता रहता है। पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से मुसलमानों में भारत के खिलाफ उत्तेजना एवं उन्माद पैदा करना चाहता है। इस भाव को फैलाने में कट्टरपंथी तत्व और कुछ गैर जिम्मेदार तथा दिशाहीन युवक भी उनका साथ दे रहे हैं।²

आंकवादियों ने अब भारत के ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाया है जिससे भारत का मौलिक ढांचा बिखर सकता है। सन 2001 में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हुये हमले के बाद मुठभेड़ में मारे गये लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी से ऊर्दू में लिखा एक पत्र बरामद हुआ जिसमें लिखा था "लश्कर-ए-तैयबा : हम फिदाइन हैं। मैं एक फिदाइन हूँ तथा अल्लाह के नाम पर हम तब तक मारना और मरना जारी रखेंगे जब तक हम भारत में काफिरों को नष्ट नहीं कर देते और भारत पर विजय नहीं पा लेते।"³

*प्रवक्ता , राजनीतिशास्त्र।

अपनी इसी योजना को असली जामा पहनाते हुये पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बम विस्फोट करवाकर यह स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि उसका नेटवर्क कितना व्यापक है और वे भारत में किभी भी और कहीं भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। आतंकवादी देश की सबसे मानी वाली जगहों पर भी जब चाहे तब हमला कर सकते हैं। देश की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बंगलरु निवेश का उभरता हुआ केन्द्र अहमदाबाद और मुम्बई से सटी सिटी डायमण्ड सूरत में हुये हमले बताते हैं कि आतंकवादी अपने लक्ष्य, इरादे और रणनीति को लेकर कितनी सटीक सोच सकते हैं।⁴ भारत में एक के बाद हो रही आतंकवादी वारदातों ने हमारे देश-प्रदेश की सुरक्षा और खुफिया एजेन्सियों की प्रभावहीनता एवं खोखलेपन की पोल खोल कर रख दी है। स्पष्टतः आतंकवादियों के लिये भारत एक अभ्यारण बन कर रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में गोरखपुर, अध्योध्या, बनारस, दिल्ली, मालेगांव, बंगलुरु, जयपुर, अजमेर तथा मुम्बई में अनवरत एक के बाद एक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिसने सभ्य समाज को हिला कर रख दिया है। इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे पाने में सफलता के पीछे स्थानीय जनमानस के सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आतंकी घटनाओं का घटित स्वरूप सभी जगह समान रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जमीनी हकीमत की ओर से अपनी आंख मूंद ली है और शान्तिपूर्वक अगली घटना घटित होने का इन्तजार कर रहे हैं।⁵

खुफिया एजेन्सियों से मिल रही सूचना के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान आई0एस0आई0 की शह पर आतंकवादियों ने करीब 2500 एजेन्टों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया है। कुख्यात आतंकवादी संगठन "सिमी" पर सरकारी शिकंजा कड़ा हो जाने के बाद उसने अपने आप को छिपाने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये इण्डियन मुजाहिदीन के नाम से नया विनाशक अवतार लिया है।

इण्डियन मुजाहिदीन – ये 12 नेताओं का एक कोर ग्रुप है जिसमें अब्दुस सुभान करैशी उर्फ तौकीर के नाम से संगठन के सभी सदस्य परिचित है। संगठन के बाकी सदस्य गुपचुप रूप से सक्रिय है। स्टूडेण्ट इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया (सिमी) ने इस संगठन को इण्डियन मुजाहिदीन (आई0एम0) नाम देकर इसे भारतीय रूप देने की खतरनाक साजिश रची है। आतंक का पर्याय बन चुके इस संगठन का ढाँचा निम्न प्रकार है :-

काल ऑफ इस्लाम – सबसे बड़ा ग्रुप काल ऑफ इस्लाम है, ये लोग 35 साल से अधिक उम्र के हैं और देशभर में इनके 60,000 एजेन्ट हैं। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल में इनकी तादाद ज्यादा है इनके से कई प्रचारक, अध्यापक, प्रोफेसर, शिक्षाविद हैं जो ऊपर से तो कानून को मानने वाले नागरिक हैं लेकिन ये संगठन के कार्यकर्ताओं में कड़ी भूमिका निभाते हैं।⁶

इसवान (भाई) – ये दूसरे नम्बर का ग्रुप है। इसके 6,000 कोर सदस्य हैं। अधिकतर निष्क्रिय हैं जिन्हें खास उद्देश्य के लिए सक्रिय किया जाता है और अपनी दोहरी पहचान वाले रखने के लिये अकेले छोड़ दिया जाता है।

अंसार (सहायक) – इसके नीचे 550 सदस्यों का ग्रुप है जिसे अंसार (सहायक) कहा जाता है। अहमदाबाद और जयपुर विस्फोटों के सभी आरोपी "सफदर जागौरी" के सिवा इसी ग्रुप के हैं। ये हमले की साजिश रचते हैं और विस्फोटों के लिये बम रखते हैं और बमों के लिये कच्चा माल भी खरीदते हैं।

दब्बाइट फाल्कन – ये 5 से 10 साल के बच्चों की सूची तैयार करते हैं और उन्हें जेहाद के लिये शिक्षित करते हैं।

मुस्लिम ब्रदरहुड – ये हवाला और दूसरे तरीकों से संगठन के लिये फण्ड जुटाते हैं। इसके लिये ये खाड़ी देशों में काम कर रहे मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और जेहादी संगठनों से सम्पर्क करते हैं। माना जाता है कि इस संगठन के 10 लाख सूचीबद्ध नियमित चंदादाता हैं।⁷

हाल के वर्षों में यह संगठन भारतीय सुरक्षा के लिये सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है जिसकी छाप समझौता एक्सप्रेस से लेकर बंगलरु, जयपुर, अहमदाबाद और हाल में दिल्ली में हुये आतंकवादी हमलों में देखी जा सकती है। ऐन समय पर मीडिया संगठनों को ई-मेल करना और हमलों की जिम्मेदारी लेना इस संगठन की भयावह पहचान है। ये आतंकवादी हमले जहां एक तरफ भारत में फैल रहे आतंकवाद की जीती जागती तस्वीर है वहीं ये हमारी खुफिया एजेन्सी की नाकामी और आतंकवाद से निपटने में सरकार के लचर रुख की भी पष्टि करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 27 जुलाई को डेढ़ घंटे के भीतर 16 सीरियल बम धमाके हुये। इसके ठीक एक दिन पहले बंगलरु दहशतगर्दों के निशाने पर था। 28 और 29 जुलाई को सूरत में 12 से भी अधिक जगहों पर बम और विस्फोटक बरामद हुये। चार महीने में भारत के चार शहरों में लगभग 140 लोग मारे गये।

30 मई, 2014 को श्री अजीत डोभाल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सम्मानने के बाद भारत की सुरक्षा परिस्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।⁷ भारत के गृहमंत्री ने भी इस सम्बन्ध में दृढ़ रवैये का परिचय दिया है और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिये सख्ती से कदम उठाये हैं। भारत ने अपनी शान्ति एवं उदारता की छवि को बनाये रखते हुये भी अपनी आन्तरिक और बाह्य चुनौतियों से निपटने के लिये दृढ़ रवैया अपनाया है। कश्मीर में धारा 370 के हटने से जहां एक आतंकवादियों का मनोबल घटा है दूसरी तरफ पत्थरबाजी आदि की घटनाओं में कमी देखी जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आतंकवाद छ: दशक का छद्म युद्ध, डॉ० रहीस सिंह, इंडिया न्यूज, 24–30 मई, 2008, पेज 32–34.
2. आई०एस०आई० का आतंक, रामनरेश प्रसाद सिंह, शिवा प्रकाशन, पटना, पेज XIV.
3. इंडिया न्यूज, 24–30 मई, 2008, पेज 34.
4. द पब्लिक एजेन्डा, सितम्बर, 2008, लेख जोगिन्दर सिंह–पूर्व निदेशक, सी०बी०आई०.
5. सिविल सर्विसेज टाइम्स, सितम्बर, 2008, पेज 6.
6. इण्डिया टुडे, 1 अक्टूबर, 2008, पेज 3.
7. इण्डिया टुडे, 1 अक्टूबर, 2008 पेज 3.
8. <https://Wikipedia.org>



भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति : संभावनाये व सुझाव

डॉ इन्द्र कुमार चतुर्वेदी*

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व किया तथा भारत ने संयुक्त राज्य अथवा सोवियत संघ में से किसी के भी पक्ष में झुकना बेहतर नहीं समझा। इस दौरान भारत ने विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति की वकालत की, जिससे भारत के इंडोनेशिया सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए। 1967 में आसियान की स्थापना हुई, लेकिन 1970 के दशक में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ होने से दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भारत से दूर होते गए क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक-राजनीतिक विचारधाराओं में साम्य नहीं था। 1991 के पश्चात शीतयुद्ध की समाप्ति और आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत की नीति में परिवर्तन आया एवं भारत ने पूर्वी एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को अपनाया, जिसके तहत भारत सरकार ने आसियान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ एशिया प्रशांत के अन्य देशों के साथ भी संबंध सुदृढ़ करने की नीति अपनाई। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गयी थी। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य भारत के व्यापार की दिशा परिवर्ती देशों तथा भारत के पड़ोसी देशों से हटाकर उभरते हुए दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना था।

केन्द्र की एनडीए सरकार ने नवम्बर 2014 में म्यांमार के आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में पूरब की ओर देखो की नीति को पूरब में 'काम करो' (Act East Policy) के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस नीति को जब शुरू किया गया तो इसे एक आर्थिक पहल के तौर पर देखा गया, लेकिन अब इस नीति ने एक राजनीतिक रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत हासिल कर ली है, जिसके तहत विभिन्न देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक तंत्र की शुरुआत की गयी। भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ ही एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में साथ-साथ कार्य करने का निर्णय लिया गया।

Look east policy का ध्यान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ केवल आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना था, और इस नीति का क्षेत्र भी दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित था। दूसरी ओर, "पूरब की ओर" काम करो नीति" का ध्यान आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ सुरक्षा एकीकरण भी है, और साथ ही भारत व एशिया प्रशांत के बीच क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम में आर्थिक सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा संबंधों को नयी दिशा तथा गति प्रदान करना *असिओफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, नन्दिनी नगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नवाबगंज, गोण्डा

है। पूर्व की ओर काम करने की नीति का एक प्रभुत्व लक्ष्य भारत द्वारा ऐसे ढांचे का एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकास करना है ताकि व्यापक स्तर पर संचार स्थापित हो सके तथा भारत के साथ दक्षिण पूर्व के देशों के साथ भू-सामरिक सम्बन्ध को मजबूत किया जा सके।

भारत हमेशा से हिन्द महासागर तथा प्रशान्त एशिया क्षेत्र की महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त देखना चाहता है। चीन तेजी से आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत कर रहा है। वर्ष 2016–17 में भारत व आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 716 अरब डालर तक ही पहुंच पाया, जो 90 के दशक में केवल 9 अरब डालर था जबकि 2016 में चीन और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 45231 अरब डालर था। इस आंकड़े से स्पष्ट है व भारत को आसियान देशों के समक्ष चीन का विकल्प खड़ा करना है, तथा इस क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को रोकना है। इसका एक कारण यह है कि चीन के द्वारा जिस तरह से दक्षिण चीन सागर को हड्डपने का प्रयास किया जा रहा है, तथा वह जिस तरह से हिन्द महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है, इससे भी यह आवश्यक हो गया है कि भारत दक्षिण पूर्व देशों के साथ अपने संबंध को नया विस्तार दें।

लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार का उद्देश्य दक्षिण पूर्व देशों के साथ भू-सामरिक सम्बन्ध स्थापित करना नहीं था, न ही भारत द्वारा बांग्लादेश, म्यांमार श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया था। एकट ईस्ट पालिसी के तहत भारत ने इन देशों में ढांचागत विकास को आगे बढ़ाने हेतु भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। साथ ही ऐतिहासिक विरासतों सांस्कृतिक भाषायी तथा धार्मिक मान्यताओं को पुनःपरिभाषित करते हुए उन सभी क्षेत्रों से सम्बन्ध को एक नयी दिशा प्रदान करना है।

दक्षिण पूर्व देशों का महत्व भारत के लिए सिर्फ भू-राजनीतिक वजहों से ही नहीं है, बल्कि जिस रफ्तार से भारत आर्थिक प्रगति करना चाहता है इसके लिहाज से आसियान देश भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासतौर पर जब भारत अपने निर्यात के लिए बाजारों की तलाश कर रहा है। परिधान, कृषि उपकरण औषधि तथा वस्त्र जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए कम्बोडिया, लाओस तथा म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने के काफी अवसर हैं। इन्हीं क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एकट ईस्ट पॉलिसी एक खास मुहिम है। एकट ईस्ट पॉलिसी ने भारत आशियान देशों के बीच मौजूद इंफास्टक्चर-मेन्युफैक्चरिंग व्यापार, स्किल डेवलेपमेंट, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी जैसी पहल पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी देशों के साथ कई तरह के कनेक्टीविटी प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष तथा नागरिकों के बीच सम्पर्क बढ़ाना भी इसका मकसद है, ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास हो सके और लोग समृद्ध हों। एकट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक सहयोग सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना तथा रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। विदेश मंत्रालय की बेवसाइट के मुताबिक इस पॉलिसी में दक्षिण पूर्व को प्राथमिकता में रखा गया है। वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। ये मेहमान इसी नीति के तहत भारत के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने थे। पीएम मोदी कई बार एशियाई देशों के दौरे पर इस नीति का जिक्र कर चुके हैं। पूर्व की ओर 'काम करो नीति' की सफलता सुनिश्चित करने के लिए और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की आसियान देशों के साथ कनेक्टीविटी को विकसित करने पर भारत सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क व्यापार संस्कृति और भौतिक आधारभूत संरचना जैसे हवाई अड्डे, सड़क, बिजली, दूरसंचार को विकसित करने पर जोर दे रही है।

एशिया प्रशान्त क्षेत्र में जापान एक प्रमुख देश है, पिछले कुछ वर्षों से भारत के जापान के साथ संबंध अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। इस दिशा में जापान इण्डिया एकट ईस्ट फोरम की स्थापना की गयी है। भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी और एशियाई विकास बैंक द्वारा स्थापित जापान के पार्टनरशिप फार क्वालिटी इन्फास्टक्चर के बीच सहायता सुनिश्चित करने की

दिशा में कार्य करता है तथा इसे जापान की फ़ी एण्ड ओपेन इंडोप्रेसिफिक रणनीति से जोड़ता है। इसी प्रकार दिल्ली मैट्रो निगम तथा प्रस्तावित अहमदाबाद–मुम्बई बुलेट ट्रेन परियोजना में भी जापान भारत का प्रमुख सहयोगी है। साथ ही व्यापारिक, सामरिक क्षेत्र में दोनों देशों के हित एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों देशों को चीन को प्रति संतुलित करना है। इसी तरह आस्ट्रेलिया भारत का एक प्रमुख व्यापारिक तथा सामरिक साझेदार है जिसने गैर परमाणु कार्यों के लिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने का वादा किया है। एकट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने आसियान, आसियान क्षेत्रीय फोरम (ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), हिन्द महासागर एशोसियोसन (IORA), विम्स्टेक, एशिया सहयोग वार्ता (ACD) तथा मेकांग गंगा सहयोग (MGC) आदि संगठनों में निकट के कुछ वर्षों के भारत ने निर्णायक उपस्थिति दर्ज करायी है।

आसियान देश भी भारत के साथ मिलकर कृषि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी अंतरिक्ष पर्यावरण, मानव संसाधन विकास, नवीकरणीय उर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। थाईलैण्ड, वियतराम, इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस और ब्रुनेई आसियान देश के 10 सदस्य हैं, जिनके साथ भी भारत के संबंधों को क्रमशः रेखांकित करना आवश्यक है। सिंगापुर भारत और आसियान के बीच पुल की तरह है। आज यह पूर्व के साथ हमारे प्रवेश का मुख्य मार्ग है, यह हमारा प्रमुख आर्थिक साझेदार है, और महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी भी है। हमारी आर्थिक साझेदारी में दोनों देशों की प्राथमिकताओं का प्रत्येक क्षेत्र शामिल है। सिंगापुर भारत का प्रमुख गंतव्य और निवेश स्रोत है। आज हजारों भारतीय कंपनियां सिंगापुर में पंजीकृत हैं।

इण्डोनेशिया और भारत के बीच हिन्द महासागर में केवल 90 समुद्री मील की दूरी है, और रणनीतिक सहयोगियों के रूप में दोनों देशों का सहयोग राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। आसियान में इण्डोनेशिया हमारा लगातार सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी बना हुआ है। भारत और इण्डोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 70 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ा है।

कंबोडिया आसियान और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी और साझेदार है। 1981 में खमेर रूण की सत्ता समाप्त होने के बाद भारत पहला ऐसा देश था, जिसने वहां की नई सरकार को मान्यता दी थी। दोनों देशों ने अपने सहयोग का संस्थागत क्षमता विकास, मानव संसाधन विकास, विकासात्मक एवं सामाजिक परियोजनाएं, सांस्कृतिक आदान–प्रदान सैन्य सहयोग, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार किया है।

मलेशिया और भारत सामरिक साझेदार हैं तथा कई बहुपक्षीय व क्षेत्रीय मंचों में भी साझेदार हैं। आसियान में सम्मिलित मलेशिया भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरकर सामने आया है। मलेशिया भारत में निवेश करने वाला एक प्रमुख देश है, पिछले दस वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से ज्यादा बढ़ गया है। 2011 से भारत और मलेशिया के बीच विस्तृत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौता जारी है। यह समझौता इस अर्थ में अनोखा है कि इसने वास्तु व्यापार के क्षेत्र में आसियान से अधिक वचनबद्धताओं वाला प्रस्ताव पेश किया। सेवाओं के विनिमय में भी WTO से भी अधिक कारगर प्रस्ताव पेश किये। दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान को रोकने सम्बन्धी समझौते पर मई 2012 में हस्ताक्षर किये गये। सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2013 में समझौता हुआ, जिसमें हमारे व्यापार और निवेश सहयोग को और भी सुविधाजनक बना दिया।

फिलीपीन्स सबसे ऊँची विकास दर वाले दुनिया के प्रमुख देशों में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र में विशेष तौर पर भारत के साथ उसके संबंध बेहद मजबूत हैं। व्यापार और कारोबार की क्षमताओं की वजह से दोनों देशों में अनेक संभावनाएं हैं। समावेशी विकास और भ्रष्टाचार से संघर्ष के बारे में दोनों देश एकमत हैं। भारत यूनीवर्सल आईडी कार्ड, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग को सबकी पहुंच के दायरे में लाने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और नकदी विहीन लेन–देन को बढ़ावा देने के बारे में अपने अनुभवों को

फिलीपींस के साथ साझा कर रहा है। सभी को वाजिब दामों पर दवाएं उपलब्ध कराने की फिलीपींस सरकार की प्राथमिकता में भी भारत ने सहयोग का प्रस्ताव दिया है। आंतकवाद की चुनौती से निपटने के लिये भी दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं।

थाईलैण्ड आसियान देशों में से भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरकर सामने आया है और भारत में निवेश करने वाले प्रमुख आसियान देशों में एक है। भारत और थाईलैण्ड के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दश में बढ़कर दुगुने से अधिक हो गया है। दोनों देशों के संबंध कई क्षेत्रों में विस्तृत रूप से विकसित हुए हैं। थाईलैण्ड आसियान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा विम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों का संगठन) में हमारा घनिष्ठ सहयोगी तो है ही, मेकांग गंगा सहयोग एशिया सहयोग वार्ता और हिन्दू महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन में भी साझेदार है।

वियतनाम के साथ भारत के संबंध बढ़ते हुए आर्थिक और वाणिज्यिक संपर्कों को रेखांकित करते हैं। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार दस वर्षों में करीब 10 गुना बढ़ गया है। रक्षा सहयोग भारत और वियतनाम के बीच सामरिक साझेदारी के महत्वपूर्ण आहार स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आया है। विज्ञान और तकनीक दोनों देशों के बीच सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

म्यांमार के साथ भारत की 1600 किमी⁰ से ज्यादा लम्बी साझा जमीनी और समुद्री सीमा है। पिछले दशक में हमारा व्यापार दुगुने से भी अधिक बढ़ गया है। हमारे निवेश संबंध भी काफी सुदृढ़ हुए हैं। फिलहाल भारत की ओर से सहायता राशि 1.73 अरब डालर से अधिक है। भारत का पारदर्शी विकास सहयोग म्यांमार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार है, जिसका आसियान से जुड़ने के मास्टर प्लान यानी वृहद योजना के साथ पूरा तालमेल है।

लाओस और भारत के बीच संबंध व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। भारत के लाओस के विद्युत वितरण एवं कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दोनों देश अनेक बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं। यद्यपि दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार संभावनाओं से कम है लेकिन लाओस से भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने उसे ड्यूटी फी टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम की सुविधा दी हुई है।

ब्रुनेई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में दुगुने से ज्यादा हुआ है। भारत और ब्रुनेई संयुक्त राष्ट्र संघ गुटनिरपेक्षा आंदोलन, राष्ट्रमण्डल, आदि संगठनों के साझा सदस्य हैं। विकासशील देशों के रूप में मजबूत पारम्परिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर ब्रुनेई और भारत के विचारों में काफी हद तक समानता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आसियान स्वयं में एक महत्वपूर्ण आर्थिक भू-सामरिक जोन है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 644 मिलियन से ऊपर है, सभी देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद 2.7 ट्रिलियन डॉलर तथा औसत प्रति व्यक्ति आय 4200 डालर है, यदि भारत और आसियान देशों को संयुक्त रूप से देखा जाये तो इनकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डालर से अधिक है, जो कि अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था होगी, इसमें यदि दक्षिण कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड को शामिल कर लिया जाये तो इनकी कुल अर्थव्यवस्था दुनिया में शीर्ष पर होगी।

हाल के कुछ वर्षों में आसियान सहित अन्य दक्षिण पूर्व के कई देशों ने भारत के कई आर्थिक परियोजनाओं के संचालन में सहभागिता की है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास और आसियान संबंधों के संदर्भ में भी एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में नई सड़क, रेल लिंक परियोजनाओं के साथ-साथ रिवर नेविगेशन मल्टी- मॉडल परिवहन परियोजनाओं, औद्योगिक गलियारों की स्थापना करने जैसे प्रयासों के साथ ही हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देते

हुए अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे हॉट तथा स्थानीय बाजार, कृषि, बागवानी तथा चिकित्सा क्षेत्र आदि को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- * Radhika Rao, “RCEP and India: Weighing the benefits of Regionalism”, DBS focus, October 9, 2019.
- * “India-Asean Relations”- Ministry of External Relations, August 2018.
- * “Act East Policy” Economic times.com, Nov.3, 2019.
- * Infrastructure and Trade in Asia, Douglas H. Brooks and Jayant Menon.
- * Infrastructure for Integrating South and South East Asia, Michael G. Plummer, Peter J. Morgan and Ganeshan Wignaraja.
- * दैनिक जागरण, नई दिल्ली 1 जनवरी, 2018 |
- * प्रभात खबर, डिजिटल डेस्क, गुरुवार, 12 अक्टूबर 2017 |
- * आज तक, नई दिल्ली, 12 नवम्बर 2014 |
- * 21वीं शदी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पुष्टेश पंत, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण |



प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति

डॉ रणभद्र सिंह*

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति एक लम्बे समय तक विवाद का विषय रही है। उनकी स्थिति से सम्बन्धित विवाद का कारण यह नहीं कि हम जैविकीय मानसिक रूप से उन्हें दोषपूर्ण मानते हैं, बल्कि प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता और पवित्रता की संकीर्ण विचारधारा ही है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह स्वीकार कर दिया कि नारी में तो कुछ ऐसे जन्मजात दोष हैं जिसके कारण वह पुरुष के साथ समानता का दावा नहीं कर सकती है। रोबैक ने स्त्रियों में जन्म से ही अस्थिरता का दोष पाया जबकि फ्रायड ने तो यहां तक कह दिया कि ‘ये स्वीकार करना होगा कि स्त्रियों में न्याय की भावना बहुत कम होती है क्योंकि उनके मस्तिष्क में ईर्ष्या भरी हुई है।’ हमारे हिन्दू समाज में ऐसी कोई भ्रान्ति नहीं पायी जाती है। हमारी मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनके बारे में यह धारणा रही है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है इसके विपरीत जहाँ उनका अनादर होता है वहां समस्त कार्य असफल हो जाते हैं।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रताफला क्रियाः॥

नारी को पुरुष की अद्वागिनी के रूप में स्थान दिया गया है जिसके बिना किसी भी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। कन्या, पत्नी एवं माँ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी। उन्हें आदर और निष्ठा का प्रतीक माना गया जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही है। उनकी शिक्षा पर बल दिया गया और यह माना गया कि वह भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान का गुणगान किया गया है। सम्भता और संस्कृति के विकास में उनके उत्तरदायित्व की प्रशंसा हुई और यह माना गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उनके बिना असम्भव है। यह दुर्भाग्य की बात थी कि कालान्तर में हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ रुढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी जिसके परिणाम स्वरूप नारियों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। उनकी स्थिति हीन हो गयी वह पर्दे में रहने लगी और सार्वजनिक जीवन से उनका सम्बन्ध प्रायः नष्ट हो गया।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि उनकी सामाजिक स्थिति पुरुषों के समान थी। वैदिक समाज का यह आदर्श था कि नारी पुरुष की प्रकृति है जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। शिक्षा, धर्म और राजनीति में उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद के अध्ययन करने से विदित होता है कि

*सहायक प्रवक्ता, समाजशास्त्र, रामबली नेशनल पी0जी0 कॉलेज गोशाईगंज, अयोध्या।

कन्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक स्त्री जाति का सम्मान व सत्कार था। धार्मिक कृत्यों, सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों में वे पुरुषों की तरह भाग लेती थीं। पत्नी के रूप में वे घर की साम्राज्ञी होती थीं। सहधर्मिणी, गृहस्वामिनी एवं गृहणी जैसे शब्दों से उनके महत्व पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के नवम् मण्डल में कमनीय स्त्री एवं कमनीय कन्या की याचना की गयी है। धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिये गये हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि पत्नी को यज्ञ करने और अग्नि में आहुतियां देने का अधिकार था।⁴ इस ग्रन्थ के अनेक मंत्रों में यथाविधि विवाहित महिला की प्रशंसा है। अनेक ऐसे सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कन्याओं का विवाह परिपक्व आयु से होता था।⁵

वैदिक कालीन स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। कुछ वैदिक मंत्रों की रचना में स्त्री ऋषियों का ही योगदान था। विश्ववारा, लोपामुद्रा, सिकता और घोषा के नाम इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं। कुमारी गन्धर्वगृहीता को परम् विदुषी और भाषण में अत्यंत प्रवीण कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् में गार्गी वाचकनवी नामक एक विदुषी का उल्लेख है जिसने याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में भाग लेकर अपने जिज्ञासु प्रश्नों द्वारा सबको चकित कर दिया था।⁶ याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय अपने पति के साथ दार्शनिक वाद–विवाद में भाग लिया करती थीं।⁷

स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था और यज्ञोपवीत धारण करके वे भी गुरुकुलों में विद्याभ्यास किया करती थीं। अर्थव्येद में कन्या के ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का उल्लेख है।⁸ वैदिक कालीन समाज में स्त्रियाँ दो प्रकार की होती थीं। एक साध्वी वधू और दूसरी ब्रह्मवादिनी। पहली प्रकार की स्त्रियाँ एक निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करके विवाह के पवित्र सूत्र में बंधकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थीं परन्तु दूसरी प्रकार की स्त्रियाँ आजीवन शिक्षा प्राप्त करती रहती थीं। उन्हें प्रमुख रूप से वेद तथा विभिन्न कलाओं की शिक्षा में पारंगत किया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन का पूर्ण अधिकार था और विवाह के समय स्त्री की इच्छा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। धर्मकार्य में स्त्री का इतना महत्व था कि बिना पत्नी के न तो धार्मिक संस्कार पूरे किये जा सकते थे और न ही स्वर्ग प्राप्ति की सम्भावना की जा सकती थी। शतपथ ब्राह्मण के विवरण से ज्ञात होता है कि बिना पत्नी के यज्ञ अपूर्ण समझा जाता था।⁹ स्त्री को जाया कहे जाने का तात्पर्य यह है कि स्त्री अपने पति को दूसरा जन्म देती थी।

वैदिक समाज में परदे की प्रथा का सर्वथा अभाव था। स्त्रियाँ न अपने ज्येष्ठ और न ही श्वसुर आदि से पर्दा करती थीं। जब वधू विवाह के बाद पति के घर में प्रवेश करती थी तो वहाँ सभी पारिवारिक जनों तथा आगन्तुकों से उसका परिचय कराया जाता था और उसके सौभाग्यवती रहने की कामना की जाती थी।¹⁰ नव वधू को आशीष देकर कहा जाता था कि 'हे वधू! अपनी सास और ससुर को प्रसन्न कर लो, ननदों तथा पति के बन्धुओं के मध्य रानी की तरह शोभायमान हो।'¹¹ साधारणतयः समाज में एक पत्नीकता का नियम था परन्तु राजाओं तथा उच्च एवं धनी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करते थे।¹² बहुपत्नीक विवाह को प्रायः अशान्ति का मूल कारण समझा जाता था। स्त्रियों को स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने और सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करने के अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि विधवा विवाह पर सामाजिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं था लेकिन स्त्रियाँ स्वयं ही ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन नहीं देती थीं। समाज में स्त्रियों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप था और उनकी रक्षा करना सबसे बड़ी वीरता थी। यद्यपि इस समय पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था लेकिन ऐसा केवल धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण से ही था।

ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाल में स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ प्रसंग उनकी हीन स्थिति का संकेत देते हैं। उदाहरणार्थ स्त्रियों का हृदय भेड़ियों का हृदय कहा गया।¹³ स्त्रियों का जुएं और शराब के साथ वर्गीकरण किया गया।¹⁴ एक अन्य स्थल पर कहा गया कि स्त्रियाँ बिना शक्ति की हैं, उन्हें दाय नहीं मिलता, वे दुष्ट से भी बढ़कर दुर्बल ढंग से बोलती हैं।¹⁵

इस तरह के उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकालना ठीक न होगा कि स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से निम्न हो चुकी थी। कुछ उदाहरणों को अपवाद कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इसे विशेष नियम के रूप में देखना तर्कसंगत नहीं है।

महाकाव्यों में सीता, सावित्री, देवयानी, कुन्ती, द्रौपदी, उत्तरा आदि प्रतिष्ठित स्त्रियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कन्याओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। रामायण में अत्रेयी का नाम मिलता है जिसने वेदान्त का अध्ययन किया था। कौशल्या, तारा और सीता वैदिक मन्त्रों की ज्ञाता थीं। धार्मिक क्रिया-कलापों में स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ बैठकर उन्हें पूर्ण सहयोग देती थीं। याज्ञिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। इस सम्बन्ध में राम द्वारा सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ के अवसर पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करने का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। मांगलिक अवसरों पर उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी। उनको राजमहन में स्थान दिया जाता था और वे राजा के पास मंगल के लिए तथा स्पर्श करने योग्य सामग्रियां ले जाती थीं।¹⁵

महाभारत के अनके उद्धरणों से पता चलता है कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों का पूर्ण अधिकार था। पत्नी के रूप में वह पुरुष की अर्धांगिनी और गृहणी के रूप में वह समस्त सुखों का स्रोत मानी जाती थी।¹⁶

स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उससे स्नेह के व्यवहार को आवश्यक बताया गया है।¹⁷

ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत एक क्रान्ति का काल था और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं की तरह स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। उदाहरणार्थ जब अनुशासन पर्व में एक स्थान पर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से स्त्रियों की प्रकृति के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो भीष्म ने बतलाया कि ‘स्वभाव से स्त्री में लालच को दबाने की क्षमता नहीं होती और इसलिये उसे सदैव किसी पुरुष का संरक्षण मिलना आवश्यक होता है। फिर भी स्त्रियाँ दो प्रकार की होती हैं— साध्वी और असाध्वी। साध्वी स्त्रियाँ पृथ्वी की माता और असाध्वी स्त्रियाँ अपने पापपूर्ण कार्यों से कहीं भी पहचानी जा सकती हैं।¹⁸ एक अन्य स्थान पर उल्लेख मिलता है कि पुत्री आपत्ति थी और अपने माता-पिता और तीनों के कुलों के लिए संकट थी।¹⁹ इससे यह स्वष्ट होता है कि स्त्रियों के व्यवहारों पर कुछ नियंत्रण लगना आवश्य आरम्भ हो गया था लेकिन फिर भी इस काल में स्वयंवर प्रथा के द्वारा स्त्री का विवाह होने और वेदों का अध्ययन करने के आधार पर उसकी उच्च सामाजिक स्थिति को प्रमाणित किया जा सकता है। व्यवहार में स्त्रियाँ अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करती रहीं।

बौद्ध युग में स्त्रियों की स्थिति में यद्यपि ह्लास होने लगा था लेकिन स्त्री शिक्षा का प्रचार था और अनेक स्त्रियाँ सम्मानित पद प्राप्त करती थीं। एक ओर थेरी गाथा में बहुत सी ऐसी थेरियों का उल्लेख मिलता है जो कवियत्री थीं और 18 ने वैवाहिक जीवन के बाद भी भिक्षुव्रत धारण कर लिया था। कुछ नारियां और भिक्षुणियां अपने ज्ञान और तर्क के लिये काफी चर्चित थीं। इनमें खेमा, सुभद्रा, अमरा, उदुम्बरा, जयन्ती, सुभा, सुमेधा, अनोपमा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। भिक्षुणी खेमा की ख्याति सुनकर ही कोशल नरेश प्रसेनजित् उसकी सेवा में गये थे। विदुषी जयन्ती ने स्वयं जैन धर्म के 24 वें तीर्थकर महाबीर स्वामी से वाद-विवाद किया था। सुभद्रा अपने व्याख्यानों और उपदेशों में अमृत की वर्षा करने के लिए विख्यात थी। इस काल में स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करतीं और अपनी विद्वता के लिए काफी विख्यात थीं। दिव्यावदान में स्त्री छात्राओं का उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर स्त्रियों के साथ अपमानपूर्वक व्यवहार के भी उदाहरण मिलते हैं। थम्मपद और थेरीगाथा के विवरण के अनुसार सासों के अपमान पूर्वक व्यवहार के कारण उनका जीवन कष्टमय हो जाता था। उन्हें घरों में पीटने, डाटने और अनेक प्रकार की यातनायें देने के उल्लेख मिलते हैं।²⁰ उन्हें राक्षसी तक कहा गया है।²¹ समाज में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्वयं महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी किन्तु बाद में उन्होंने उन्हें संघ-प्रवेश की आज्ञा देते हुए उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये थे। परन्तु इन विवरणों के आधार पर स्त्रियों की हीन दशा के सम्बन्ध में अनुमान

लगाना ठीक प्रतीत नहीं होता। अनेक ऐसे विवरण भी मिलते हैं जो स्त्रियों के सम्मानजनक स्थिति का संकेत करते रहे। स्त्रियों के स्तर पर वैदिक काल की अपेक्षा गिरावट अवश्य आयी थी लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से हीन नहीं कहा जा सकता। उनके साथ दुर्घटवहार के जो बिखरे हुए थोड़े बहुत विवरण मिलते हैं वे केवल अपवाद स्वरूप हैं।²²

मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं थी।²³ अशोक के अभिलेखों में उनमें प्रचलित अन्ध विश्वासों का उल्लेख हुआ है। अर्थशास्त्र में दुराचारिणी पत्नियों को दण्ड देने के लिये कठोर नियमों का निर्धारण हुआ है। अपने पति की इच्छा के विरुद्ध धृष्टता पूर्वक क्रीड़ा में भाग लेने वाली अथवा मदिरापान करने वाली के लिए 3 पण का अर्थदण्ड, बिना पति की आज्ञा के दसरी स्त्री से भेंट करने के लिए उसके घर जाने वाली स्त्री को 6 पण का अर्थदण्ड, किसी पुरुष से भेंट करने पर 12 पण का अर्थदण्ड देने का विधान किया गया था। कौटिल्य स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने और मेगस्थनीज उन्हें दार्शनिक ज्ञान देने के पक्ष में नहीं था। परन्तु उन्हें विधवा विवाह, सम्बन्ध-विच्छेद, पारिवारिक सम्पत्ति के दाय तथा विवाह के सुअवसर पर प्राप्त दहेज और उपहारों के अधिकार प्राप्त थे। कौटिल्य ने यह व्यवस्था दी है कि स्त्री अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकती हैं। स्त्री-हत्या के अपराध को ब्रह्म-हत्या की तरह माना जाता था। स्त्रियों का कुछ ऐसा भी वर्ग था जो अधिक श्रेष्ठ था। मेगस्थनीज के अनुसार कुछ स्त्रियाँ रथपर, कुछ अश्वों पर तथा कुछ हाथियों पर चढ़ती थीं और प्रत्येक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहती थीं। अनेक स्त्रियाँ राज्य में गुप्तचर और निरीक्षिका का कार्य करती थीं। उन पर सैनिक और अंगरक्षक का कार्य भार भी रहता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शरीर रक्षा का भार सशस्त्र स्त्रियों पर होता था। कतिपय स्त्रियाँ भिक्षुणी होकर धर्म-प्रचार के कार्य में हाथ बंटाती थीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. याज्ञ0, 2.98 एवम् मिताक्षरा टीका।
2. ऋग्वेद, 7.4.8
3. ऋग्वेद, 1.1247
4. आपस्तम्ब धर्म0स०, 2.14.2–4
5. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 3.5
6. याज्ञ., 2.135
7. बृहंक्षरण्यकोपनिषद, 15.35, नारद0, 13.50
8. नारद पुराण, 13.15
9. नारद पुराण, 13.13
10. विष्णु पुराण, 2.135–36
11. मनुस्मृति, 9.194
12. याज्ञवल्क्य, 2.147
13. मनुस्मृति, 9.192–93
14. याज्ञवल्क्य, 2.117


15. याज्ञवल्क्य, 2.144
16. विष्णु पुराण, 17.19–21
17. दायभाग
18. पराशरसंहिता, 3.552
19. कात्यायन0, 912–920
20. मिताक्षरा
21. गौतम0, 28.15
22. मिताक्षरा
23. मनुस्मृति, 9.198
24. महाभारत, शान्तिपर्व, 148.2
24. मनुस्मृति, 5.157–160
25. अथर्ववेद, 18.2.1
26. महाभारत आदि पुराण, 95.65
27. विष्णु पुराण, 5.38.2
28. महाभारत, शान्तिपर्व, 148.8–9
29. रामायण, 7.17.14,33
30. गाथा0, 7.32
- 31.कामसूत्र, 6.3.53
- 32.बृहस्पतिसंहिता, 74.16
- 33.कुमारसम्भव, 4.34
- 34.भागवत पुराण,, 1.13.57
- 35.राजतरंगिणी, 6.107, 195,7.103, 478
36. Fleet, Gupta, Inscriptions, P. 91
- 37.I.A. 9, Pl 164
- 38.E.I., 14, P. 265, 267
- 39.Ibid, 20, P. 58
- 40.मेधातिथि, मनु0, 5.157
- 41.स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार काण्ड, पृ0 598
- 42.ऋग्वेद, 10.85.33
- 43.ऋग्वेद, 1.85.26, अथर्ववेद, 2.36.1, 14.1.22



भूमि उपयोग प्रतिरूप : शाहाबाद (बिहार) के संदर्भ में

डॉ उमेश कुमार सिंह*

भूमि उपयोग—पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मानव द्वारा किए जानेवाले उपयोग को दर्शाता है। सामान्यतः भूमि पर किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करने के लिए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, परती, चारागाह, इत्यादि वर्गों में बाँटा जाता है। यदि तकनीकि भाषा में कहें तो “भूमि उपयोग को किसी विशिष्ट भू – आवरण प्रकार की रचना परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया गया है। (1) सर्वप्रथम डडले स्टाम्प महोदय द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में सन 1930 में भूमि – उपयोग सर्वेक्षण किया गया था। (2) भारत में भूमि – उपयोग से सम्बंधित कार्य भारत सरकार के “ग्रामीण विकास मंत्रालय” के अन्तर्गत भूमि – संसाधन विभाग” द्वारा किया जाता है। वही राष्ट्रीय स्तर पर भूमि – उपयोग से सम्बंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित “राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एंव भूमि उपयोग नियोजन, ब्यूरो” नामक संस्था द्वारा किया जाता है इस संस्था द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों के ‘भूमि – उपयोग मानचित्र’ प्रकाशित किए जाते हैं।



भूमि – उपयोग वर्गीकरण:—भारत में ग्रामीण भूमि उपयोग प्रतिरूप नागरीय भूमि – उपयोग प्रतिरूप से पूर्णतः भिन्न होता है, भारत में ग्रामीण भूमि उपयोग कि विभिन्न श्रेणियाँ इस प्रकार हैं।

- (1) वन
- (2) बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
- (3) गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
- (4) कृषि योग्य बंजर भूमि
- (5) स्थायी चारागाह एंव पशुचारण
- (6) वृक्षों एंव झाड़ियों के अन्तर्गत भूमि
- (7) चाल – परती भूमि
- (8) अच्य परती भूमि
- (9) शुद्ध बोया गया क्षेत्र
- (10) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र

बिहार में भूमि उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप अनेक भौतिक एंव आर्थिक सामाजिक तत्वों का परिणाम है। धरातलीय दशा जलवायू मिट्टियों आदि प्राकृतिक तत्वों ने इसे प्रभावित किया हैं इसके साथ ही मानवीय तत्वों का भी इसपर गहरा प्रभाव है बिहार प्रांत के भूमि उपयोग में कृषि की प्रधानता है। यहाँ कुल भूमि के लगभग दो तिहाई भाग पर कृषि कार्य किया जाता है राज्य के कुल 174 लाख हेक्टेयर भूमि में से 108 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है।

शाहाबाद का भूमि – उपयोग प्रतिरूप :—शाहाबाद का बिहार में राजनीतिक एंव आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं 1972 के पूर्व शाहाबाद बिहार का एक जिला था जिसे 1972 में दो भागों कमशः भोजपुर एंव रोहतास में विभक्त कर दिया गया। 1991 में भोजपुर जिले को विभाजित करके बक्सर तथा रोहतास को विभाजित करके कैमूर जिला बना दिया गया। वर्तमान में बिहार के दक्षिण – पश्चिम के चार जिलों कमशः भोजपुर – रोहतास – बक्सर एंव कैमूर को सम्मिलित रूप से शाहाबाद क्षेत्र कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व एंव उसके बाद शाहाबाद के भूमि उपयोग प्रारूप में काफी परिवर्तन हुआ है। मुगलकाल में गंगा के इस मैदानी भाग पर सघन वनों का विस्तार था किन्तु बाद में वनों को काटकर उसे खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया। वर्तमान में शाहाबाद के दो जिलों रोहतास (14.52%) एंव कैमूर (32.83%) में ही वनों का विस्तार है। शुद्ध – बोया गया क्षेत्र 1958 – 59 में 46% था जो 1990 – 91 में घटकर 43.83 % रह गया, 2000 – 01 में बिहार विभाजन के बाद यह बढ़कर 63.23% हो गया है। 1959 – 59 से लेकर वर्तमान तक भूमि उपयोग के हर पहल में परिवर्तन हुआ है। इसका विवरण निम्न प्रकार है –

बिहार में भूमि उपयोग तालिका

क्रम	जिलों का नाम	कूल क्षेत्रफल वर्ग हेक्टेयर में	शुद्ध बोया गया क्षेत्र % में	गैर – कृषि कार्य में सलग्न भूमि % में	चालू परती भूमि % में	ऊसर एंव गैर – कृषि योग्य भूमि % में	चारागाह एंव बाग वृक्ष % में	कृषि योग्य बंजर भूमि % में	वन क्षेत्र में
1.	भोजपुर	2, 37, 439	79.00	13.13	3.63	3.53	0.42	0.29	-
2.	बक्सर	1, 62, 499	80.38	9.29	7.92	0.20	1.87	0.34	-
3.	रोहतास	3,82,872	68.22	12.37	2.11	1.40	0.40	0.42	14.52
4.	कैमूर	3, 42, 447	40.24	8.53	16.10	1.69	0.19	0.48	32.83

वन क्षेत्र :—शाहाबाद के मात्र दो जिलों में वनों का विस्तार है कैमूर (32.83%) बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है जबकी रोहतास के (14.52%) क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। शेष दो जिले भोजपुर एंव बक्सर में वन क्षेत्र नगण्य हैं।

बंजर तथा कृषि – अयोग्य भूमि :—इसके अन्तर्गत सर्वाधिक (3.53%) क्षेत्र भोजपुर में आता है जबकि कैमूर में (1.69%) रोहतास में (1.40%) एंव सबसे कम बक्सर में मात्र (0.20%) क्षेत्र बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत आता है।

और कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि:— शाहाबाद के विभिन्न जिलों में इसका प्रतिशत अलग 7 अलग है। सर्वाधिक प्रतिशत भोजपूर (13.13%) में है इसके बाद कमशः रोहतास में (12.37:) बक्सर में (9.29%) एवं कैमूर में न्यूनतम (8.53%) हैं।

कृषि योग्य बंजर भूमि:—बिहार में इसका प्रतिशत मात्र (0.48%) है। शाहाबाद में इसका सर्वाधिक प्रतिशत कैमूर में (0.48%) है इसके बाद कमशः रोहतास में (0.42%) बक्सर में (0.34%) एवं भेजपूर में सबसे कम मात्र (0.29%) है।

स्थाई चारागाह एवं पशुचारण :—शाहाबाद में इसका सर्वाधिक विस्तार बक्सर में (1.87%) क्षेत्र पर है इसके बाद कमशः भोजपूर में (0.42%) रोहतास में (0.40%) एवं कैमूर में (0.19%) है।

चालू परती भूमि एवं अन्य परती भूमि:—जिस कृषि भूमि पर चालू वर्ष में कृषि कार्य नहीं होता उसे चालू – परती भूमि कहा जाता है। जबकि अन्यपरती भूमि के अन्तर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जहाँ एक से पाँच वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इसके अन्तर्गत शाहाबाद में सर्वाधिक प्रतिशत कैमूर में (16.10%) है जबकि बक्सर में यह (7.92%) भोजपूर में (3.63%) एवं रोहतास में मात्र (2.11%) है।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र :— इसके अन्तर्गत कृषिगत भूमि आती है 2001 में सम्पूर्ण बिहार में इसका प्रतिशत (63.23%) था किन्तु शाहाबाद के विभिन्न जिलों में इसका प्रतिशत अलग – अलग है जो बक्सर में सर्वाधिक (80.38%) है इसके बाद कमशः भोजपूर में (79.00%) रोहतास में (68.22%) तथा सबसे कम कैमूर में (40.24%) हैं।

सन्दर्भ –

- (1) तिवारी आर०सी० (2013) भारत का भूगोल इलाहाबाद, प्रवालिका प्रकाशन
- (2) भूमि उपयोग (संदर्भ) Archived 16 दिसम्बर 2014
- (3) शाहाबाद गजेटियर – 1666
- (4) बसंत सुरेशचंद्र भारत का वृहत भूगोल – मीनाक्षी प्रकाशन
- (5) भूगोल और आप: पुस्तकालय संस्करण 2003 – 2011
- (6) आर्थिक समीक्षा : बिहार सरकार
- (7) विक्कीपीडिया: शाहाबाद का इतिहास



आतंकवाद—एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ० ममता शुक्ल*

समाज में उत्पन्न एक ऐसी समस्या जो समाज के एक बड़े खण्ड या बड़े हिस्से को प्रभावित करती है तथा जिसका हानिकारक परिणाम होता है, सामाजिक समस्या कहलाती है। निर्धनता, जनसंख्या विस्फोट, युद्ध, असंतोष, आतंकवाद आदि सामाजिक समस्या के ही कुछ उदाहरण हैं। सम्पूर्ण विश्व इस समय आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्या से ही ग्रस्त है और विश्व जनसंख्या के लगभग एक तिहाई लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं। सभी समाचार पत्र प्रतिदिन आतंकी गतिविधियों की खबरें छापकर उनकी आलोचना, समालोचना तथा समीक्षा करते हैं। आतंकवादी घटनाओं के फलस्वरूप प्रतिवर्ष अरबों—खरबों रूपये का नुकसान होता है। जैसे—जैसे विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उसी गति एवं तीव्रता के साथ आतंकवादी संगठनों एवं गतिविधियों में भी विकास देखा जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक केन्द्रों (औद्योगिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक) को निशाना बनाया जा रहा है अगर इसी तरह इन्हें किसी स्थानिक या क्षेत्रीय समस्या समझकर अनेदेखा करेंगे तो आने वाले समय में यह सामाजिक समस्या पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगी।

आतंकवाद का अर्थ एवं संकल्पना

अंग्रेजी शब्द टेररिज्म की मूल जड़ फ्रांसीसी भाषा से उद्भूत हुयी है। फ्रांसीसी भाषा के टिरोराइस्ट शब्द से टेररिज्म की व्युत्पत्ति हुयी है जिसका प्रयोग फ्रांसीसी क्रान्ति (1795–1798) के समय किया गया था।

टेरर शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है आतंक तथा अब टेररिज्म (आतंकवाद) व टेररिस्ट (आतंकवादी) शब्द सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है।

परिवार, समाज, राष्ट्र या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित नियमों, कानूनों के विपरीत किया जाने वाला आचरण या व्यवहार जो बलपूर्वक किया जाए अथवा कराया जाए, आतंक के दायरे में रखा जाता है। अर्थात् आतंकवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसे समाज द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। आतंकवादियों का मूलमंत्र हिंसा है जिसके द्वारा अकारण जबरदस्ती भय पैदा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अर्थात् यह वह तरीका है जिसमें लोग दहशत में आकर वह कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं जो आतंकवादी चाहते हैं।

1990 के दशक में आतंकवाद को परिभाषित करने की दिशा में स्टीफेन इगलर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद की परिभाषा आंतकवादी गतिविधियों के लक्षण और उसके परिणाम के आधार पर दी जा सकती है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, श्री एल० बी० एस० डिग्री कालेज, गोण्डा।

स्टीफेन एगलर के अनुसार

1. आतंकवादी कार्य या कार्यवाहियों के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं— प्रथम प्रचार का कौशलपूर्ण प्रयोग जैसे कि एक बम विस्फोट हजारों भाषणों व चित्रों से अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है और इससे अधिकाधिक लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, द्वितीय अपनी मांग या मागों की मान्यता और वाँछित लक्ष्य की पूर्ति, पूर्ण परिवर्तन, आजादी, स्वतंत्रता या क्रांति हेतु प्रयास।
2. आतंकवाद में हमेशा आपराधिक कार्य या गतिविधि निहित होती है। जैसे हिंसा का प्रयोग या हिंसा की धमकी, हत्या, अपहरण, सम्पत्ति की क्षति, बम विस्फोट आदि।
3. आतंकवादी किसी की भी, कहीं भी, क्रोध या घृणा से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से हत्या कर देने की स्थिति में होने का प्रदर्शन करते हैं।
4. आतंकवाद युद्ध नहीं है जिसमें कि परम्परानुसार कुछ वर्ग के लोगों को उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। आतंकवादी उन सभी परम्पराओं की उपेक्षा करते हैं जो तटरथ क्षेत्रों, युद्धों, युद्ध बन्दियों आदि के संबंध में स्वीकृत होती है।
5. आतंकवाद में आश्चर्य का तत्व निहित होता है। आतंकवादी गतिविधियां पूर्व नियोजित होती हैं।
6. बलवे में आतंकवाद की कोई भूमिका नहीं होती है यद्यपि दोनों में हिंसा का तत्व आ जाता है। बलवे में ब्लैकमेल का तत्व नहीं रहता है जबकि आतंकवाद में धमकी के रूप में ब्लैकमेल का तत्व उपस्थित रहता है।
7. आतंकवाद में मांगों की पूर्ति त्वरित चाही जाती है अन्यथा हिंसा की जो धमकी दी जाती है, उसे आतंकवादी पूर्ण करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं रखते हैं।
8. आतंकवादी कभी अकेला एक व्यक्ति नहीं होता है।
9. आतंकवाद में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, लेकिन वामपंथी आतंकवाद अधिक भयावह व क्षतिकारक होता है।
10. आतंकवादी अपने द्वारा की गयी हिंसा का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं।
11. आतंकवाद में आतंक का स्थल तय किया जाता है। उसमें यह बात कोई अर्थ नहीं रखती है कि उनकी गतिविधि से कितने निर्दोष व्यक्ति मारे जाएंगे या पीड़ित होंगे। दहशत फैलाना आतंकवाद का एक मुख्य तत्व होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 27 वें अधिवेशन, 1972 में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या पर यह विचार प्रस्तुत किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जिन निर्दोष मानव जिन्दगियों को नष्ट करता है या संकट में डालता है या मूलभूत स्वतंत्रताओं को खतरे में डालता है, को रोकने के उपाय किये जाने चाहिए तथा आतंकवाद व हिसंक कृत्यों में अन्तर्निहित उन कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए जो कुछ व्यक्तियों को स्वयं के जीवन सहित अन्य मानव जिन्दगियों को बलिदान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं—

- (1) आतंकवाद के उन कारणों का पता लगाना जो व्यक्ति की अन्तरात्मा को इस कृत्य के लिए उकसाते हैं। या आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण।
- (2) वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस सामाजिक समस्या को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- (3) आतंकवादी घटनाओं का आम व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन विधि

शोध के द्वितीयक स्रोतों के सामग्री विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययनों परान्त आतंकवाद के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का विवरण प्रस्तुत है –

आतंकवाद के कारण

विश्व में आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्तर्गत भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यामार, नेपाल आदि। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अन्तर्गत अफगानिस्तान, चेचन्या, ईराक, ईरान, कुवैत इजराइल, फ़िलिस्तीन, तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीप में फ़ीजी प्रमुख हैं। भारत में प्रमुख रूप से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अन्ध्रप्रदेश हैं। पाकिस्तान का पंजाब एवं रिंध प्रदेश, अफगानिस्तान में मकरान की पहाड़ियां, श्रीलंका का उत्तरी भाग, म्यामार में आराकान पहाड़ियां इत्यादि। इन क्षेत्रों में ऐसे कौन-कौन से कारक आतंकवादी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं, इन पर अध्ययन के पश्चात निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इसके लिए भौतिक परिप्रेक्ष्य (धरातल), सामजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक प्रमुखतः उत्तरदायी हैं। जिनमें से हमारे अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मनोवैज्ञानिक कारकों का विस्तृत अध्ययन करना है। आतंकवाद के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं—

1. भौतिक कारक

आतंकवाद के क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जहां का धरातलीय उच्चावच असमान है वहां पर आतंकवादी अड्डे अधिक पाये गये हैं क्योंकि वह आतंकवादियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त स्थल होता है। वहां छिप जाने के बाद उनके ऊपर कोई सैन्य कार्यवाही कठिन होती है। जम्मू और काश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख कारण वहां स्थित पहाड़ियों एवं खाइयों से युक्त विषम भूक्षेत्र का होना ही है। ऐसे ही अन्य स्थलों पर धरातल का उच्चावच वहां के फल फूल रहे आतंकवाद को एक आधार प्रदान करता है।

2. सामाजिक कारक

हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक विषमताएं, आतंकवाद के उद्भव एवं पोषण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जब समाज में असमानता का जन्म होता है, तो इस स्थिति से असन्तुष्ट होकर उसके विरुद्ध एक आन्दोलन की शुरुआत होती है, जिसका मूल उद्देश्य उस स्थिति के प्रति अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है और धीरे-धीरे जब समाज में यह विसंगति की स्थिति लगातार बनी रहती है तो उससे आतंकवाद का जन्म होता है। यह सत्य है कि आतंकवादी किसी के नहीं होते क्योंकि सर्वप्रथम उनका कहर अपने समुदाय या सम्पर्क में रहने वालों पर ही होता है। किन्तु बाद में उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जाने या अनजाने में सम्बर्गीय संरक्षण मिलने लगता है। फलतः आतंकवादियों की जड़े मजबूत होकर आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिपत्य जामाने लगती हैं।

3. धार्मिक कारक

जब समाज में धर्मान्धता का बोल बाला हो जाता है तो धर्म के नाम पर लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी विशेष धर्म के प्रवर्तक, जो वास्तव में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार तो करते हैं वरन् दूसरे धर्मों की आलोचना पर अधिक समय देते हैं। जब इन धर्म के पुजारियों द्वारा जो कि वास्तव में अपने स्वार्थ सिद्धि से अविभूत होते हैं, अपने अनुयायियों में धर्म के नाम पर कट्टरता का प्रचार किया जाता है, उग्र रूप धारण करके येन-केन प्रकारेण अपनी धार्मिक विचारधारा को दूसरों पर थोपने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब धीरे-धीरे आतंकवाद की नींव पड़ने की शुरुआत होती है।

4. आर्थिक कारक

आतंकवाद का वर्तमान परिदृश्य आर्थिक विषमता का परिणाम है। महत्वाकांक्षा के कारण व्यक्ति सम्प्रभुता प्राप्ति के लिए किसी भी तरीकों को, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, स्वीकृति दे देता है। उदाहरणार्थ— विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं की चोरी, तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार अवैध शाराब व्यवसाय, अवैध हथियार व्यापार आदि। ऐसे लोगों का एक संगठित तंत्र सारी दुनिया में स्थापित है। जो ऐसे व्यवसाय को आतंक के बल पर सुरक्षित करते हैं व मजबूत बनाते हैं। बेरोजगारी आर्थिक कारक का एक ऐसा पहलू है जो देश के भावी कर्णधार अर्थात् युवावर्ग को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें यह एक सरल तरीका भी दिखायी पड़ता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का।

5. राजनैतिक कारक

विश्व का राजनैतिक परिदृश्य, दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, कथनी करनी में अन्तर, प्रशासनिक एवं राजनैतिक स्तर पर स्वयं के कार्य सिद्धि हेतु आतंकवादियों को संरक्षण एवं आतंकवाद के प्रति नरम रख आदि आतंकवाद के उद्भव एवं विकास का सबसे बड़ा कारण है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र, विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों पर अपना अधिपत्य बनाये रखने के लिए उनकी बाह्य सीमाओं एवं आन्तरिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करते रहते हैं, जो आगे चलकर सामाजिक समस्या के रूप में समाज को खोखला करती हैं। इन्ही सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या आतंकवाद की है। उदाहरणार्थ—भारत के जम्मू—कश्मीर की आतंकी समस्या विकसित राष्ट्रों की देन है। इस प्रकार भारत के अंदर विभिन्न आतंकवादी गतिविधियाँ, राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति व राजनैतिक तालमेल के अभाव के कारणों से समाप्त नहीं की जा सकी हैं।

6. संस्कृतिक कारक

कुछ लोग ऐसी संस्कृति में पलते—बढ़ते हैं, जहाँ सृजनात्मक विचार, उच्च मूल्यों एवं लक्ष्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता जिससे न केवल जीवन मूल्यों के अवमूल्यन से हमारी सामाजिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय प्रतिमान प्रभावित होते हैं बल्कि मानवता का भी नैतिक पतन होता है। मानव मूल्य मानव जीवन को दिशा प्रदान करने के साथ—साथ उसके स्वरूप को सुन्दर रूप प्रदान करते हैं। मानवता, दया, उदारता, क्षमा, स्नेह, प्रेम, परोपकार, सद्भावना, अहिंसा, करुणा, धर्माचरण, तप—त्याग, सहानुभूति, संवेदनशीलता, शील, सदाचार, राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान इत्यादि मूल्य जीवन के स्तम्भ हैं। यदि व्यक्ति ऐसी संस्कृति में पलता—बढ़ता है जहाँ इन मानवीय मूल्यों का मानव जीवन से दूर—दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं होता, तो उसे किसी भी प्रकार के अन्याय पूर्ण कार्य को करने में हिचक नहीं महसूस होती और इस प्रकार, पहला अन्याय पूर्ण कार्य आतंकवाद की पहली सीढ़ी होता है।

7. मनोवैज्ञानिक कारक

आतंकवाद को जन्म देने में व्यक्ति का प्रथम असामाजिक व्यवहार बीज का काम करता है और व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान की विषय—वस्तु होने के कारण व्यक्ति के व्यवहार की शुरुआत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के पहले गलत व्यवहार को समझकर यदि उसे किसी अच्छी दिशा की तरफ मोड़ दिया जाये, तो शायद उस व्यक्ति के जीवन को सवारंगा जा सकता है।

वाटसन ने कहा था कि “मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसे वकील, डाक्टर, इंजीनियर, चोर या आतंकवादी बना सकता हूँ क्योंकि नवजात शिशु का मस्तिष्क खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर जो चाहे वह लिखा जा सकता है।” इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में आतंकवादियों के व्यैक्तिक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। आतंकवादियों का व्यक्तित्व, उनका दृष्टिकोण, आतंकवाद की तरफ उनका आकर्षण, किसी आतंकवादी संगठन में उनका प्रवेश और आतंकवादी गतिविधियों में उनका शरीक होना आदि का अध्ययन, आतंकवाद को समझने में सहायक होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक उपागम की मूल अवधारणा यह है कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उनके व्यवहार को हिंसात्मक बना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शक्तियाँ व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात कूट-कूटकर भर देती हैं कि समाज में फैली बुराइयाँ उस व्यवस्था की देन हैं, जिसे वे बदल देना चाहते हैं।

आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक कारकों में निम्न घटकों को समाहित किया जाता है –

(i) मूल्य

ऐसे सामान्य सिद्धान्त जिन्हें व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ बनाता है और जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं, मूल्य कहलाते हैं। ये सिद्धान्त या मूल्य व्यक्ति के समस्त जीवन को एक दर्शन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तथा समस्त जीवन जीने की एक विशिष्ट कला को जन्म देते हैं। इसके साथ ही साथ पथ-प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। जीवन के पथ-प्रदर्शक के रूप में मूल्य अनुभवों के साथ-साथ अधिक परिपक्व होते जाते हैं।

कलु कहोन (1961) के अनुसार—“मूल्य इच्छाओं के वे प्रत्यय हैं जो चयनात्मक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक विशेष प्रकार की अभिवृत्तियाँ भी होती हैं, जो प्रतिमान के रूप में कार्य करती हैं तथा जिसके द्वारा निर्णयों का मूल्यांकन होता है।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मूल्य भावनाओं, विच्चासों, क्रियाओं या अभिवृत्ति की उत्पत्ति हैं। चूंकि मूल्य जीवन जीने की कला दिखाते हैं, अतः यदि व्यक्ति का जन्म एवं लालन-पालन एक विकृत मूल्यों वाले समाज में होगा, तो उसकी भावनायें, विच्चास तथा क्रियायें भी विकृत हो जायेंगी, जिससे व्यक्ति सामान्य जीवन जीने की अपेक्षा आसामान्य जीवन जीने हेतु प्रेरित होगा। यह आतंकवाद की शुरुआत होने के साथ-साथ एक बहुत बड़े कारण के रूप में भी सामने आयेगा। क्योंकि व्यक्ति के अपने कोई मूल्य न होने पर वह अपनी बात को मनवाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है।

(ii) आकांक्षा स्तर

आकांक्षा स्तर का प्रयोग लक्ष्य निर्धारण से सम्बन्धित होता है। यह व्यक्ति के ऐसे तात्कालिक लक्ष्यों की ओर इंगित करता है जो उसके स्वयं के उपलब्धि स्तर, सफलता एवं असफलता के अनुभव में सन्तुष्टि होता है। आज-कल का युवा-वर्ग माडलों, कलाकारों, नायकों, व टी0वी0 सीरियल्स इत्यादि को अपना आदर्श बनाकर काल्पनिक जीवन जीने की ओर अग्रसर रहता है। उसकी काल्पनिक दुनिया का लक्ष्य इतना उच्च होता है कि यथार्थ की दुनिया में वापस लौटने पर दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं होता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया को साकार करने के लिए उस ओर भागने की कोशिश करता है जहाँ उसके लक्ष्यों की प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाये। उसको यह प्रतीत होता है कि आम जीवन जीते हुए उसके लक्ष्यों की प्राप्ति इस जीवन में संभव नहीं है और वह ऐसे संगठनों की तरफ खिंचा चला जाता है जहाँ से लौटना असंभव होता है।

(iii) कुंठा

यह एक ऐसा प्रत्यय है जो एक व्यक्ति द्वारा बार-बार लक्ष्य निर्धारण करने के बाद भी उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह कुंठा का शिकार हो जाता है।

एन0एल0मन के अनुसार—“कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।”

कुंठा के प्रमुख स्रोत-प्रतिस्पर्धा, उच्च आकांक्षा स्तर, जन्मजात अयोग्यतायें हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बाह्य कारक जैसे-बाढ़, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्घटनायें इत्यादि भी हैं। कुंठा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के, व्यक्ति तीन

तरीके अपनाता है—आक्रमण, सुलह और परिस्थिति से पीछे हटना। वर्तमान समय में लोग सुलह और परिस्थिति से पीछे हटने के बजाय आक्रमण जल्दी अपनाते हैं, जिसकी भी परिणति आतंकवाद के रूप में होती है।

(iv) मनोवैज्ञानिक वंचन

प्रत्येक व्यक्ति सांवेदिक रूप से सबल होने की आकॉक्शा रखता है और जब उसे संवंगात्मक रूप से किसी का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता तो वह ऐसे व्यक्ति या संगठन की खोज में निकल पड़ता है, जहाँ उसे सांवेदिक समर्थन भी प्राप्त हो और उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति भी संभव हो। जब उसे यह सब कुछ नहीं मिल पाता तो वह उसके लिए ऐसे संगठनों से अपने को जोड़ना चाहता है, जहाँ से ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो। जैसा कि मुम्बई ताज होटल बम धमाके (2008) में पकड़े गये एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के पिता का कथन था कि मेरे बच्चे ने मुझसे नये कपड़े की माँग की, जो न मिलने पर, वह घर से चला गया तथा चार साल उपरान्त भी लौटकर नहीं आया। इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि मनोवैज्ञानिक वंचन एक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति को अंदर से उद्वेलित करता है। फलतः वह उसके खिलाफ यथा संभव विद्रोह करता हैं या फिर आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाने की कोशिश करता है।

आतंकवाद के प्रभाव

विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं शोधों का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद के समाज पर निम्न व्यापक प्रभाव पड़ते हैं —

1. सामाजिक क्षेत्र में दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि इसने हिंसात्मक प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है जिससे समाज में हताशा, अस्थिरता एवम् तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।
2. आतंकवाद के चलते समाज में बलात्कार, वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक कृत्यों को प्रोत्साहन मिलता है।
3. अत्यधिक अकाल मौतों के रूप में भीषण परिणाम सामने आ रहे हैं।
4. धार्मिक क्षेत्र में भी आतंकवाद के दुष्परिणाम सामने आये हैं जिसमें कट्टरवादिता का प्रमुख स्थान है।
5. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसने आर्थिक विकास की गति को मंद कर दिया है क्योंकि विदेशी पूँजी निवेश हमारे देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी थी जिसमें व्यवधान आने पर हमारी अर्थव्यवस्था पंगु सी नजर आ रही है।
6. मुम्बई बम धमाके (2008) का सबसे बड़ा प्रभाव विदेशी पर्यटकों पर पड़ा है। जिसके कारण पूरे विश्व के पर्यटकों व निवेशकों की भारत वर्ष के बारे में एक नकारात्मक सोच विकसित हुई है।
7. बेरोजगार नवयुवकों के लिए आतंकवादी संगठन रोजगार के सुअवसर प्रदान करते हैं।
8. आतंकवाद ने युवाओं की मनोवृत्ति को काफी हद तक प्रभावित किया है जिसने युवाओं के जीवन दर्शन को ही परिवर्तित कर दिया है।
9. राजनैतिक व्यवस्था की जड़ को आतंकवाद ने हिला कर रख दिया है जिसके कारण देश में राजनैतिक उथल—पुथल की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है।
10. आतंकवाद के कारण आम जनता में असुरक्षा की भावना बलवती हो उठी है।

आतंकवाद के समाधान

आतंकवाद के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उसके समाधान हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं —

1. दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का विकास एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. जन जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच आतंकवाद के दुष्परिणामों को रेखांकित किया जाना चाहिए।

3. आतंकवाद की समस्याओं से निजात दिलाने में धार्मिक नेताओं की भूमिका अहम हो सकती है। यह कार्य धार्मिक नेताओं द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जनमत निर्माण करके किया जाना चाहिए।
4. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बालकों में स्वस्थ मानसिकता का विकास करने हेतु उनकी उचित शिक्षा-दीक्षा तथा समुचित पारिवारिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।
5. बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करके युवा वर्ग के आक्रोश को कम किया जाना चाहिए जिससे उनका आतंकवादी संगठनों के प्रति रुझान कम हो सकें।
6. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम व साझा सहयोग किया जाना चाहिए।
7. आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र के समुचित विकास एवं वहाँ निवास करने वाले सभी समुदायों के समग्र विकास का प्रयास किया जाना चाहिए।
8. बालकों के स्वस्थ सांवेदिक विकास हेतु उनको सामाजिक आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
9. आतंकवाद से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावशाली बनाकर, आवश्यकता पड़ने पर, उन्हें कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
10. बड़े परिवार में अच्छी शिक्षा-दीक्षा संभव नहीं होती है। सरकार के विकास की सारी योजनायें बढ़ती जनसंख्या के आगे बौनी साबित हो जाती है और जो उर्जा देश और समाज के विकास में लगानी चाहिए वह उर्जा विनाश हेतु प्रयोग में आ जाती है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु कारगर नीति बनाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य आतंकवाद के उन कारणों की खोज करना था जो व्यक्ति के इस कृत्य में लिप्त होने के लिए उसे प्रेरित, उद्देलित एवं संलग्न करते हैं। ऐसे कारकों को मनोवैज्ञानिक कारकों की संज्ञा दी जा सकती है जो व्यक्ति के अन्तःकरण को मजबूत बनाकर अनुचित कार्य हेतु अग्रसर करते हैं।

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं। अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति के मूल्य, अभिप्रेरणा, कुण्ठा, आकांक्षा स्तर, मनोवैज्ञानिक वंचन, प्रतिबल आदि ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो व्यक्ति को आन्तरिक रूप से आतंकवादी गतिविधियों एवं आतंकवादी संगठनों में लिप्त होने के लिए उकसाते हैं।

परन्तु आज के समय में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आतंकवाद मानवता नहीं पशुता व दानवता है। मानवता तो प्रेम, स्नेह व परस्पर प्यार से प्राप्त होती है। यही यथार्थ जीवन का पर्याय है जो कि सत्य है। मूल्य विहीन युवा को दिक्भ्रम की स्थिति का शिकार होने के कारण, उसे अपने कर्तव्यों, मानव जीवन के उद्देश्यों का कोई बोध नहीं होता है। वह कमजोर मूल्यों के कारण ही ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है। जिस युवा में मानवता, दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम, परोपकार, सद्भावना, अहिंसा, करुणा, धर्माचरण, संयम, तप-त्याग, सहानुभूति, संवेदनशीलता, शील, सदाचार, राग-प्रेम, स्वाभिमान, समानता, उदारता आदि मूल्य संचरित हो रहे होंगे, वह इन आपराधिक कृत्यों से कोसों दूर रहेगा। इन मूल्यों को संचारित करने का कार्य बालक के अभिभावक, परिवार, अध्यापक एवं पास पड़ोस द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि विकसित होते हुए बालक में दिन-प्रतिदिन के अनुभवों द्वारा, जिन नियमों, सिद्धान्तों का निर्माण होता है, वे ही मूल्य कहलाते हैं। मूल्यों की भूमिका आज के आतंकवादी दौर में बहुत अधिक प्रभावी साबित हो रही है। अतः आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मानव जीवन के आधार स्तम्भ, नैतिक मूल्यों का विकास व्यक्ति में करना होगा।

इसी तरह से प्रतिबल, तनाव, कुण्ठा इत्यादि ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में उथल-पुथल कर उसे दिक्खम के स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। आज के युग में, जो कि चिन्ता एवं प्रतिस्पर्धा का युग है, बालकों के समक्ष एक चुनौती है, अपने लक्ष्य व जीविकोपार्जन को लेकर। अतः इन सभी स्थितियों से बचने के लिए वह स्वयं को उस रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस पर चलकर उसे तात्कालिक संतुष्टि तथा सुख का अनुभव होता है।

मनोवैज्ञानिक वंचन एक ऐसा कारक है जो आज के युवा वर्ग को आतंकवादी संगठनों की ओर जाने के लिए उकसाता है। मनोवैज्ञानिक वंचन से तात्पर्य ऐसे स्थिति से होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं को सांवेदिक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा से त्रस्त होकर युवा वर्ग ऐसे संगठनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जहाँ उनको मनोवैज्ञानिक सम्पन्नीकरण प्राप्त होता है। जैसे मुम्बई बम धमाके (2008) में पकड़े गये आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के पिता का कथन कि ‘मेरे द्वारा नया कपड़ा न दिलाने पर चला गया और चार वर्ष हो गया अभी तक नहीं आया’ इसी मनोवैज्ञानिक वंचन को प्रदर्शित करता है।

आकॉक्षा स्तर जो कि मनोवैज्ञानिक करकों के ही अन्तर्गत आता है। आज का युवा वर्ग लगभग जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का विश्लेषण किए बिना ही उच्च लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं। जिसके कारण वे असफल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें असन्तुष्टि का भाव विकसित हो जाता है। जिसके कारण वे निराशा का शिकार होकर असामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं और वे वहाँ स्वयं को संतुष्ट कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। असामाजिक व्यवहार द्वारा उसे अपना लक्ष्य भी प्राप्त होता नजर आता है जिससे उसे तात्कालिक सुख प्राप्त होता है।

बेरोजगारी व अशिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो बालक में आतंकवादी गतिविधियों व संगठनों की ओर जाने की ललक पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें आर्थिक मजबूती व रोजगार का अवसर अधिक सरलता से प्राप्त हो जाता है। जब तक इन दोनों कारकों पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा तब तक आतंकवाद पर विजय पाना संभव नहीं होगा। उपर्युक्त दोनों समस्याओं को हल करने में जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है जिसके लिए लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा सरकार द्वारा इसके लिए कुछ कड़ी कानून व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए।

उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए सभी परिवारों, अभिभावकों, अध्यापकों एवं नीति-नियन्ताओं के द्वारा उपर्युक्त समस्याओं को समझकर तत्सम्बन्धित सभी प्रकार के हर सभव प्रयास कर उनमें स्वस्थ समायोजन विकसित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

1. सिंह, ए०के० : समाज मनोविज्ञान की रूप रेखा।
2. भार्गव, महेश : आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन।
3. दैनिक समाचार पत्र : दैनिक जागरण 05 नवम्बर, 2008।
4. श्रीवास्तव, डी०एन० : आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान।

5. सिंह, नागेन्द्र : अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं साहित्य, पेज नं 41–46, पेज नं 0
82–88 पेज नं 115–139।



साहित्य और नारी

अनीता मौर्य*

भारतीय समाज जो पुरुष प्रधान समाज है, में नारी की स्थिति को व्यक्त करने के प्रयास उपन्यासों एवं कहानियों में बराबर होते आए है, किन्तु इधर कुछ वर्षों से 'स्त्री विमर्श' की चर्चा अधिक होने लगी है, विशेष रूप से लेखिकाओं ने नारी मुक्ति की दिशा में विशेष प्रयास किये हैं। नारी वर्ग से होने के कारण वे नारी मन को अधिक प्रमाणिक ढंग से व्यक्त कर सकी हैं। आठवें दशक में महिला लेखिकाओं ने स्त्री विमर्श को अपनी रचनाओं में अधिक उभारने का प्रयास किया। उषा प्रियवदा, मन्नू भण्डारी, मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री, सूर्यबाला, कृष्णा सोबती, निरुपमा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा एवं ममता कालिया जैसे अनेक नाम आठवें दशक में उभरे तथा इनकी रचनाओं ने पाठकों का ध्यान भी आकृष्ट किया। इनकी रचनाओं में बौद्धिकता की तलाश के साथ स्त्री-मुक्ति का प्रश्न प्रमुखता से उठाया गया है। चित्रा मुदगल की कहानी 'बावजूद इसके' की प्रीति की तरह अधिकांश नारियाँ स्वीकार करती हैं कि "यह लड़ाई खुद की है और उसका कोई अन्त नहीं।"⁹³

समकालीन कथा साहित्य में पुरुष वर्चस्व की ग्रंथि से परिचालित उन सभी रूढ़ मूल्यों को नकारा है जो स्त्री के समग्र विकास में बाधा प्रस्तुत करते हैं। "पुरुष सत्ता के नजरिए का प्रभाव है कि स्त्री अपने को स्वतंत्र रूप से देखने में असमर्थ है।" स्त्री की चेतना या दृष्टि पुरुष से स्वतंत्र ही नहीं भिन्न भी होती है। यहाँ तक कि स्त्री दृष्टि का पुरुष दृष्टि से कोई सामंजस्य नहीं है अपितु विरोध-भाव है, सामाजिक जीवन में दोनों के हितों एवं लक्ष्यों में सीधा एवं तीखा अंतर्विरोध है। दोनों मानव समाज के अंश हैं किन्तु दोनों को समान रूप से जीने, बढ़े होने, संस्कार हासिल करने, निजी इच्छा एवं आकांक्षाओं को पूरा करने की सैकड़ों वर्षों से समाज ने कभी अवसर ही नहीं दिया। सृजन के समर्त क्षेत्रों से सचेत रूप से स्त्रियों को बेदखल किया गया।"⁹⁴

पुरुष लेखकों ने भी नारी दशा का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। प्रेमचन्द ने 'गोदान' में मेहता के माध्यम से नारी की दशा का निरूपण किया है, किन्तु प्रेमचन्द ने नारी मुक्ति आंदोलन का विरोध किया, समर्थन नहीं। ये नारी को पुरुष से श्रेष्ठ मानते हैं और नारी को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर पुरुष के कार्यक्षेत्र में प्रवेश नहीं करना

*ग्राम व पोस्ट-मुस्तफाबाद, जनपद-अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)

चाहिए। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण भारतीय नारियों के लिए घातक सिद्ध होगा। मेहता वीमेंस लीग में भाषण देते हुए कहते हैं— “वह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊँचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए, उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छन्द... लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया है और देवियाँ तितलियाँ बन गई हैं। मुझे यह कहते हुये शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है, विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर यह जादू बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का मार्ग पकड़ रही हैं।

‘स्त्री विमर्श’ की अभिव्यक्ति का मूल स्वर नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्त्री-पुरुष की समानता के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। गरीबी व आर्थिक स्वावलम्बन के अभाव में नारी अपने ही परिवार में शोषित होती रही है, क्योंकि विरोध करने का न उसमे साहस है, न सम्बल। नारी-पुरुष के लिए समाज ने जो अलग-अलग प्रतिमान य नियम निर्धारित किए हैं, उसका प्रखर विरोध भी कथा साहित्य में हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कहानी ‘वेतवा बहती रही’ में लिखा है— “विभिन्न मानसिकता के दुमुँहे समाज में आज की नारी मात्र वस्तु, मात्र संपत्ति, विनिमय की चीज है।”⁸⁶ पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हमारे समाज ने नारी को भोगविलास की वस्तु समझा। जिसका विरोध भी मुखर रूप में किया गया है। पुरुष भेड़ियों की तरह घात लगाए इस ‘नरम चारे’ को उड़ाने के लिए उत्तावले रहते हैं ऐसी धारणा कथा लेखिका नमिता सिंह की है। ‘अपनी सलीबें’ नामक कहानी में वे लिखती हैं— “यह जिंदगी तो जैसे अंधरे घने जंगल से निकलने वाली पगड़ंडी का नाम है। कब किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे। किस पेड़ के पीछे से जंगली सुअर दौड़ता हुए आए और टक्कर मारकर गिरा दे, कुछ पता नहीं।”⁸⁷

स्त्री विमर्श के प्रारम्भिक काल में समाज में नारी की दीन-हीन स्थिति का चित्रण करते हुए लेखिकाओं ने पुरुषों को दोषी ठहराया, किन्तु बाद में इस प्रवृत्ति का स्वयं विरोध किया। चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यास ‘एक जमीन अपनी’ में लिखा— “पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छन्द हो जाना नारी मुक्ति नहीं है।”⁸⁸ समाज में बेटे-बेटी में जो फर्क किया जाता है, वह भी स्त्री को कचोटता है, क्योंकि कोमल मन वाली ममतामयी माँ के लिए तो बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं, पर जब घर के लोग गर्भस्थ शिशु का लिंग जाँच कराकर बेटी भ्रूण की हत्या कर देते हैं, तो माँ का कलेजा फट जाता है और आँसू बहाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। रामदरश मिश्र की कहानी ‘थकी हुई सुबह’ की लक्ष्मी कहती है— “क्या स्त्रियों को कोई दूसरा ईश्वर पैदा करता है या यहाँ स्त्री-पुरुष के लिए दो नियम है।”⁸⁹

आज की नारियों का आस्माभिमान जागृत हो गया है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्राणप्रण से जुटी हुई है। वह जमाना चला गया जब स्त्रियों को गाय-भैंस की तरह समझकर उन्हें किसी भी खूटे से बाँध दें, वह बिना विरोध किये आत्मसमर्पण कर देती थीं। अब यह अपने अधिकारों के प्रति सजग, सचेत हैं। चित्रा मुद्गल के उपन्यास ‘एक जमीन अपनी’ की अंकिता सुधांशु से कहती है— “औरत बोनसाई का पौधा नहीं है— जब जी चाहे, उसकी जड़ें काटकर उसे गमलों में रोप लिया। वह बौना बनाए रखने की इस साजिश को अस्वीकार भी कर सकती है।”⁹⁰

विधवा स्त्री के शोषण को तेजरानी पाठक कृत ‘हृदय कौर्य’, ऊषा देवी मित्रा कृत ‘प्रिया’, मेहरुनिशा परवेज कृत ‘कोरजा’ आदि में प्रस्तुत किया गया है। वेश्या जीवन का चित्रण शिवानी के ‘कृष्णकली’, कृष्णा अग्निहोत्री के ‘बात एक औरत की’, मेहरुनिशा परवेज कृत ‘उसका घर’ में अंकित किया गया है। कश्मीरी लाल कृत ‘कीर्तिकथा’ नामक कहानी की कीर्ति नारी की वर्तमान समाजिक स्थिति का निरूपण इन शब्दों में करती है— “हर जगह पर औरत का बुरा हाल है। समाज में कोई भी दूध का धुला नहीं है। हर असहाय स्त्री आज की शूद्र है, वस्तु है, साधन है, गुलाम है, इसीलिए वह नारी के अधिकार की जरूरत को समझती है। उसे नारी के लिए ‘बेचारी’ सम्बोधन पर आपत्ति है।”¹⁰¹

'स्त्री विमर्श' के अन्तर्गत कुछ अन्य कथाकारों ने ऐसी नारियों का चित्रण भी किया है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलम्बी होकर विवाह संस्था का निषेध करती हैं और पुरुष के साथ 'कम्पेनियन' बनकर रहना चाहती हैं, पत्नी बन कर नहीं। पश्चिमी संस्कृति की तर्ज पर! पत्नी बनने में उन्हें गुलामी का अहसास होता है, अतः वे 'प्रेमिका' बनकर रहना पसंद करती हैं, जिससे किसी भी बंधन में न पड़ें। यदि बंधन में पड़ती तो उन्हें उसका निर्वाह करना पड़ेगा। बिना बंधन के वे आजाद हैं जब चाहें जिसके साथ रहें और मन भर गया तो उसे छोड़ दे। वे पुरुष के स्वैराचार का अनुकरण करती हैं, पतिव्रत पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं तथा मातृत्व का निषेध करती हैं। 'मुझे चाँद चाहिए' में सुरेन्द्र वर्मा ने, 'एक जमीन अपनी' में चित्रा मुद्गल ने ऐसी नारी का चित्रण, किया है जो ग्लैमर की दुनिया में संघर्ष, उपलब्धि एवं भटकाव का अनुभव करती है। नैतिकता विहीन जीवन जीने की ललक पाश्चात्य नारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकती है, किन्तु भारतीय परिवेश में यह स्थीकार्य नहीं है। चित्रा मुद्गल के अनुसार 'मर्दों की भाँति रहना, ते समस्त आचार व्यवहार, व्यवस्थाएं अपनाना— यही समानता का दृष्टिकोण है?... जब ये अव्यवस्थाएं मर्दों के लिये अनैतिक, अमानवीय और निरंकुशताएं हैं तो स्त्री के लिए कैसे उचित हो सकती है।''¹⁰²

नारी पुरुष के अत्याचारों को सहते-सहते अब उसका विरोध करने लगी है। कहीं-कहीं नारी पुरुष अत्याचार का विरोध करती हुई उसकी प्रतिक्रिया में तथा प्रतिशोध भाव से युक्त होकर वह सच करने को विवश होती है जिससे पुरुष ने उसे पीड़ा पहुँचाई है। यदि एक पुरुष दूसरी नारी ने संसर्ग की इच्छा रखता हैं तो वह दूसरे पुरुष में आशयक्त क्यों नहीं हो सकती, इस विषय को भी कथाकारों ने लिया है। नारी मुक्ति के समर्थकों को नारी से पतिव्रत धर्म के पालन की आकांक्षा रखना उपयुक्त नहीं लगता। जब पुरुषों में ये भाव नहीं मिलता तो नारी से इसकी अपेक्षा क्यों? कौमार्य, सतीत्व, पतिव्रत जैसी अवधारणाएं अब आधुनिक नारी संदर्भ में अप्रासंगिक हैं— यही स्त्री विमर्श के समर्थकों का तर्क है। 'चाक' और 'मुझे चाँद चाहिए' में इस प्रकार के उदाहरण देखने में आते हैं किन्तु वहाँ भी पुरुषों की भोगलिप्सा अधिक है, नारी का अधिकार कम है। 'एक जमीन अपनी' की गीता सुधीर जैसे कई पुरुषों द्वारा छली जाती है। यदि इसी को नारी चेतना या स्त्री विमर्श की संज्ञा दी जाए तो यह उचित नहीं है।

दूसरी ओर धर्मेन्द्र गुप्त कृत 'रंगी हुई चिड़िया' की शीला रामेकर है जिसकी एक आवाज पर हजारों मजदूर एकत्र हो जाते हैं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि नारी 'अबला' है। नारी के इस अबलापन से मुक्ति भी स्त्री विमर्श का एक अंग है। 'एक जमीन अपनी' की अंकिता अपनी शर्तों पर संघर्ष कर रही है और कुत्सित समझौता नहीं करती। औरत जब अपने अन्दर संघर्ष का जज्बा उत्पन्न कर अत्याचार एवं अन्याय के आगे झुकने से मना कर देती है तब जयशंकर प्रसाद के नाटक 'ध्रुवस्यामिनी' की नायिका की भाँति अपने कायर पति को चुनौती देती हुई कहती है कि "यदि तुम मेरी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मैं उपहार में दी जाने वाली शीतलमणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की तरल लालिमा भी है।"¹⁰³ आधुनिक नारी भले ही कोई युगान्तरकारी परिवर्तन न कर सके किन्तु उसकी सोच तो बदली है। 'अपनी सलीबें' में नमिता सिंह ने साफ कहा है कि "प्रबुद्ध नारियों को जन-जागरण का कार्य अवश्य करना चाहिए। भले ही वे समुद्र पर सेतु न बाँधे, रावण मेघनाथ को न मारें किन्तु ऐसा करने की इच्छा तो व्यक्त करें— यही उसकी मुक्ति है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बड़े हर्ष की बाल है कि हिन्दी कथाकारों की रचनाओं में इस 'सोच' एवं 'वैचारिकता' वाले नारी चरित्र गढ़े जा रहे हैं।



नालंदा विश्वविद्यालय : एक समीक्षा

डॉ राजीव कुमार*

बिहार की राजधानी पटना से 55 मील दक्षिण—पूर्व दिशा में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। 1860 ई० में अलेकजेंडर कनिंघम ने इस जगह को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना। 1915–17 ई० में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह पर उत्खनन कार्य प्रारम्भ करवाया।

नालंदा विश्वविद्यालय को मानव इतिहास के लिखित अभिलेखों में प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में का गौरव प्राप्त है। इसकी पहचान बौद्ध अध्ययन केन्द्र के रूप में 427 से 1197 ई० तक रही। मौर्य सम्राट अशोक ‘महान’ द्वारा यहाँ एक मंदिर या भवन अपने गुरु उपगुप्त की स्मृति में, जिसने कलिंग में उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बनवाया गया था। यह तथ्य प्रमाणित करता है कि बौद्ध अध्ययन केन्द्र के रूप में इसकी पहचान प्राचीन समय में ही प्राप्त हो चुकी थी। आगे चलकर गुप्त सम्राटों ने कुछ मठों को अनुदान देकर विकसित कराया।

प्राचीन इतिहासकार ए एस अल्टेकर के अनुसार इसका अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रार्द्धभाव लगभग 450 ई० में हुआ था। इस तथ्य का प्रमाण वे फाहयान के यात्रा विवरण को देते हैं जब उसने 410 ई० में नालंदा की यात्रा की थी एवं इसके शैक्षणिक महल पर कोई प्रकाश नहीं डाला था। हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमार गुप्ता प्रथम; 415–454 ई० के रूप में की गई है, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए ही की थी। उसने सबसे पहले यहाँ एक मठ की स्थापना करवाई एवं बड़ा अनुदान दिया। कई वर्षों तक यहाँ बौद्ध मतावलंबी पूजा—उपासना करते रहे। आगे चलकर तथागत गुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्या 468–472 ई० और बुद्धगुप्त 475–500 ई० ने मठों का निर्माण कराया एवं अनुदान दिये। यह प्रक्रिया हिन्दू एवं बौद्ध मतावलंबी राजाओं द्वारा लगभग 11वीं शताब्दी तक लगातार चलती रही।

*पूर्व शोधार्थी, वी० कृ० सि० वि० वि० आरा ।

चीनी यात्री इत्सिंग, ज्ञानेन्द्र और प्रज्ञावर्मन, कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक मानते हैं। इसका प्रमाण इस विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों से प्राप्त एक मुहर से मिलता है।

उत्तरापंथ के सम्राट् हर्षवर्द्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया था। हर्षवर्द्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विश्वविख्यात हो चुका था।

महात्मा बुद्ध के समय नालंदा की स्थिति अत्यंत प्रशंसनीय थी। यह उस समय भी ज्ञान की समृद्ध नगरी मानी जाती थी। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा कई बार की एवं यहाँ वे प्रवास भी किये। यहाँ प्रायः वे पवरिका के आम्र उपवन में ही ठहरते थे। बौद्ध ग्रंथ केवल सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध के समय नालंदा एक घनी आबादीवाला एवं प्रभावी नगर था। उस समय यह शिक्षा का विख्यात केन्द्र नहीं बना था। बौद्धग्रंथे युक्तनिकाय में यह लिखा हुआ है कि यह नगर कई बार अकाल झेल चुका है।

महात्मा महाबीर ने भी कई बार नालंदा की यात्रा की थी। इस बात से पता चलता है कि यह जैनों के लिए भी धार्मिक महत्त्व का था। उन्होंने नालंदा नगर में ही स्थित पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था।

ऐतिहासिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकाल में ही हुई थी।

पालकाल में स्थिति — इस काल में बंगाल और मगध में अनेक मठों की स्थापना हुई। ऐतिहासिक स्त्रोतों से पता चलता है कि इस समय पाँच महाविहारों — विक्रमशीला, नालंदा, सोमपुरा, ओदंतपुरी और जग्गदला की स्थापना हो चुकी थी। ये पाँचों आपस में एक जाल द्वारा जुड़े हुए थे। इनमें आपस में सहसंबंध था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि विद्वानों एवं छात्रों को एक संस्थान से दूसरे में शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालन करने की सुविधा मिलती थी। यह व्यवस्था आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी लागू हैं।

नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। उत्खननों से यह प्रमाणित हुआ है कि इसका विस्तार लगभग एक मील लंबे एवं आधा मील चौड़े क्षेत्र में था। इससे जुड़े मठ एवं स्तूप एक कतार में व्यवस्थित रूप से थे। विश्वविद्यालय का केन्द्रीय भवन आसपास के सात विशाल कमरों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 300 छोटे कमरे भी थे जिनका उपयोग प्रवचन देने के लिए होता था। भवन भव्य एवं बहुमंजिले होते थे। भवनों के आस—पास शुद्ध जल के जलाशय नीले कमलों से सुशोभित रहते थे। पूरी संरचना के चारों ओर ऊँची दीवार की घेराबंदी थी। इस घेराबंदी का मुख्यद्वार दक्षिणी दिशा में था।

पुस्तकालय को धर्मगुंज अर्थात् ज्ञान का शिखर या धर्मगंज अर्थात् ज्ञान का कोष भी कहा जाता था। पुस्तकालय तीन मुख्य भवनों से बना था जो आज के लगभग नौ मंजिले भवनों की ऊँचाई के बराबर ऊँचे थे। इन्हें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक कहा जाता था। भव्य पुस्तकालय में दर्शनशास्त्र, खगोलशास्त्र, बौद्ध धर्म, तंत्र—मंत्र, आयुर्वेद इत्यादि से सम्बन्धित 5,00,000 पुस्तकें थीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य के द्वारा

लगभग 400 संस्कृत साहित्य पाया था। इससे पता चलता है कि यहाँ दुर्लभ संस्कृत साहित्य विद्वमान था।

जब चीनी यात्री इत्सिंग नालन्दा में रह रहा था (675ई0) तब यहाँ लगभग 3000 छात्र या भिक्षु रह रहे थे। इनकी आवासीय व्यवस्था उत्कृष्ट थी। सातवीं शताब्दी के मध्य में यहाँ छात्रों की संख्या लगभग 10,000 थी। ये छात्र दुनिया के अनेक देशों जैसे—कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, इण्डोनेशिया, ईरान और तुर्की आदि से आते थे। हर्षवर्द्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 200 गाँवों का अनुदान मिला था। यह विश्वविद्यालय दुनिया के विभिन्न देशों से विद्वानों को भी आकर्षित करता था। यहाँ से उत्तीर्ण रनातकों को दुनिया में सभी जगह अत्यधिक मान—सम्मान दिया जाता था। ये विद्वान राजाओं के राज—काज एवं उत्कृष्ट समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुख्य विद्वानों में धर्मपाल, चद्रपाल, गणमति, रिथरमति, प्रभामित, ज्ञान—मित्र, शिलभद्र इत्यादि थे। उन्हें तर्कशास्त्र, दर्शन, मिमांसा इत्यादि में पारंगत प्राप्त था। यहाँ के विद्वानों द्वारा लिखी रचनाएं समकालीन विद्वानों एवं छात्रों द्वारा पढ़ी जाती थी। छात्रों में लगभग 1000 की संख्या उन छात्रों की थी जो 230 सूत्रों की व्याख्या कर सकते थे जबकि 10 वैसे छात्र थे 50 सूत्रों की व्याख्या कर सकते थे। अतः हम कह सकते हैं कि छात्रों का ज्ञान समकालीन विद्वानों के जैसा था। कुछ छात्र अध्ययनोंपरान्त यही पढ़ते भी थे। यहाँ फाहयान, युवानचवांग और इत्सिंग आदि चीनी यात्रियों ने यहाँ लम्बे समय तक अध्ययन किया था। छात्रों को कठिन अनुशासन का पालन करना पड़ता था। छात्रों एवं विद्वानों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी।

यहाँ महायान और हिनयान दोनों बौद्ध धर्म की शाखाओं का अध्ययन किया जाता था। पाली भाषा अध्ययन की भाषा थी। पाठ्यक्रम में विविधता एवं विस्तार था। बौद्ध धर्म के अलावा हिन्दू धर्म में सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया जाता था। महायान परंपरा के विद्वान नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकृति मुख्य है। व्याकरण, तर्क एवं साहित्य हिन्दू और बौद्ध दोनों छात्रों के लिए समान था। तीनों वेदों, सिद्धान्त और सांख्य दर्शन को भी पढ़ाया जाता था।

छात्र एवं शिक्षक किसी विशेष परर्चया के लिए एक जगह एक सभागार में जमा होते थे। तब वे विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारी बिहार पाल से विषय पर चर्चा के लिए आदेश प्राप्त करते थे। उपस्थित सभी छात्रों की सहमति से किसी विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार ज्ञान को तर्क की कस्तूरी पर खरा उतारा जाता था एवं उसे पाठ्यक्रम का रूप दिया जाता था।

अंततः तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजीं ने इसे भग्नावशेषों में बदल दिया। तवाकत ए नाशरी से पता चलता है कि सभी भवनों को नष्ट कर दिया गया, भिक्षुओं और छात्रों को तलवारों से मार डाला गया एवं पुस्तकालय में आग लगा दी गई। खुदाई से इस बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भग्नावशेष लगभग अब 150000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके नजदीक में एक हिन्दू सूर्य मंदिर है। जो बड़गाँव गाँव में

रिथत हैं। साथ हीं ह्वेनसांग को समर्पित एक मंदिर भी है। इसके नजदीक हीं बौद्ध अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र नवनालंदा महावीर स्थापित है।

ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तीन—चार आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया, किन्तु केवल दो बार ही पुनर्निर्माण किया गया। पहली बार हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल द्वारा स्कंदगुप्त (455—467ई0) के समय में नष्ट किया गया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी ने इसका भव्य रूप से पुनर्निर्माण कराया। दूसरी बार गौण आक्रमणकारी द्वारा इसको नष्ट किया गया। हर्षवर्ज्जन ने तब इसका पुनर्रोद्धार कराया था। आज भी इस विश्वविद्यालय के अवशेष वृहद रूप में मौजूद हैं।

बिहार सरकार ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को नये रूप में पुनरस्थापित करने का प्रयास किया है। इसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

संदर्भ

1. Altekar, A.S. (1934) : Education in Ancient India.
2. Mookherjee, R.K. (1947) : Ancient Indian Education.
3. Keay, F.E.(1992) : Ancient Indian Education.
4. Thapar, Romila (1978) : Ancient Indian Social History : Some interpretations.
5. Altekar, A.S.(1938) : The position of Women in Hindu Civilization : From Prehistoric times to present day.
6. Basham, A.L. (1954) : The wonder that was India.
7. Mukerjee, Radha Kumud (1977): Hindu Civilization, Volume-I.
8. The Cambridge History of India, Volume-I. (1922) : E. J. Rapson.
9. Thapar, Romila (1966) : *A History of India*
10. पाण्डेय, राजबली, 1962 : प्राचीन भारत



ग्रामीण विकास का आधार: कृषि उद्योग

डॉ० जय शंकर सिंह*
एवं डॉ० लीलावती कुमारी**

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। महात्मा गाँधी के अनुसार 'कृषि भारत की आत्मा है।' इसी सन्दर्भ में प० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'भारत के आर्थिक विकास के लिए कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।' भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की कल्पना हम कृषि, उद्योग और व्यापार के सम्यक विकास के द्वारा ही कर सकते हैं। भारत मूलतः गाँवों का देष है। गाँवों के अभ्युत्थान से ही भारतवर्ष का अभ्युत्थान सम्भव हो सकता है। ग्रामीण विकास प्रयत्न का उद्देश्य गाँवों का सर्वागीण विकास करना है जिसमें कृषि एवम् कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्र०० अल्नार्ड टायनबी ने औद्योगीकरण को आर्थिक विकास का पर्याय माना है। यह विष्वास किया जाता है कि आर्थिक बीमारी जैसे—गरीबी, बेराजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं का समापन औद्योगीकरण में ही निहित है। आज का विकास राष्ट्रों का नारा "औद्योगीकरण करो अथवा विनष्ट हो जाओ," भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में भी अपरिहार्य हो गया है। परन्तु भारतीय दृष्टिकोण में औद्योगीकरण कृषि पर आधारित हो तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा क्योंकि कृषि विकास के ऊपर ही भारत का विकास निहित है।

यह एक मानी हुई बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास सम्भव नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी गाँवों में रह रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास को कृषि विकास से जोड़ा गया और यह मान लिया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जायेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास हेतु कृषि को उद्योगों के साथ जोड़ा गया और कई इलाकों में वांछित सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। कृषि आधारित उद्योगों ने न सिर्फ आय के स्तर को ऊपर उठाया अपितु इससे रोजगार क्षेत्रों का विविधीकरण भी हुआ। अब इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर ही समग्र ग्रामीण विकास का मंदिर बनेगा।

ग्रामीण विकास की अवधारणा:-

नियोजित विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण विकास के आषय,

"ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके विकास के क्रम को

*असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, माँ मंषा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरहनी-चन्दौली (उ० प्र०)

** असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, उमा पाण्डेय कॉलेज, पुसा, समस्तीपुर, (बिहार)

आत्मपोषित बनाने से है।'' ग्रामीण विकास की अवधारणा का उदय कृषि विकास के सन्दर्भ में अस्तित्व में आया और एक लम्बे समय तक भारत के कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय समझा जाता रहा परन्तु कालान्तर में ग्रामीण विकास की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन हुआ और इसके क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योगों के विकास तक विस्तृत कर दिया गया। G.R. Madan & S. Gupta ने ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण परिवेष के रूपान्तरण से माना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संस्थाओं एवं अवस्थापनात्मक तत्वों तथा उत्पादन प्रक्रिया एवम् ग्रामीण जनसंख्या के मध्य समन्वय स्थापित करके ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में मात्रात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वास्तव में, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया एक सतत क्रियाशील प्रक्रिया है। निर्धनता निवारण के पश्चात् इसकी गति बाधित नहीं होती है, बल्कि वही से प्रारम्भ होती है। ग्रामीण विकास ग्रामीण परिवेष के गुणात्मक परिवर्तन हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन की एक संकल्पना है जो ग्रामीण के कल्याण एवम् सामाजिक एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसे प्राकृतिक, आर्थिक, संस्थागत एवं प्राविधिक अंतर्सम्बन्धों एवं उनके भावी परिवर्तनों को संयोजित कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अत्याधिक उत्पादन, अधिकतम रोजगार एवं आय के अपेक्षाकृत समान वितरण के साथ ही निर्बल वर्ग की उत्पादन प्रक्रिया में अधिकाधिक सहभागिता एवं न्याय संगत वितरण का प्रयास ही ग्रामीण विकास का उद्देश्य है। आर्थिक रूप में ग्रामीण विकास के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किये गये हैं। पञ्चमी देशों ने विकास प्रक्रिया में ग्रामीण विकास केन्द्र मॉडल को अपनाया। परन्तु भारतीय परिवेष में ये मॉडल वाँछित सफलता नहीं प्राप्त कर सके, बल्कि केन्द्रीकृत एवं असन्तुलित विकास प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। जिसके कारण केन्द्र तो विकसित होते गये परन्तु ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित होने की ओर बढ़ने लगे। अतः भारतीय परिवेष में विभिन्न अर्थवास्त्रियों एवम् नियोजकों ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत विकास मॉडल को अपनाये जाने पर बल दिया। जिसमें ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवम् परम्परागत अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में विभिन्न तकनीकों एवं अभिज्ञानों का उपयोग किये जाने पर बल दिया गया। जिससे ग्रामीण जनसंख्या को स्थानीय स्तर पर ही विकास के विभिन्न संसाधन एवं उनके श्रम का उचित उपयोग एवम् मूल्य प्राप्त हो सके। ग्रामीण विकास के मॉडल में श्रीवास्तव ने आधारभूत समुदाय मॉडल की विवेचना ग्रामीण भारत के विषेष सन्दर्भ में की है। इस मॉडल के अनुसार प्राचीन परम्परागत देशों के ग्रामों का अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि आधारित उद्योगों की उपयोगिता एवम् महत्ता और भी बढ़ती जाती है।

6 मई, 1939 को वृन्दावन में गाँधी जी ने ग्राम सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा था— “यह देखकर बहुत दुःख होता है कि आप लोगों में से अधिकांश लोग या तो शहरों से आये हैं या शहरी जीवन के अभ्यस्त हैं। जब तक आप अपना मन शहर से हटाकर गाँवों में नहीं लगायेंगे, तब तक गाँवों की सेवा आप नहीं कर सकते। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान गाँवों से बना है, शहरों से नहीं और जब तक आप ग्राम जीवन को और गाँवों के कृषिगत उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं करते, जब तक आप उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे उन गाँवों में जीवन का प्रवाह अवरुद्ध सा हो गया है और वे मृत प्राय हैं, औद्योगीकरण उनमें प्राणों का संचार नहीं कर सकता। अपनी झोपड़ी में रहने वाले किसान को जीवन तभी मिलेगा, जब उसे अपने घरेलू उद्योग फिर से वापस मिलेंगे और जब अपनी आवष्यक वस्तुओं के लिए वह गाँवों पर ही निर्भर रहेगा, शहरों पर नहीं, जैसा कि आज विवेष होकर उसे करना पड़ रहा है। इस आधारभूत सिद्धान्त को यदि आप आत्मसात् नहीं करते तो ग्राम पुनर्निर्माण के उस कार्य में लगने वाला आपका सारा समय व्यर्थ जायेगा।

ग्राम विकास को योजनाबद्ध तरीकों से बढ़ावा देने की बात तब हुई जब यह स्पष्ट हो गया कि विकासील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन और असमानता जैसी समस्याओं का उन्मूलन करने में उद्योग तंत्रीय रास्ते प्रभावहीन हो चुके हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि विकास की समस्या के लिये एक बहु-आयामी उपग्राम की आवष्यकता है। अतः कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के प्रयास के अतिरिक्त यह भी आवष्यक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें और रोजगार उपलब्ध

कराया जाये और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की समस्या पर विषेष ध्यान दिया जाये। ग्राम विकास के प्रति बढ़ती हुई रूचि इस अहसास का परिणाम है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विकासपूर्ण देशों की अधिकांश जनसंख्या रहती है, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये योजनाबद्ध ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है।


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने पर इस बात का पता चलता है कि पञ्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण में प्रगति ग्रामीण समाज में संस्थागत परिवर्तन होने का परिणाम था। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति जापान तथा यूरोप के उद्योगों के परिपक्व होने के पीछे इन देशों की कृषक प्रणाली में मूल परिवर्तन थे। भूमि सुधार के साथ अन्य वैधानिक सुधारों ने इन देशों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिक संवृद्धि तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ कृषि की उत्पादकता तथा कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

गाँधी जी इस बात को महसूस करते थे कि औद्योगिकरण से शहरों की तरक्की हो सकती है और हम विष्व के विकसित देशों की पंगित में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे गाँवों की सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती और गाँवों की उन्नति के बिना भारत की उन्नति की बात सोचना महज पानी में कागज की नाव चलाना है। उनका मानना था कि जब तक भारत के प्रत्येक गाँव के प्रत्येक हाथ को रोजगार नहीं मिलता और जब तक उनको उनके कृषिगत उद्योग वापस नहीं मिलते तब तक गरीब किसान खुषहाल नहीं बन सकता। उन्होंने जो विचार हमें दिये उनमें भारत का भविष्य विद्यमान था। वे समस्या के मूल कारणों की खोज करके उसका समाधान करने में विष्वास रखते थे, न कि तात्कालिक समाधान में। आज तो हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है उसके मूल में यदि हम झाँकें तो स्पष्ट होगा कि हम बापू के दिखाये मार्ग पर न चल पाये। ग्रामोन्मुख औद्योगिक प्रगति पर ध्यान न देकर अधिकांशतः पूर्व विकिसित क्षेत्रों में ही नये अपेक्षित तकनीक का विकास हुआ। पं० जवाहर लाल नेहरू भी गाँवों का विकास चाहते थे, जिससे गाँवों में रह रहे लोगों के जीवन का स्तर ऊँचा हो सके। उन्होंने कहा “हमें बड़े पैमाने पर ग्रामीण और कृषिगत उद्योगों को विकसित करना होगा, बड़े और लघु उद्योगों को विकसित करने के प्रयत्न में मानव पक्ष को हम नहीं भूलेंगे। हमें अधिक मुद्रा और उत्पादन की ही आवश्यकता नहीं है। अन्ततोगत्वा हम बेहतर मानव जीवन चाहते हैं।”

1950 के दशकों से तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण आबादी तथा ग्रामीण बेरोजगारी के बढ़ते हुए स्वरूप ने ग्राम विकास को और भी अधिक महत्व प्रदान कर दिया है। हमारे देश में ग्राम विकास के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (1) रोटी, कपड़ा और मकान एवं शिक्षा और रोजगार प्रदान कर जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना तथा गरीबी को कम करना।
- (3) लोगों को निर्णय योजना प्रक्रिया में शामिल करके एवं प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके उनको योजना एवं विकास की धारा से जोड़ना।
- (4) समाज में सभी को एक समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक न्याय दिलाना।
- (5) सीमित ग्रामीण संसाधनों का उपयोग इष्टतम् करना।

चार्ट-1.1 से स्पष्ट है कि कृषि आधारित उद्योग वस्तु निर्माण उद्योगों के ही अन्तर्गत सम्मिलित हैं जो कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का ही उपयोग करते हैं तथा वनस्पति एवं खाद्य तेल उद्योग को तिल, सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, नारियल, चीनी, गुड़ एवं खाण्डसारी, कॉफी, तम्बाकू तथा कागज आदि उद्योगों को भी कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही केन्द्रित होते हैं, अतः इन्हें ग्रामीण उद्योग भी कहते हैं।



(चार्ट 1.1)

स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास प्रारम्भ 1952 से माना जा सकता है जब देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इसके पहले देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं थी और न ही अनेक नीतियों में तालमेल था। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि के विकास के लिए जो भी प्रयास किये गये थे वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक उत्थान की सम्पूर्ण कल्पना का अभाव था। यद्यपि 1884 से जब देश में 'कृषि विभाग' स्थापित किया गया था एवं समय-समय पर ब्रिटिष शासकों द्वारा भी कृषि के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति की बात की गयी परन्तु उसका कोई विषेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ।

सन्-1948 में अलबर्ट मेयर के नेतृत्व में उत्तर-प्रदेश के इटावा जिले में एक अग्रगामी ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों में सामुदायिक भावना, स्वावलम्बन व आत्म विष्वास लागू की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया था। इसके साथ ही साथ कृषि विकास, ग्रामीण उद्योगों का विकास, कुओं, सड़कों, बगीचों, शिक्षा आदि के विकास के भी प्रयत्न किये गये थे। मद्रास में ग्रामीण विकास की एक योजना 'फिरका विकास कार्यक्रम' के नाम से 1946 में प्रारम्भ की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्योग व कृषि में सुधार तथा सांस्कृतिक विकास करना था। परन्तु ये जितने भी कार्यक्रम चलाये गये, अपने-अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णरूप से सफल नहीं हो सकते थे तथा उनका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत सीमित था। वास्तव में, ये कार्यक्रम ग्रामीण जीवन के किसी एक विषेष पहलू से सम्बन्धित थे। उनमें आपस में कोई तालमेल भी नहीं था।

ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम छठीं योजना अथवा उसके कुछ पहले से प्रारम्भ किये गये, वे सभी कृषि क्रियाओं में ही रोजनगार को तलाश करते हैं तथा उसी की उत्पादकता पर जनता की निर्भरता को बनाये रखना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यद्यपि औद्योगिक विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग रहा है। अनेक कृषि व लघु उद्योग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से ग्रामों में ही विकसित किये जा सकते हैं, क्योंकि वे पूर्णतया प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित उद्योग हैं। जैसे दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, तेल उद्योग, चटाई, रस्सी तथा दस्तकारी उद्योग, चीनी मिलें, फलों का डिब्बा बन्दी, अचार, मुरब्बे का उद्योग आदि ये सभी नगरों में स्थापित हैं जहाँ गाँव से कच्चा माल लाकर प्रयोग किया जाता है। इसको यदि ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाये तो उत्पादन लागत भी कम आयेगी तथा ग्रामीण आर्थिक विकास को बहुत बल प्राप्त होगा। वास्तव में, कृषि विकास के साथ यदि उद्योगों का विकास न

किया गया तो ग्रामीण विकास एकांगी बना रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाय। शहरों की समस्त सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जाय। इस प्रक्रिया को “रुखनाइजेशन” भी कह सकते हैं।

ग्रामीण विकास की उपर्युक्त संकल्पनात्मक व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक भू-दृष्टि में रूपान्तरण ‘ग्रामीण विकास’ कहा जा सकता है। एक तरह से यह ग्रामीण निवास्य का प्रत्यावर्तन है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और औद्योगिक संरचना का सकारात्मक रूपान्तरण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बात तो यह स्पष्ट ही हो जाती है कि ग्रामीण विकास जो कृषि विकास का पर्याय रहा है, केवाल कृषि विकास से सम्बन्ध नहीं है इसमें उद्योगों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण विकास हेतु कृषि एवम् कृषि से सम्बन्धित उद्योगों के विकास की महती आवश्यकता आनंद पड़ी है। निःसंदेह कृषि एवम् उद्योग आज एक दूसरे की कड़ी बन गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के विकास से संसाधन एवम् श्रम का पलायन रुक जायेगा, रोजगार में वृद्धि विकास प्रक्रिया में निरन्तरता पर निर्भरता को कम करेगी। इस प्रकार, अधिक उत्पादन, रोजगार में वृद्धि एवं आय के समान वितरण के साथ ही निर्बल वर्ग की उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता तथा न्याय-संगत वितरण ग्रामीण विकास का मूल उद्देश्य है, जिससे सामाजिक न्याय चारितार्थ हो सके।

सन्दर्भ—ग्रन्थ सूची

1. Sharma, S k.& Molhotra, S.L. (1977): Integrated Rural Development, Approches strategy and perspectives, Abhinav Pub. New Delhi, Page-30
2. Sundaram, K.V. & Mishra, R.P. (1980); Multi level planning and integrated rural development in India, New Delhi, Page-7.
3. Mishra, R.P. (1979); Rural Area development, Perspectives and Approches sterling publication, New Delhi.
4. Govt. of India, ; National Commission on Agriculture, Vol-II, Page-13
5. Isher J. Ahluwalia (1975); Inter-relation between Agriculture and industry, Indian Economic Journal, Conference Volume.
6. Banerjee, B.N. (1987) ; Industry, Agriculture and Rural Development R.B. Publishing, New Delhi, Page-65.
7. Sudhanshu, S.N.T. (1986); Industrial- I licensing policy and growth of industries in India, Deep And Deep Publication, New Delhi, Page-70.
8. Government of India, Report of the National Commission on agriculture (1976); Part-12, Page-189.
9. Agro-Industries in Maharashtra, Reserve Bank of India Bulletin Vol-22, No-10, Oct. 1969 ; Page-164.



प्रादेशिक विकास में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान

डॉ० लीलावती कुमारी *

एवं डॉ० जय शंकर सिंह **

कृषि की उत्पादकता में वृद्धि किए बिना औद्योगीकरण सम्भव नहीं है और औद्योगीकरण के अभाव में कृषि विकास एक मिथ्या सत्य है। आज के अग्रणी औद्योगिक देष भी किसी समय कृषि प्रधान देष थे। आर्थिक इतिहासकारों ने यह खोज निकाला है कि किस प्रकार प्रगतिशील तथा विकासशील कृषि ने निर्माणी उद्योगों की स्थापना और विकास का आधार प्रस्तुत किया है। **पी० कॉग चॉग** ने उद्योग एवम् कृषि की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी देष औद्योगिक दृष्टि से कितना ही उन्नतिशील क्यों न हो वह कृषि तथा उद्योगों के बीच एक वांछित सन्तुलन स्थापित किये बिना न तो अपनी आर्थिक क्रियाओं को जारी रख सकता है और न ही दीर्घकालीन विकास कर सकता है। 'औद्योगीकरण को प्रमुखतः विष्व के विभिन्न भागों में निर्धनों के जीवन स्तर तथा कार्य की दशा में सुधार करने के रूप में देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगीकरण को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों और विषेषकर कृषि के साथ घनिष्ठता से अन्तर्सम्बन्धित करना होगा।

प्रो० सुकरात ने भी कृषि व उद्योग को पूरक समझते हुए कहा कि 'जब खेती फलती-फूलती है, तब सभी धन्धे विकसित होते हैं किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धन्धे नष्ट हो जाते हैं।'

यह एक निर्विवाद सत्य है कि कृषि एक जीवन पद्धति है, एक जीवन दर्शन है। कृषि एवं उद्योग परस्पर निर्भर क्रियाएँ हैं। एक का विकास दूसरे के विकास स्तर से प्रभावित होता है। कच्चे पदार्थ एवम् अन्य आगतें कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर एवं औद्योगिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र की ओर आती हैं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जीवन निर्वाह पदार्थों की आपूर्ति करता है। कृषि एवम् कृषि आधारित उद्योग पूरकता को दर्शाते हैं। कृषि और उद्योग के बीच सहलग्नता का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है:-

1. कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र को खाद्यान्न पूर्ति होती है। इससे औद्योगिक श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कृषि क्षेत्र के लिए आपूर्ति होती है।
2. कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादक आगतों के लिए परस्पर निर्भरता होती है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थषास्त्र विभाग, उमा पाण्डेय कॉलेज, पुसा, समस्तीपुर, (बिहार)

** असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, माँ मंषा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरहनी-चन्दौली (उ० प्र०)

3. औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता वस्तु उत्पादनों के लिए कृषि क्षेत्र द्वारा माँग का सृजन होता है, और
4. कृषि क्षेत्र से अतिरेक सृजन ताकि उसे औद्योगिक विकास हेतु पूँजी निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सके।

आर्थिक विकास की उच्चतर दशायें प्राप्त होने पर दोनों क्षेत्र के मध्य परस्पर निर्भरता बढ़ती जाती है। भारत में भी हाल के वर्षों में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के बीच परस्पर निर्भरता अधिक हुई है और इसके बढ़ने की प्रवृत्ति है। कृषि क्रियाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से औद्योगिक उत्पादनों का कृषि क्षेत्र में समावेष अधिक होता जा रहा है और औद्योगिक क्रियाओं की विविधता बढ़ने से कृषि उत्पादों का औद्योगिक क्षेत्र में समावेष बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग अपने उत्पादन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न उद्योगों में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का यद्यपि एक भाग अन्तिम उपभोग के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का एक अंष अन्य उद्योगों एवं क्षेत्रों के लिए साधन बन जाता है। विभिन्न उद्योग व क्षेत्र परस्पर आश्रित होते हैं। अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र के द्वारा उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करके उत्पादन करता है। इसी प्रकार किसी एक क्षेत्र का उत्पादन अन्य अनेक क्षेत्रों में उत्पादन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है।

अनुकूल-पूँजी-उत्पाद अनुपात तथा उच्च रोजगार सम्भावनाओं की दृष्टि से विकासशील एवम् कृषि प्रधान देष के लिए कृषि एवम् कृषि आधारित उद्योगों का विषेष महत्व है। प्रायः यह समझा जाता है कि आधुनिक युग बड़े उद्योगों और भारी विनियोग वाले कल-कारखानों का युग है तथा ग्रामीण व कृषि उद्योगों का महत्व कम हो गया परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यदि गहनता से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि औद्योगिक युग में भी कृषि व कुटीर उद्योगों का महत्व कम नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र के विकास तथा गाँवों के सामाजिक उत्थान में इनकी बड़ी उपयोगिता है। इनमें अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बरोजगार व्यक्तियों को काम देकर जीविका प्रदान की जा सकती है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में इन उद्योगों ने अधिक कल्याणकारी भूमिका निभाई है जिसमें पूँजी-उत्पाद-अनुपात अधिक अनुकूल रहा है। क्योंकि ये देश पूँजी के अभाव वाले तथा श्रम बाहुल्य वाले देश रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।


कृषि आधारित उद्योगों की भारत के आर्थिक विकास में अहम् भूमिका है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास को तीव्र एवम् रक्षायी विकास की गति प्रदान करते हैं। कृषि जिसका योगदान राष्ट्रीय आय में 22 प्रतिष्ठत है तथ जिसमें कुल जनसंख्या का 64 प्रतिष्ठत भाग लगा हुआ है, वह केवल नगरीय लोगों के लिए न सिर्फ अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करती है, अपितु अकुपल श्रमिकों से अधिक उत्पादन भी करती है।²⁰

औद्योगिक विकास एवम् कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा ये दोनों आधारभूत स्तम्भ ग्रामीण क्षेत्रों का कायान्तरण करते हैं। कृषि आधुनिकीकरण के प्रयोग से ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उच्च होने के साथ-साथ क्रय क्षमता में भी वृद्धि होती है। अर्थात् कृषि के आधुनिकीकरण में ग्रामीण क्रयषक्ति निहित है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र को प्राथमिक अथवा द्वितीयक कार्यों के मध्य चयन ही नहीं करना है अपितु अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित विकास करना है। कृषि एवम् उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा प्राथमिक क्षेत्र में विकास होता है तो द्वितीयक क्षेत्र में सृजन की भूमिका तैयार होती है। परिणामतः औद्योगिक उत्पादन के लिए विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है और यह प्रक्रिया औद्योगिक विकास को जन्म देती है। यह आवश्यक है कि कृषि और उद्योगों का विकास इस तरह से साथ-साथ हो कि जहाँ एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हो, तो दूसरी ओर ग्रामीण संस्कृति एवम् परम्परायें भी संरक्षित हो।

फीडर अरनेस्ट ने कृषि उत्पाद, भण्डरण, प्रसंस्करण, वितरण तथा बाजार आदि प्रक्रियाओं को कृषि वाणिज्य की संज्ञा दी है। अपने देष में कृषि उद्योग को षिथिल वेग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक कर दिया गया है। यूनियन डेवलपमेन्ट कमीशन फारस्माल स्कैल इन्डस्ट्रीज ने कृषि उद्योग की लम्बी सूची प्रस्तुत की है। भारतीय योजना आयोग ने कृषि उद्योग के मानक निर्धारित किये हैं। आयोग के अनुसार वे उद्योग जो कृषि के उत्पाद को प्रसंस्कृत करते हैं तथा उत्पादन को बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, उनको प्रसंस्करण उद्योग की परिधि में सम्मिलित करते हैं। योजना आयोग तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने कृषि उद्योग को चार प्रमुख वर्गों में बाँटा है।

1. पशु एवं जलीय उत्पत्ति से सम्बन्धित उत्पाद।
2. प्राकृतिक एवं धात्तिक उत्पत्ति से सम्बन्धित उत्पाद।
3. प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा से सम्बन्धित उत्पाद।
4. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग में निवेष से सम्बन्धित उत्पाद।

विविध कृषि उत्पाद अपने मूल रूप में उपभोग योग्य नहीं होते हैं। प्रक्रिया करने के बाद ही उनका उपभोग किया जाता है। अनाजों की प्रक्रिया किया जाना भारत में आदिकाल से प्रचलन में है। निम्न लागत वाली परम्परागत प्रौद्योगिकी से सम्पूर्ण देष में, घरों में अनाजों की प्रक्रिया कर उपभोग योग्य बनाया जाता है। अनाज प्रक्रिया क्षेत्र में धान से चावल तैयार करना, गेहूँ और अन्य अनाजों से आटा तैयार करना, दलहन से दाल तैयार करना आदि मुख्य क्रियायें हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, सवां, काकुन मक्का आदि को प्रक्रिया करके उपभोग योग्य बनाया जाता है। देष के विभिन्न भागों में धान की मिलें हैं। धान मिलों के अधिक प्रसरण और उनकी सुगमतापूर्ण स्थापना के लिए राइस मिलिंग इन्डस्ट्रीज एक्ट, 1958 निरस्त कर दिया गया है। अब इसके लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं रह गयी है। धान मिलों की छोटी इकाईयाँ गाँव-गाँव में स्थापित की जा चुकी हैं। देष में प्रतिवर्ष 12.5 मिलियन गेहूँ के विभिन्न उत्पाद तैयार किये जाते हैं। देष में लगभग 820 बड़े आकार वाली आटा मिलें क्रियाशील हैं जिनकी स्थापित क्षमता 19.5 मिलियन टन है। प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख टन बेकरी उत्पाद तैयार किये जाते हैं। जौ के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों का चलन अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसी प्रकार बाजरा, सवां तिलहन आदि के प्रसंस्कृत नवीन उत्पाद बाजार में आने लगे हैं जिसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है।



कृषि उद्योगशतथा कृषि आधारित उद्योग में अन्तर :–

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कृषि उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योग में अन्तर इस प्रकार बताया है। ऐसे कारक जो अभिकल्प एवम् निर्माण में निवेष कर कृषि को मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें कृषि उद्योग कहा जाता है, और ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। नेशनल कॉउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च ने कृषि उद्योगों को ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किया है, जो या तो कृषिगत कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं अथवा उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कृषिकों के कृषि कार्य में प्रयोग किये जाते हैं। बहुत से ऐसे अर्थषास्त्री हैं जिन्होंने कृषि आधारित उद्योगों तथा कृषि उद्योगों में अन्तर सूक्ष्मता और वैज्ञानिकता से नहीं किया है। कृषि उद्योगों की निष्प्रित परिभाशा देना दुश्कर है, क्योंकि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अन्त में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर ही आश्रित होती है और कृषि ही अन्ततः सभी उद्योगों को पोशित करता है। इस द्वैतवाद के षब्द—जाल को और आधिक सार्थक बनाने के लिए आयोगों एवं अर्थषास्त्रियों द्वारा अनेक परिभाशाएँ की गयी हैं परन्तु ये परिभाशाएँ कृषि उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योग में अन्तर करने में सार्थक सिद्ध नहीं हुई। इसके बावजूद भी कृषि संभरण उद्योगों को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

4. कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाई (Agro Produce Processing Unit)

यह इकाईयाँ केवल कृषि उत्पाद को संसाधित करती हैं जैसे—राईस मिल, दाल मिल, तेल चक्की आदि।

2. कृषि उत्पाद निर्माण इकाई (Agro Produce Manufacturing Unit)

इकाईयाँ पूर्णतः कृषि उत्पाद का प्रयोग करके नये पदार्थों का निर्माण करती हैं जैसे चीनी मिल, बेकरी, सूती वस्त्र उद्योग आदि।

3. कृषि निवेष निर्माण इकाई (Agro Inputs Manufacturing Unit)

अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ आती हैं, जो सामानों का उत्पादन कृषि के यंत्रीकरण के लिए अथवा उत्पादकता की वृद्धि के लिए करती हैं जैसे—उर्वरक निर्माण इकाई, कीटनाशक निर्माण इकाई तथा कृषि यंत्र निर्माण इकाई आदि।


4. कृषि सेवा केन्द्र (Agro Service Centre)

प्रयुक्त होने वाले उपकरणों/यंत्रों आदि का मरम्मत करते हैं विषेश रूप से ट्रैक्टर, पम्पसेट, हारवेस्टर इत्यादि।

अग्रांकित चित्र-1.2 में दर्शाया गया है कि कृषि व उद्योग दोनों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की आय व रोजगार दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मौँग में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणोपरान्त ग्रामीण विकास होता है।

*कृषि आधारित उद्योग कृषि विकास का पर्याय है।

*कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण विकास के आधारभूत स्तम्भ है।



*राश्ट्रीय आर्थिक नीति कृषि आधारित उद्योगों के विकास में सहयोगी है।

*वर्तमान समय में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अब हो गया है।

*ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

*कृषि आधारित उद्योगों के विकास में आधारभूत सुविधाओं का होना परमावधक है।

*सामाजिक व नैतिक मूल्य ग्रामीण विकास के निर्धारक तत्व हैं।

*कृषि आधारित उद्योगों में ग्रामीण जनसंख्या के नियोजन की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

- 1- Madan, G.R&S. Gupta (1968): Rural social structure and agriculture development: A Comprative study of true villages in U.P, Bulletin of Anthropological survey of India, Page-72.
- 2- Mishra, R.P. (1978); Regional planning and National development, Vikash publication, New Delhi.
- 3- Sen, L.K. (1971); Planning rural Growth centres for integrated Area development: A study in miralguda talleka National Instute of community Development, Hyderabad.
- 4- Govt. of India, National Commission on Agriculture, Part-II, Page-7
- 5- Kavi Mandan, V. (1978); Role of Agro-Industries in Rural development of Andhra Pradesh (Un Published), Nagpur University, Page-2.
- 6- Chandra, A.k. (1965); “Agro-Industries for welfare of weaker sections” Khadi Gramodyog, Vol-12, Page-65.
- 7- Shetti, M.C. (1963); “Small scale and household Industries in a developing economy” Asia Publishing house, Bombay, Page-9.
- 8- Venkaiah, V. (1987); Impact of Agro-Based Industries on Rural economy. Himalaya publishing house, Bombay, Page-22
- 9- Ramaswami, A.S. (1969); “Rationale of Agro-Industrial Integration in India”. Khadi Gramodyog, Vol-15, Page-817.
- 10- Ahmed, M, “Growth Pattern of Agro-based Industries in Uttar Pradesh”.
- 11- योजना, 31 अक्टूबर 2002, प्रकाषन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12- आर० के गोविल तथा बी० बी० त्रिपाठी (1990), स्वतंत्र भारत में कृषि विकास, अभ्युदय प्रकाषन, इलाहाबाद, पृष्ठ-121–122,
- 13- श्रीधर मिश्र (1962), इण्डिया नीड्स ए स्ट्रॉग रुरलबेस रुरल इण्डिया, बम्बई, नवम्बर–दिसम्बर–1962
14. पी०आर० क्रासन (1964), कैपिटल आउटपुट रेषियोज एण्ड डेवलपमेन्ट प्लानिंग वार्षिंगटन डी०सी०



पर्यावरण प्रदूषण एवं आविषी रसायन के कारण स्वास्थ्य

समस्याएँ

डॉ० दिलीप शुक्ल*

प्रस्तावना : इस शोध पत्र में हम अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं तथा स्वस्थ एवं सतत निर्वाहक पर्यावरण के निर्माण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। विगत दशकों में निम्नीकृत पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। विषय चिंतनीय एवं गंभीर है। पिछली शताब्दी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबर्दस्त तरक्की हुई है एवं आर्थिक प्रगति भी, परन्तु फिर भी निर्वाहशील स्वस्थ पर्यावरण नहीं बन पाया। स्पष्ट है कि प्राचीन आधुनिक दोनों ही प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विविध पहलुओं से जुड़ी है। हम मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बीच के सम्मिश्र संबंध की चर्चा करेंगे तथा उन क्षतियों के उदाहरण देंगे जो परिवर्तित पर्यावरण से उत्पन्न हुई है और वह मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार सतत खतरा बनी हुई है। उन स्वास्थ्य—संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान रखना है जो वायु, जल तथा मृदा में छोड़े जाने वाले विभिन्न प्रदूषकों के कारण पैदा होती है और ये प्रदूषक औद्योगिक नगरों तथा महानगरों के लिए प्रमुख खतरा है। उन भीषण स्वास्थ्य खतरों की भी चर्चा करेंगे जो विकास के क्रिया—कलापों से उत्पन्न हुई है और ये ऐसे क्रिया—कलाप हैं जो राष्ट्र की प्रगति एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने ही हैं क्योंकि उनके बिना गुज़ारा ही नहीं। परिवर्तित पर्यावरण के कारण स्वास्थ्य पर सर्वाधिक क्षतिकारक प्रभाव तब नजर में आते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। इसमें विकिरणों एवं बिना परखी औषधियों से होने वाले प्रभाव भी शामिल हैं। मानवता के लिए कई अन्य चीजें भी खतरा बनी हुई हैं जैसे पीड़कनाशी का व्यापक पैमाने पर उपयोग, रसायन फैक्ट्रियों में दुर्घटनाएँ होना तथा उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ। यदि इस प्रकार के क्रिया—कलापों में निहित खतरों का ठीक से मूल्यांकन कर लिया जाए तो लोगों के स्वास्थ्य को संभवतः सुरक्षित किया जा सकता है।

आविषी रसायन तथा स्वास्थ्य : आविषी का संदर्भ उन पदार्थों से है जिनसे मनुष्यों एवं अन्य जीवों में हानिकर प्रतिक्रिया होती है। उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के आविषी रसायन बाहर हवा, जल और भोजन में पहुंचते रहे हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले कि हम विभिन्न आविषी रसायनों के प्रभावों को ले उससे पहले ये समझे कि आविष हमारे शरीर में किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करता है। जीवों पर आविषों के शरीर क्रियात्मक प्रभाव दो प्रकार के हो सकते हैं— तीव्र प्रभाव एवं चिरकालिक प्रभाव। तीव्र प्रभाव अल्पकालिक होता है तथा आविष के हटने पर समाप्त हो जाता है। यह अक्सर तब होता है जब पीड़ित

*असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा (छां राम०लो० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या) ई—मेल— dileepshukla011@gmail.com

व्यक्ति पर उच्च सान्द्रता का आविष थोड़े ही समय के लिए उद्भासन होता है जैसे कि बहुत भीड़–भाड़ के यातायात में फंस जाने पर मोटरगाड़ियों से धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में होने पर सिर दर्द हो जाता है। इसका बहुचर्चित उदाहरण भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई दुर्घटना के दौरान पीड़कनाशी संयंत्र से उत्पन्न मीथाइल आइसोसाइनेट की असाधारण भारी मात्रा का प्रभाव है। इस विषैली गैस के तीव्र प्रभाव से लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दीर्घकालिक प्रभाव आविष किसी आविषी रसायन की थोड़ी सी भी मात्रा के उद्भासन के परिणामस्वरूप महीनों अथवा वर्षों के बाद प्रकट होते हैं और वे लम्बे अरसे तक चलते हैं जैसे धूम्रपान, तम्बाकू खाना, मदिरापान, चाय या कॉफी आदि की आदतों से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। किसी—किसी आविष से तीव्र एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रभाव पैदा हो सकते हैं। आविषी पदार्थ कोशिका के भीतर अणु स्तर पर अपना प्रभाव पैदा करते हैं। इससे शरीर के कार्य में कमी अथवा गड़बड़ी आ सकती है। कुछ आविषों से कुछ खास हार्मोनों का विमोचन इतनी मात्रा में चालू हो जाता है जिसका शरीर पर हानिकारक अथवा नष्टकारी प्रभाव हो सकता है। जब कभी कोई आविषी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तब उसका क्या प्रभाव होगा यह चार कारकों पर निर्भर करता है— (१) प्रवेश मार्ग,(२) पदार्थ की मात्रा,(३) व्यक्ति की सुग्राहिता तथा (४) योगवाहिता एवं विरोधिता।

प्रवेश मार्ग

आविषी पदार्थ का प्रवेश मार्ग कई प्रकार से हो सकता है— अंतःश्वास, अंतर्ग्रहण, तथा त्वचा द्वारा सीधा अवशोषण अथवा ,त्वचा में कटे स्थानों में से अवशोषण |अंतःश्वासित आविष अंतर्ग्रहीत आविष की अपेक्षा अधिक हानिकर होता है। अंतःश्वासित होने पर वह तुरंत रक्त में पहुंचता है तथा परिसंचरित होकर शरीर के कुछ जीवनावश्यक कार्यों में बांधा डालता है। कुछ विष जैसे कि सायनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के उद्भासन के कुछ ही सेकंडों में रक्त में पहुंच जाते हैं। ये संभाव्य विष है क्योंकि ये रक्त की आक्सीजन— वहन क्षमता में बांधा डालते हैं। धातुओं के धुंओं का अन्तर्लश्वासन उससे कहीं अधिक हानिकारक होता है जितना कि धातुओं का जल और आहार में अंतर्ग्रहण होता है।

पदार्थ— मात्रा

व्यक्ति पर आविषी रसायन का कितना प्रभाव होगा यह पदार्थ के सान्द्रता अथवा मात्रा पर एवं उद्भासन अवधि पर निर्भर होता है। पदार्थ की मात्रा एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि कुछ पदार्थ कम मात्रा में हानिकर नहीं होते मगर उच्चतर मात्राओं में आविषी प्रभाव प्रकट करते हैं। जिस मात्रा पर खतरा बाहर प्रकट होने लगता है उसे आरंभ सीमा(जीतमीवसक) मात्रा कहते हैं। यहां यह कहना आवश्यक है कि शरीर के लिए अनेक अनिवार्य तत्व जैसे कि ब्लडहॉप आदि एक निश्चित सान्द्रता—परास तक ही लाभ प्रदान करते हैं तथा उसके आगे वे बहुत खतरनाक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ फ्लोराइड के 1.5 चचड़ तक की सान्द्रता दंत—क्षय को कम करने एवं अस्थि—विकास में सहायक होता है, मगर 1.5 चचड़ से ऊपर के सान्द्रता स्तरों से दांतों का

कर्बुरण(उवजजसपदह) होने लगता है। फ्लोराइड के 4 जव 6 चचउ के सांन्द्रता से ऑस्टियोपोरोसिस का होना कम हो जाता है मगर इससे ज्यादा सांद्रता के कारण अस्थि-निर्माण अत्यधिक होने लगता है।

व्यक्ति की सुग्राहिता : आविष की एक ही पदार्थ— मात्रा अलग—अलग व्यक्ति के लिए उसकी अपनी सुग्राहिता के आधार पर अलग— अलग—अलग हो सकती है। एक ही अनुविशिष्ट पदार्थ— मात्रा हो सकता है कुछ लोगों के लिए हानिकर न हो लेकिन कुछ को प्रभावित कर सकती है।

योगवाहिता तथा विरोधिता : योगवाहिता (Synergism) का अर्थ है मिलकर काम करना अर्थात् दो रसायनों का संयोजित प्रभाव उन दोनों के अकेले—अकेले प्रभावों के सीधे जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। कुछ आविषी पदार्थों की क्रिया योगवाहितीय हो सकती है जिससे उनका प्रभाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जो लोग ऐस्बेस्टोस रेशों के संपर्क में आते हैं और साथ ही साथ धूम्रपान भी करते हैं उन्हें कैंसर का होना उन लोगों की अपेक्षा जो या तो केवल धूम्रपान ही करते हों या केवल रेशों से प्रभावित हों, कहीं ज्यादा होता है। एल्कोहल का सेवन भी तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब वे साथ—साथ प्रशांतको(जतंदुनपसप्रमते),ऐस्पिरिन, नींद की गोलियां आदि भी लेते हों क्योंकि तब उनसे योगवाहित प्रभाव पैदा होता है। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो रसायन एक—दूसरे के प्रभावों की काट भी कर देते हों तब इस परिघटना को विरोधिता(दजंहवदपेत) कहते हैं। स्वास्थ्य पर किसी एक आविष के प्रभाव के अध्ययन में ये दो परिघटनाएं समस्याएं उत्पन्न करती हैं क्योंकि एक समय में एक अकेले रसायन पर ही परीक्षण किए जाते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं : गायु,जल, मृदा एवं भोजन में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उनसे ऐसा पर्यावरण बन गया जो उद्भासित जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं कुशलता के लिए हानिकर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार आज विश्व की तमाम रोकी जा सकने वाली खराब स्वास्थ्य की 25 प्रतिशत समस्याएं हीन पर्यावरण गुणवत्ता के कारण है। प्रदूषित वायु, अपर्याप्त पेयजल,संदूषित भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता तथा भीड़—भाड़ का जीवन, रोगवाहको द्वारा उद्भासन तथा पीड़कनाशियो, उर्वरकों,भारी धातुओं आदि का उद्भासन खराब स्वास्थ्य के मुख्य कारक हैं। हैजा, मलेरिया,क्षय रोगी, HIV@AIDS जैसे रोग अब भी अनियंत्रित बने हुए हैं और आज इन सबके साथ जुड़ गयी हैं श्वसन संक्रमणों, कैंसर, हृदय रोग, दुर्घटना,क्षतियां आदि स्वास्थ्य समस्याएं। Centre for Science and Environment की रिपोर्ट के अनुसार जल—प्रदूषण के कारण भारत में हर वर्ष कम से कम 10 लाख लोग मरते हैं और इसी तरह वायु—प्रदूषण के कारण 50,000 से 1,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह सारी क्षति समस्त मानवता के लिए एक संसाधन हानि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारी ग्रामीण जनसंख्या को तीन मुख्य शत्रुओं का मुकाबला करना पड़ता है— गरीबी, घटिया पोषण, एवं परजीवी संग्रसन। इस पृष्ठभूमि के साथ शहरों में आने वाला गरीब प्रवासी में जीवन क्षमता निम्न स्तर की होती है और इस कारण औद्योगिक प्रदूषकों के हानिकर स्वास्थ्य प्रभावों के लिए अधिक सुग्राही होते हैं। अक्सर वे अपने साथ साथ अपने परिवार को भी

नहीं ला पाते। परिणामस्वरूप वे लोग धूम्रपान, मदिरापान, नशीली दवाओं एवं वेश्यावृत्ति के शिकार हो जाते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। वे घातक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। वास्तव में, कई कारक एक साथ मिलकर योगवाहिता के कारण ज्यादा खतरे वाले बन जाते हैं जबकि उनके अकेले-अकेले के उद्भासन से अपेक्षाकृत कम खतरे होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में जिन्दा बच गए 1,20,000 लोग अब भी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं जैसे कि स्थायी श्वसन रोग, आंखें खराब हो जाना, फेफड़ों, गुर्दों, पेशियों की हानि, जठरांत्र एवं जनन समस्याएं व प्रतिरक्षातंत्र तन्त्र की निम्न अनुक्रिया। कुछ स्त्रियों में रजोधर्म अनियमितताएं तथा स्वतरुजात गर्भपात होते पाए जा रहे हैं।

वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य : अधिकतर बड़े नगरों में शहरी वायु प्रदूषण की दशा ज्यादा खराब है जिसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण तथा बढ़ती जाती मोटरगाड़ियां। प्रदूषण नियंत्रण प्रभावों के बावजूद वायु की गुणवत्ता ख़तरनाक स्तरों तक पहुंच गई है और उसका कारण है अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निलंबित कणिकीय पदार्थ, ओजोन का घटता स्तर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा(लेड) आदि का निकलना। इन सबका सीधा अथवा परोक्ष संबंध जीवाशम ईंधनों के दहन से है। वायु प्रदूषण छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि बड़ों की अपेक्षा वे ज्यादा हवा का सांस लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी के मुताबिक विश्व में 14 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की संख्या जिनमें पुरानी खांसी की दशा हो जाती है लगभग 5 करोड़ प्रतिवर्ष है जो वायु प्रदूषण के कारण होती है। घरों के भीतर ठोस ईंधनों से निकले धुएं से बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण हो जाते, तथा तीव्र रोधक फेफड़ा रोग एवं फेफड़ा कैंसर हो जाते हैं। सीसे के उद्भासन से बच्चों में हृद-संवहनीय रोग तथा मंद-बुद्धि का होना। सीसायुक्त पेट्रोल सीसा रहित पेट्रोल से 10 गुना ज्यादा विषेला होता है तथा डीजल तो सीसायुक्त पेट्रोल से भी 10 गुना ज्यादा विषेला होता है। भारत में डीजल की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। प्लास्टिक के सामान तथा कूड़े-कचरे में मौजूद ख़तरनाक पदार्थों के जलानें से कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के आक्साइड एवं कणिकीय पदार्थ डाइऑक्सिन्स एवं फ्यूरैन्स निकलते हैं। डाइऑक्सिन तथा फ्यूरैन की प्रकृति कैंसरजनी होती है। EPA(Environment Protection Agency) का कहना है कि डाइऑक्सिनों का सूक्ष्म स्तरों पर भी कैंसर खतरा और स्वास्थ्य खतरा उससे कहीं ज्यादा है जितना पहले सोचा जाता था।

जल प्रदूषण तथा स्वास्थ्य : संपूर्ण विश्व में कुल मिलाकर एक अरब से ज्यादा लोग हैं जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है और लगभग दो अरब से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त नहीं है। इसके कारण हर वर्ष लगभग 30 लाख लोगों की मौत होती है और ये सब जल संबंधी रोगों से होती है। भारत में जल-संबंधित रोग एक प्रमुख समस्या है क्योंकि यहां की अधिसंख्य आबादी को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पा रहा है। अनेक क्षेत्रों में भूजल भी प्रदूषित है जिसका कारण है कि अन्य प्रदूषकों के अतिरिक्त आर्सेनिक, अधिक

फलोरीन तथा लौह के भू-भाग रिसाव के कारण प्राकृतिक संदूषण होता रहता है। जल-मल से प्रदूषित जल में विघटनशील जैविक पदार्थ एवं रोगजनक कारक मौजूद होते हैं। उधर औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट में आविषी रसायनों एवं भारी धातुओं का मिश्रण पाया जाता है। जल प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य खतरों की चर्चा करने में हम विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे—

- (1) रासायनिक कारक— पौलीफीनाइल्स, फीनाल्स, उर्वरक, पीड़कनाशी, सम्मिश्र कार्बनिक रसायन, भारी धातुएं, फलोराइड की अधिकता, लौह, आर्सेनिक आदि।
- (2) जैविकीय कारक— जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि एवं उनके अण्डे तथा अन्य परजीवी। मानव उनसे अनेक स्थितियों में तथा नानाविधि पथमार्गों से सम्पर्क— प्रभावित हो सकते हैं।

खाद्य संदूषण और स्वास्थ्य

उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक की यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों में जैविकीय अथवा रासायनिक संदूषण मिल जाते हैं। टाइफाइड, हैजे आदि के जीवाणु तथा कुछ कृतियों के अण्डे भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। पकाएं गये खाने को यदि यूं ही देर तक सामान्य तापमान पर छोड़ दिया जाए तो उसमें जीवाणुओं तथा कवकों के बीजाणुओं का आक्रमण हो जाता है। कुछ समय बाद उनसे आविषी पदार्थों का स्रवण होता है। कुछ स्रावित आविष ताप—अस्थिर (मिंज संइंपसम) होते हैं यानि यदि भोजन को पर्याप्त गर्म कर दिया जाए तो वे अहानिकर हो जाते हैं, मगर कुछ आविष ताप— प्रतिरोधी होते हैं। कुछ संक्रमणों को भोजन की ऊपरी दिखावट से नहीं पहचाना जा सकता, जैसे कि इवजनसपेड जो अक्सर जानलेवा होता है। इस संदर्भ में संभावित भोजन, जिनका आजकल बाजार में बड़ी तेज़ी में प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उनका संसाधन एवं पैकेजिंग के दौरान विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

मृदा प्रदूषण एवं स्वास्थ्य : किसी क्षेत्र में होने वाले मृदा प्रदूषण से वहाँ के तमाम निवासी प्रभावित होते हैं जिनमें पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु भी शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें प्रभावित क्षेत्रों में पक्षियों, जानवरों तथा मानवों में क्वचिं तथा एण्डोस्ट्फान एवं अन्य पीड़कनाशी रसायनों के ऊंचे स्तर पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि ख़तरनाक पीड़कनाशी खाद्य—श्रंखला में प्रवेश कर गए। मानव स्वास्थ्य पर पीड़कनाशियों का प्रभाव अत्यंत ही गंभीर होता है। पीड़कनाशियों के बढ़ाए गए स्तरों से उद्भासित होने पर तीव्र प्रभाव अपेक्षाकृत जल्दी हो जाते हैं। इनमें होने वाले हानिकर प्रभाव सिर दर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ाहट, और बेहोशी से लेकर तंत्रिका तंत्र में गंभीर गड़बड़ी एवं मृत्यु तक की हो सकती है। दीर्घकालिक प्रभावों में लम्बी बीमारियों जैसे कि कैंसर का हो जाना शामिल है।

सारांश : आज की सामने आती नयी नयी स्वास्थ्य समस्याएं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आने के कारण है। विकासशील विश्व की गरीब व मध्यमवर्गीय जनता आज भी बीते जमाने के संक्रामक रोगों से पीड़ित होती है। इस जनता पर उनकी अस्वास्थ्यकारी कार्य एवं जीवन दशाओं के अलावा वायु, जल, तथा भोजन के रासायनिक प्रदूषण का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चला है कि

वाहनों, ताप बिजली संयंत्रों, रासायनिक उद्योगों, अपशिष्ट का फेंका जाना अथवा खुले में उनको जलाए जाने से उद्भासित जनता में श्वसन समस्याएं हृदय वहनीय रोग बढ़े हैं। बीते समय के अनेक मामले जैसे कि मिनामाटा तथा इटाई-इकाई और डाइऑक्सिनों के शिकार हुए व्यक्ति, भोपाल गैस त्रासदी, डी०डी०टी०, एण्डोसल्फान, चर्नोबिल आपदा, परमाणु बमों आदि ऐसे संकेतक हैं जो देश के भीतर आने वाले समय में वायु, जल तथा मिट्टी के रासायनिक एवं रेडियोसक्रिय प्रदूषण में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। आजकल कैंसर जैसे जानलेवा रोग बढ़ते जा रहे हैं और उनका कारण है कैंसरजनी तथा आयननकारी विकिरणों का बढ़ना।

आज के समय में पानी का अभाव चिंताजनक है क्योंकि कोई भी जल पीने योग्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता जिसमें भूजल भी शामिल है। भारत में फ्लुओरोसिस तथा आर्सेनिक विषाक्तन एक गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि अशिक्षित लोगों का एक बहुत बड़ा अंश भूजल पर ही निर्भर है। शहरी निवासियों को प्रदूषण की समस्याओं से जूझने के अतिरिक्त व्यवहारपरक पर्यावरण एवं अत्यधिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तनाव के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं जैसे दमा, अल्सर, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन आदि। अंत में वैश्विक ऊष्मायन से जलवायु व्यवस्था बिगड़ रही है जिसके कारण विश्व में रोगों का प्रतिरूप बदल रहा है। पर्यावरण को अनुकूल बनाने की एवं स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बने रहने में ही हम सबकी भलाई है।

संदर्भ ग्रन्थ (Reference) –

1. Environmental Science & a global concern] by Cunningham and B-W-Saigo]W-E-Brown publishers-
2. Environmental Science] earth as a living planet] third edition] Daniel B-Botking and Edward A-Keller] John Willey and Sons] Inc-New York-
3. State of India's Environment] Edited by Anil Agarwal] Sunita Narain and Sarabani Sen-The Centre for Science and Environment publication] 1997-
4. The World Health Report 1999] ß Making a
5. difference ß A publication of World Health Organization-
6. The World Health Report] 2002] ß Reducing risks and promoting healthy life] WHO ß-

Non& biological particles and Health-Report of committee on the medical effects of air pollutants-Dept-of Health] London] HMSO-



तुलसी साहित्य और हनुमान

डॉ० पद्मा सिंह*

भारत वर्ष का यह अनुपम सौभाग्य है कि भगवान के मंगलमय अनुग्रह से इस धरा पर विशिष्ट, वाल्मीकि, व्यास, नारद, उद्धव, भरत, शवरी, मीरा आदि अनेक ऋषि, संत एवं भक्त जन अनन्त काल से ज्ञान एवं भक्ति की पावन गंगा बहाते रहे हैं। ऐसे ही महान विभूतियों में भारतीय संस्कृति के प्राण, भक्ति शिरोमणि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का एक विशिष्ट स्थान है। बन्दर जैसी साधारण योनि में जन्म लेकर अपने अनुकरणीय गुण, आचरण एवं भावों द्वारा हनुमान जी महाराज ने प्राणि मात्र का जो परम हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे भूतल बासी युग युगान्तर तक उत्तरण नहीं हो सकते। भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य-भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? समस्त भारत में अज्जनी नन्दन पवन तनय श्री हनुमान जी का महत्त्व पूजा एवं उपासना की दृष्टि से अप्रतिम है। श्री हनुमान जी के उपासक, पूजक न केवल सनातन धर्मावलम्बी ही हैं, अपितु अन्य मतावलम्बी भी हैं।

भारत का अशिक्षित हिन्दू भी जानता है कि ईश्वर एक ही है। वही विभिन्न रूपों में अवतरित होता है और विभिन्न रूपों में उसी एक की उपासना होती है। फिर भारत में बहुसंख्यक देवी-देवताओं की पूजा होती है और इसी से प्ररित होकर विदेशी तथा अन्य धर्मावलम्बी ऐसा समझ लेते हैं कि हिन्दू धर्म में ईश्वर भी अनेक हैं। वस्तुतः सहस्रों देवता एक ही ब्रह्म की सहस्रों शक्तियाँ हैं, उनमें से उनको जो अच्छा लगे, जो अनुकूल पढ़े, उनको याद करें, भजें, हजारों देवता एक ही सच्चिदानन्द की हजारों भुजाओं के समान हैं। उन भुजाओं से भगवान हमें अपने वक्षः रथल से लगा लेते हैं— यदि हमें प्रेम, भक्ति और सच्चाई हो। भारत में यह एक मान्यता व्याप्त है कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम चन्द्र के अवतार का आश्वासन पाकर सभी देवता बानर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और जी में भरोसा आ गया।

निज लोकहि विरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाई।

बानर तनु धरि-धरि महि हरि पद सेवहु जाई ॥१८७॥ (रामचरित मानस)

*प्रवक्ता, एम.एन.बी. मेमोरियल महिला महाविधालय, बलिया, उठ प्र०

परन्तु राम चरित मानस में कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से देवता किस बानर रूप में अवतरित हुए। जाम्बवान् सम्भवतः वृहस्पति और नल-नील अश्विनी कुमारों के अवतार थे। हनुमान जी को तो शंकर का अवतार माना जाता है। भले ही गोस्वामी तुलसी दास जी ने स्पष्ट नहीं लिखा कि स्वयं साक्षातं शिव ही बानर देह में अवतरित हुए थे, परन्तु लगता है कि यह बात उनके मन में सदा बनी रही।

भगवान् श्री रामचन्द्र और हनुमान जी के प्रथम भेट का वर्णन किञ्चिन्धाकाण्ड में है। रिष्मूक पर्वत पर बालि के भय से सुग्रीव रहता था, जब सुग्रीव ने दो नर युगवों को आते देखा और उन्हें सन्देह हुआ कि बालि के भेजे हुए शत्रु आ रहे हैं, तब सुग्रीव अत्यन्त गम्भीर होकर बोले—

अति समीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ।
धरि बहु रूप देखु ते जाई । कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥

हे हनुमान! सुनो ये दोनों पुरुष बल एवं रूप के निधान हैं, तुम ब्रह्मचारी रूप धारण करके जाकर देखो। इस समय हनुमान जी एवं श्री राम जी का प्रथम भेट है, ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी एवं राम जी के बीच संवाद प्रारम्भ हो गया, थोड़े से संवाद के पश्चात हनुमान जी भगवान् श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं और इस सुख का अनुभव करते हैं—

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाई नहीं बरना ॥

इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं। जहाँ—कहीं श्री राम जी एवं हनुमान जी के स्नेहलाप का वर्णन है, वहाँ श्री हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं, स्वयं शंकर जी ने उस आनन्द का वर्णन भवानी से किया है। पुनः सुन्दर काण्ड में वर्णन आता है कि हनुमान जी सीता जी का सुधि लेकर आये हैं। श्री राम जी एवं हनुमान जी का वहां पर संवाद है। हनुमान जी ने कहा—

कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिवी जानकी ॥

राजीव लोचन श्री राम कृतज्ञता प्रदर्शित करके हनुमान जी को विचलित कर देते हैं। श्रीराम जी ने कहा—

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ।
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥

हद हो गई। परन्तु इतना ही नहीं, आगे कहते हैं—

सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं । देखेऊं करि विचार मन माही ॥
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥

परिणाम इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था—

सुनि प्रभुबचन बिलोकि मुख, गात हरषि हनुमंत।
चरन परेउ प्रेमा कुल, ब्राह्मि त्राहि भगवंत ॥

अब आगे सुनिये—

बार—बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तैहि उठब न भावा ॥

प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥

स्पष्ट है वह 'कर पंकज' स्वयं शंकर जी के शीश पर ही फेरा गया था। तब भला, वे क्यों नहीं उस सुख का स्मरण करके मग्न होते?

सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुन्दर ॥

हनुमान जी ने अपनी—प्रशस्ति के उत्तरों में इतना ही कहा—

सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभु ताई ॥
ता कहँ प्रभु कछु अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुकूल ।
तब प्रभावैं बड़वानलहि, जारि सकइ खलु तूल ॥
नाथ भगति अतिसुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥

अब कहिये। भगवान ने बरदान दिया हनुमान जी को और आशुतोष यह रहस्य किस आनन्द के साथ अन्नपूर्णा को बतला रहे हैं। वे आगे कहते हैं—

उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भनजु तजि भाव न आना ॥
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोई पावा ॥

यह है सदा शिव का निष्कर्ष, जो स्वयं अपने अनुभव पर आधारित है। एक संकेत लंका काण्ड में रावण—अंगद—संवाद में मिलता है। अंगद कहते हैं—

सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि।
कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारि ॥

अंगद जानते थे कि हनुमान जी क्या हैं?

गोस्वामी जी श्री राम के वाद सबसे अधिक श्री शंकर की ही भक्ति करते थे। हनुमान जी की स्तुति में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। काशी (वाराणसी) में संकट मोचन की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई है— ऐसा माना जाता है और इसके साथ ही सारे देश में हनुमान जी की पूजा का प्रचार हुआ। किसी अन्य वानर की पूजा का विधान नहीं है। वस्तुतः वह सदा शिव की ही पूजा है, जो देश भर में व्याप्त है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को जो प्रेम दान दिया, वह अन्य वानर नहीं प्राप्त कर सके। अयोध्या

मैं श्री राम का सानिध्य केवल हनुमान जी को ही प्राप्त हुआ। इस का कारण यह था कि भगवान् श्री राम का कोई भक्त शंकर के समान नहीं था। भगवान् ने स्वयं कहा है—

कोउ नहिं शिव समान प्रिय मोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥
जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बन्दि महा सुख होइ ॥
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होये सिद्धि साखी गौरीसा ॥

हनुमान जी की उपासना अकारण नहीं की जाती। श्री राम की भक्ति करने वाले हनुमान जी के भी भक्त हैं। इसका कारण यह है—

औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि।
संकट भजन विना नर भगति न पावई मोरि ॥

तुलसी दास जी द्वारा वर्णित हनुमान जी का चरित अत्यन्त उदात्त और पवित्र है। श्रीराम के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय, कोई परिग्रह नहीं है। श्री राम के कार्य के अतिरिक्त उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। श्री राम का प्रेम ही उनका साधन है। वही उनकी सिद्धि है। कहीं भी उनका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं दिखायी देता है। वे श्रीराममय हैं। स्वयं श्री राम ही उनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। सुप्रीव के समान उनका राज्य, पुत्र कलत्र आदि प्रपञ्च नहीं है। अपने बल का अभिमान तो क्या, उसका उन्हें बोध भी नहीं है। जब याद दिलाया जाता है तभी उन्हें उसका स्मरण होता है। उन्होंने भक्ति के चरम मापदण्ड को स्थापित किया है। अपने विषय में उन्होंने कहा है—

कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सवहीं विधि हीना ॥
प्रात लेई जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥
और भी साखा मृग के बड़ि मनुसाई। साखा ते साखा पर जाई ॥

गोस्वामी जी ने यह कहा है—

राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आग्या बिनु पैसारे ॥

उससे मुझे यह अर्थ दिखाई देता है कि बिना हनुमान जी का उदाहरण समझे श्री राम जी को नहीं पाया जा सकता। उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपने व्यक्तित्व का सर्वथा विलय करना होगा। अपने को सर्वथा श्री राम के चरणों में समर्पित करना होगा और अपने को उनका सर्वाङ्ग यन्त्र बना देना होगा। जब हम न होंगे तब केवल श्री राम होंगे। जब हमारा कार्य नहीं होगा, तभी श्री राम का कार्य होगा। जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा, तभी श्री राम की पूर्ण विजय होगी। श्री राम की पूर्ण विजय भक्त की पूर्ण विजय है। यह है हनुमान जी का दर्शन।

गोस्वामी जी की रचनाओं का स्थान हिन्दी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में सर्वोपरि है, जगत के साहित्य में निराला है। इसके बराबरी का ऐसा ही सर्वाङ्गसुन्दर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के रसों का सास्वादन कराने

वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिग्रत धर्म, आदर्श भ्रातृ धर्म के साथ—साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री—पुरुष, बालक—बृद्ध और युवा—सबके लिए समान उपयोगी और सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला. तथा उनके गुण, प्रभाव रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्त्व को अत्यन्त सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिन्दी भाषा में नहीं है। कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने मन से (इच्छा से) गरीब—अमीर, शिक्षित—अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री—पुरुष, बालक—बृद्ध—सभी श्रेणी के लोग गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित ग्रन्थरत्न को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतने मन से किसी अन्य ग्रन्थ—साहित्य को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार लोगों में गोस्वामी जी के ग्रन्थ से हुआ है उतना कदाचित अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं हुआ।

गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित साहित्य (ग्रन्थ) आशीर्वादात्मक एवं ज्ञानवर्धक ग्रन्थ है। गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मन्त्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक, एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। गोस्वामी तुलसी दास जी वैभव की कीर्तन में श्री हनुमान जी जैसे परम भागवत की विरुदावली का वर्णन सहज सुलभ है। हनुमान जी की वन्दना करते हुए श्री तुलसी दास जी ने ‘विनय पत्रिका में कहा है कि – विदुष बनरत वेद विमल बानी। गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी! आप बन्धनों से छुड़ाने वाले हैं। आपका ऐसा यश वेद शास्त्र गाते हैं – वन्दिष्ठोर विरुदावली निगमागम गाई। भगवान शिव के वानराकार–विग्रह श्री हनुमान की प्रशस्ति है – जयति मंगलागार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी। गोस्वामी तुलसी दास जी की वाणी है कि श्री हनुमान जी वेद–विदित हैं। उन्होंने हनुमान में लिखा है— बाँकी विरुदावली विदिन वेद गाइअत। हनुमान जी के सम्बन्ध में वेदरूपी वन्दी जन कहते हैं कि आप पूरी प्रतिज्ञा वाले हैं – वेद–बंदी बदल पैज पूरो। गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं—

पाँछे पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥

सबसे पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अँगुठी उतार कर दी। हनुमान जी ने अपना जीवन सफल समझा और कृपा निधान श्री राम जी को हृदय में धारण करके सीता जी को खोज में लग गये। सभी वानरों को व्यास लगी तो वे हनुमान से कहते हैं। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा—पृथ्वी के अन्दर एक गुफा में एक आश्चर्य दिखाई दिया बगुला, कबुतर, हंस आदि पंक्षी उड़ रहे थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ जल निश्चित ही होगा। वे पर्वत से नीचे उतर आते हैं तथा सभी को गुफा में ले जाते हैं—

गिरि ते उतरि पवन सुत आवा। सब कहुँ लै सोई बिवर देखावा ॥
आगे के हनुमंतहि लीन्हा। पैहे विबर बिलंबुन कीन्हा ॥

हनुमान जी ने आगे जाकर एक उत्तम उपवन और तालाब देखा। तालाब में सभी ने पानी पिया तथा सुन्दर फल खाये। फिर हनुमान जी सीता के खोज में लग गये।

हनुमान जी का स्वरूप चिन्मय अथवा दिव्य है। हनुमान जी विज्ञान स्वरूप हैं। उनके रूप गुण और चरित्र यद्यपि वेदों में वर्णित है, तथापि विज्ञान स्वरूप होने के कारण वे अरुप है, अप्रत्यक्ष हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता राम गुण ग्राम के पुण्यारण्य में विहार करने वाले कपिश्वर श्री हनुमान जी को विशुद्ध विज्ञान—सम्पूर्ण चिन्मय स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसी दास द्वारा मंगल श्लोक में हनुमान जी की वन्दना चिन्मय दिव्य तथ्य (विज्ञान) की परिचायिका है।

**सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणी
वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ ॥**

श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान सम्पन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वन्दना करता हूँ।

गोस्वामी तुलसी दास जी श्री राम के लीला का वर्णन करते हैं, इसलिए उनके द्वारा श्री राम भक्त हनुमान जी के चरित्र का भी चित्रण किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। श्री हनुमान जी की लीला अपार है। हनुमान जी का चरित्र चित्रण कर पाना किसी के लिए सम्भव नहीं है। हनुमान जी के परब्रह्म तो श्री राम जी हैं। प्रभु की सेवा में उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित निरूपित किया गया है। वानर रूप में अवतरित देवताओं द्वारा की गई अपनी सेवा के प्रति श्री राम जी ने कृतज्ञता प्रकट की है। उसमें हनुमान जी के यश पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।

वानर रूप में अवतरित सत्य संकल्प देवता मेरी सेवा करने की इच्छा करते हैं। ये हृदय के बड़े सरस हैं। हनुमान जी पूर्ण भक्त के रूप में शोभित हैं। श्री राम जी कहते हैं कि जनक नन्दिनी सीता जी की खोज में ये चारों ओर समस्त दिशाओं में जाते हैं। इन वानर रूप देवता से बढ़कर दूसरा कोई भी मेरे लिए सुख दाता नहीं है। मेरा मनोरथ इन वानर रूपी देवताओं से पूर्ण हुआ है। गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं—

**अतुलित बल धामं हेमशैलाभदेहं
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुण निधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥**

अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कान्ति युक्त शरीर वाले, दैन्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ।

सन्दर्भ

गोस्वामी तुलसीदास – रामचरित मानस
गोस्वामी तुलसीदास – हनुमान चालीसा
गुगल – विकिपीडिया
श्री राम मेहरोत्रा – तुलसी के हनुमान
शिवनन्दन सहाय – गौस्वामी तुलसीदास



पर्यावरण संरक्षण एवं कानून

अमित कुमार सिंह*

पर्यावरण (अर्थात्) वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ सम्बन्धित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में हवा, जल, भूमि, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि का समावेश होता है। प्रारम्भ से ही मानव जाति स्थानीय से वैश्विक स्तर तक प्रकृति के साथ सम्यक् संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर मनुष्य के बढ़ते लालच का परिणाम संपूर्ण ब्रह्माण्ड के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरे बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं और मनुष्य इस विषय के लिए विवश हुआ है कि वह पर्यावरणीय समस्याओं को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना सीखे जिससे हम भविष्योन्मुखी और समग्र दृष्टिकोण को अपना सकें और भावी पीड़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण छोड़ सकें।

धरती पर जीवन के लालन–पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हमारा पर्यावरण दिन–प्रतिदिन मानव निर्मित तकनीकी आविष्कार और आधुनिकीकरण के वजह से नष्ट होता जा रहा है इसीलिए आज हम पर्यावरण प्रदूषण जैसे सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। यह किसी समुदाय या शहर की समस्या नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण संसार की समस्या है और इस समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने से नहीं होगा, बल्कि सम्पूर्ण संसार के लोगों और सरकार को सोचना होगा। यदि इसका निवारण सम्पूर्ण तरीके से नहीं किया गया तो एक दिन जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रत्येक आम नागरिक को सरकार द्वारा आयोजित पर्यावरण आन्दोलन में शामिल होना होगा। हम सभी को अपनी गलती में सुधार करना होगा और स्वार्थपरता त्यागकर पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित और स्वस्थ करना होगा।

आधुनिक समय में मानव जीवन में हो रहे बदलाव के कारण मनुष्य पर्यावरण संतुलन को बिगड़ रहा है जिससे परिवेश में कार्बन डाई आक्साइड (CO_2), कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फरडाई आक्साइड, वर्ज्य पदार्थ, पालिथीन, प्लस्टिक,

*एम०ए० (भूगोल), बी०ए०,नेट

औद्योगिक, अपशिष्ट, पेट्रोरसायन, औद्योगिक रसायन, चिकित्सकीय अपशिष्ट तथा पशुवध अवशिष्ट दिन—प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिससे पर्यावरण असंतुलन में वृद्धि हो रही है। शहरीकरण के कारण बड़े-बड़े कारखाने हमारे पूरे पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं।

अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत गंभीर होकर सोचें। सभी राज्यों में शासन, प्रशासन, NGO और पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण उपाय किये जायें और जागरूकता अभियान भी चलाये जायें।

पर्यावरण संरक्षण में युवाओं, महिलाओं, सरकार, संस्थाओं, NGO, की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधनों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार और बेहतरी के लिए कड़े प्रयास किये गये हैं प्रारम्भिक काल में हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 1972 ई0 में स्टॉकहोम में यूएनओ0 की मानवीय पर्यावरण से सम्बंधित कानफ्रेस के पश्चात् भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है और उसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में 42वाँ संशोधन, पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है। “यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन जैसी प्राकृतिक सम्पदा सम्मिलित हैं, का संरक्षण करे और जीवित प्राणियों के लिए मन में करुणा रखे।”

पर्यावरण के संरक्षण और बेहतरी के लिए केन्द्र द्वारा प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया गया है जिसे राजकीय नीति-निर्देश आधार का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 48ए स्पष्ट करता है “यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करें बल्कि देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे।”

भारत में सन् 1980 ई0 देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। यही विभाग आगे चलकर सन् 1985 ई0 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन व लागू करण है। भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात् पर्यावरण संरक्षण कानून (Environment Protection Act, EPA) सन् 1986 में तैयार होकर सामने आया।

पर्यावरण के सभी घटकों में, वायु और जल सभी जीव-जन्तुओं की उत्तर-जीविता के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए उनको अवक्रमित होने से बचाने के लिए निम्न कानूनों को पारित किया गया है।

1. जल प्रदूषण के बचाव व नियन्त्रण कानून (1974), संशोधन 1988
2. वायु प्रदूषण के बचाव व नियन्त्रण कानून (1981), संविधान संशोधन 1987
3. पर्यावरण संबंधी कानून व नियम (1986)
4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
5. जैव विविधता अधिनियम, 2000

संदर्भ :-

1. भारत में पर्यावरण के मुद्दे (एक संकलन), महेश रंग राजन
2. पर्यावरणीय पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता (कल एवं आज में फर्क), रवि पी० अग्रहरि
3. सूरज और हमारा पर्यावरण, मिहिर रंजन दत्त मजुमदार
4. पर्यावरण विधि, डॉ० जय जय राम उपाध्याय
5. भूगोल व पर्यावरण, ए०बी० सवदी सर, निराली प्रकाशन
6. पर्यावरण अध्ययन, अनुभा कौशिक व सी०पी० कैशिक
7. पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, पी०सी० मिश्रा
8. पर्यावरण भूगोल, डॉ० सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
9. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी—एन०सी०ई०आर०टी०, महेश कुमार वर्णवाल व शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी
10. पर्यावरण संरक्षण, विकिपीडिया



भारत विभाजन की वास्तविकता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० ऋषिकेश सिंह *

सारांश :- प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के विभाजन के लिये उत्तरदायी वास्तविक कारणों की विवेचना का प्रयास किया गया है। ज्यादातर सामान्य जन और विद्वान् इसका मुख्य कारण मुस्लिम साम्राज्यिकता को मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो भारत के विभाजन के लिये हिन्दू साम्राज्यिकता की चर्चा करते हैं। लेकिन यह विषय तब और गम्भीर हो जाता है जब यह कहा जाने लगता है कि यदि गांधी, नेहरू और पटेल ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशें मान ली होती तो कमज़ोर केन्द्र के साथ देश की अखण्डता बची रहती। अन्ततः प्रस्तुत शोध पत्र में जिन्ना की सत्तालोलुपता भरी जिद ही भारत के विभाजन के लिये वास्तविक रूप से उत्तरदायी लगती है।

चूंकि भारत को अंग्रेजों ने मुसलमानों से लिया है इसलिये भारत की स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेज सरकार को सत्ता मुसलमानों के ही हाथ में देनी चाहिए। आखिर अंग्रेजी साम्राज्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य का ही अन्त करके स्थापित हुआ था इसलिये भारत की स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेज सरकार को सत्ता मुसलमानों के ही हाथ में देनी चाहिए। इस तरह की शुरुआती बातों का अन्तिम दुष्प्रभाव यह रहा कि भारत स्वतन्त्र तो हुआ परन्तु वह पूर्ण भारत के रूप में नहीं, वरन् विभाजित भारत के रूप में स्वतन्त्र हुआ। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ होगा तो इसका मुख्य कारण हम उस मुस्लिम साम्राज्यिकता को पाते हैं, जिसे अंग्रेजों ने स्वयं भारतीय स्वतन्त्रता के मार्ग की एक बाधा के रूप में खड़ा किया। सन् 1857 के विद्रोह के विषय में अंग्रेज सरकार का यह विचार रहा था कि इसके उकसाने वाले विशेष रूप से मुसलमान थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन के भारत में स्थापित होने से मुसलमान साम्राज्य का ही अन्त हुआ था। ऐसी दशा में अंग्रेजों का दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति उस समय तक अच्छा नहीं था, इसके विपरीत हिन्दुओं के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण इतना बुरा नहीं था, क्योंकि हिन्दुओं ने उस समय तक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके व शासन के अनेक पदों पर काम करके अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दिया था, ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से मुसलमानों में से कुछ में अपने को प्रगतिशील बनाने की भावना का उदय हुआ तथा इस भावना के प्रतिनिधि के रूप में सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलीगढ़ में उन्होंने सन् 1877 में मुस्लिम एंग्लो-ओरियन्टल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल श्री बेक थे। कहा जाता है कि श्री बेक ने सर सैयद अहमद खाँ को समझाया कि अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय मुसलमानों के लिए उनसे मित्रतापूर्ण सहयोग करना अधिक अच्छा है। इसके परिणाम स्वरूप ही सन् 1877 ई. में लॉर्ड लिटन को सर सैयद अहमद खाँ ने मानपत्र भेंट किया।

ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की भावना का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सर सैयद अहमद खाँ व उनके नेतृत्व में उनके अनुयायी मुसलमान कांग्रेस की स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उदासीन रहे। सन् 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो सर सैयद ने मुसलमानों को उससे अलग रहने की सलाह दी। बाद में उन्होंने सन् 1887 में *एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, उ० प्र०

कांग्रेसके विरुद्ध मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की, जिसके अधिवेशन प्रायः उसी शहर और उसीं समय किए जाते थे, जिस शहर में जिस समय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे । सर सैयद अहमद खाँ ने कांग्रेस के कार्यों के विरोध में एक अन्य संस्था

की भी स्थापना की, जिसका नाम 'देश भक्त एसोसिएशन' रखा गया तथा उसके बाद 'मुस्लिम इंग्लॉ ओरियन्टल डिफेन्स एसोसिएशन' नामक अन्य संस्था की गई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के प्रति वफादारी की भावना उत्पन्न करना, ब्रिटिश सरकार की सहायता से मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना तथा ब्रिटिश शासन को शक्तिशाली बनाना था ।

फूट डालकर शासन करने की अपनी नीति के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने सन् 1905 में बंगाल—विभाजन किया, पूर्वी बंगाल को उसने मुस्लिम प्रान्त तथा पश्चिमी बंगाल को हिन्दू प्रान्त कहा और मुस्लिम बंगाल के मुसलमानों को वहाँ के हिन्दुओं के विरुद्ध भड़का कर वहाँ हिन्दू—मुस्लिम दंगे कराए। इसके बाद मॉर्ले—मिन्टों सुधारों के समय हिन्दू—मुस्लिम वैमनस्य को अखिल भारतीय बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय ने यह चाहा कि भारतीय शासन में मुसलमानों के महत्व को बढ़ाया जाए तथा उसके निजी सचिव श्री स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन प्रिन्सिपल 'आर्कवाल्ड' को लिखा कि— “आगामी सुधारों के विषय में यदि मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुसलमानों के अलग अधिकारों की माँग करे और इस हेतु वायसराय से मिले, तो वायसराय को इनसे मिलने की प्रसन्नता होगी।” परिणामस्वरूप आगा खाँ के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल 01 अक्टूबर, 1906 को वायसराय लॉर्ड मिण्टो से मिला और मुस्लिम हितों के प्रति ध्यान दिए जाने हेतु माँगे प्रस्तुत की गई जिनमें मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्र, शासन सम्बन्धी सुधारों के अन्तर्गत बनीं विधान परिषदों में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों में उनके लिए अधिक स्थान, मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में सरकारी सहायता एवं गवर्नर जनरल परिषद् में भारतीयों के नियुक्त किए जाने में मुस्लिम हितों के प्रति ध्यान दिया जाए उल्लेखनीय हैं। उत्तर में वायसराय लॉर्ड मिण्टो ने प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया कि— “नगरपालिका, जिला परिषद् या व्यवस्थापिका सभा जिस किसी में भी चुनाव के सिद्धान्त लागू करने की योजना होगी, उसमें मुस्लिमों को जातीय प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।” वायसराय ने प्रतिनिधि मण्डल से यह भी कहा—“तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मुसलमानों के अलग चुनाव क्षेत्र बनाए जाए, क्योंकि थोड़ी संख्या में होने के कारण तुम्हारी जाति के प्रत्याशियों को बहुसंख्यक हिन्दू जाति के सामने जीतने की कोई आशा नहीं हो सकती और तुम्हारी स्थिति को तुम्हारी संख्या के आधार पर न देखा जाए। वरन् उसे तुम्हारी जाति के राजनीतिक महत्व व उसके द्वारा की गई साम्राज्य की सेवाओं के आधार पर देखा जाए।” यह ऐसी घटना थी, जिसने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में एक ऐसी दरार डाल दी। जो विशुद्ध राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थकों द्वारा अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी बन्द न की जा सकी और उसके परिणाम स्वरूप अन्त में भारत का विभाजन ही हुआ। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी एक अलग संस्था बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की तथा इसके द्वारा निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए—

- भारतीय—मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति भाव का संचार करना
- भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं व भावनाओं को समर्पात को प्रस्तुत करना
- उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित करते हुए देश की अन्य जातियों के साथ मित्रता की भावना उत्पन्न करना.

सन् 1908 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में भी विधानमण्डलों में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने उन्हें सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने और प्रिवी काउंसिल में यदि कोई हिन्दू नियुक्त किया जाए. तो एक मुसलमान के नियुक्त किए जाने की माँग की गई. ये ही माँगें लीग के 1909 व 1910 के अधिवेशनों में दोहराई गई।

इस प्रकार एक विशुद्ध साम्रादायिक संस्था के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किन्तु अपने उस स्वरूप में उसको सभी पढ़े-लिखे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त न हो सका, उदाहरणार्थ मुहम्मद अली जिन्ना (जो प्रारम्भ में लीग नीति के कट्टर विरोधी थे) किन्तु बाद में पाकिस्तान के जनक बने। नवाब सैयद मोहम्मद, मौलाना मुहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद आदि उसके साम्रादायिक रूप से समर्थन से ही अलग नहीं रहे, अपितु उन्होंने उसका विरोध भी किया। सन् 1910 के कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलवी उजार उल हक ने उसका समर्थन किया, जिसमें मुसलमानों के लिए साम्रादायिक प्रतिनिधित्व को हिन्दूओं व मुसलमानों दोनों के लिए हानिकारक बताया गया तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। मौलाना मुहम्मद अली के दिल्ली से निकलने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद के कलकत्ते से निकलने वाले 'अल हिलाल' नामक पत्रों द्वारा लीग के साम्रादायिक स्वरूप की कड़ी आलोचना की गई और मुसलमानों को राष्ट्रीयता की दिशा में प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय मुसलमानों ने मुसलमानों की एक राष्ट्रीय संस्था 'जीमयत उल-उलमाएं हिन्द' की स्थापना की, इस प्रकार इन नेताओं ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ आने के लिए व उसके विधान को प्रगतिशील तथा राष्ट्रीय आधार पर बनाने के लिए विवश कर दिया और फलस्वरूप सन् 1931 में इनके विधान में लीग का उद्देश्य था—

- सप्राद के प्रति भारतीयों की राजभक्ति बनाए रखना तथा उनके अन्य अधिकारी की रक्षा करना.
- भारत की अन्य जातियों और संस्थाओं में से मेलजोल तथा मित्रता स्थापित करना.
- साम्रादायिक सहयोग तथा लोकमत जाग्रत कर वैध आन्दोलन द्वारा भारत के लिए उपयुक्त स्वराज्य प्राप्त करना.

मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में उक्त परिवर्तन हो जाने के कारण लीग कांग्रेस के समीप आने लगी। विश्व युद्ध के समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी लीग को कांग्रेस के निकट लाने का काम किया, क्योंकि संसार भर के मुसलमानों के खलीफा माने जाने वाले टर्की के सुल्तान के उस युद्ध में अंग्रेज शत्रु थे और इस कारण भारत के मुसलमानों का द्वेष अंग्रेजों के प्रति एक-सा होने से विरोध के उद्देश्य से कांग्रेस व लीग में परस्पर सहयोग हुआ। परिणामस्वरूप, प्रथम महायुद्ध के समय जब सब राजनीतिक दलों ने युद्ध में सरकार की सहायता करने का निश्चय किया और सरकार ने शासन सुधारों की आशा दिलाई, तो सन् 1916 में कांग्रेस तथा लीग द्वारा शासन सुधार की एक संयुक्त योजना बनाई गई। कांग्रेस तथा लीग का समझौता हुआ, जिसके अनुसार कांग्रेस ने, जो अब तक पृथक् निर्वाचन का विरोध करती आर्यी थी, मुस्लिम लीग की पृथक् निर्वाचन की माँग स्वीकार कर ली तथा यह निश्चय किया कि प्रान्तों में अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसमें टर्की के खलीफा पद (खिलाफत) के समर्थन के प्रश्न पर भी कांग्रेस द्वारा लीग का साथ दिए जाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस द्वारा उस समय यह समझौता अंग्रेज सरकार से शासन सुधार प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा गया। आगामी मॉन्ट फोर्ड सुधारों की योजना में अंग्रेजी सरकार द्वारा उक्त साम्रादायिक समझौते की, जिसमें पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, यह कहकर आलोचना की गई कि वह लोकतंत्र के विरुद्ध है। फिर भी उसे अंग्रेज सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि

इसके द्वारा उन्हें हिन्दू-मुसलमानों में स्थायी फूट के बीज डालना था। कांग्रेस-लीग की शासन सुधार की योजना को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उसे मॉन्ट फोर्ड सुधारों में स्थान नहीं दिया।

सन् 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर इंगलैण्ड व टर्की की संधि के अनुसार टर्की के खलीफा को गदवी से उतार दिया गया। अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध एक खिलाफत आन्दोलन चला। नवम्बर 1919 में एक खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की और इस प्रश्न पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने का निर्णय हुआ। इस कारण कांग्रेस के निश्चयानुसार जब 1920 का असहयोग आन्दोलन चला, तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता का दौर रहा, यद्यपि मुसलमानों की ओर से संघर्ष का संचालन खिलाफत कमेटी ने किया, मुस्लिम लीग ने नहीं। राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों ने जब सरकारी प्रकोप के परिणामस्वरूप अनेक यातनाएं सहीं और जेल-यात्राएं कीं, तब लीग के प्रतिक्रियावादी जिन्ना जैसे व्यक्ति उससे पृथक् रहे।

असहयोग आन्दोलन के पश्चात् अंग्रेजों के प्रोत्साहन से, जो साम्राज्यिक झगड़े सर्वत्र हुए, उन्होंने फिर लीग के प्रतिक्रियावादी मुसलमानों को शक्तिशाली बना दिया। सन् 1921 से 1926 तक हिन्दू मुस्लिम दंगे इतने बढ़ कि हिन्दू मुसलमानों की एकता समाप्त प्रायः हो गई। इसी बीच हिन्दुओं के शुद्धि आन्दोलनों के कारण हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध और भी बिगड़ गए। सरकार की ओर से इन साम्राज्यिक दंगों को प्रोत्साहन ही मिला। सन् 1924 में महात्मा गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया और राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रयत्नों से एकता सम्मेलन हुआ, परन्तु यह स्थायी एकता स्थापित करने में असफल रहा।

सन् 1927 में जब साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, तो लीग ने उससे सहयोग किया, जबकि कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया था। अतः मुहम्मद शफी की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें मोहम्मद जफरुल्ला खाँ का कमीशन के स्वागत करने का प्रस्ताव पास किया गया। शफी साहब की लीग ने बाद में एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया तथा लीग के 'नेहरू रिपोर्ट' को अस्वीकार कराने में सफल हो गए। सरकार की ओर से साम्राज्यिकतावादियों को खूब बढ़ावा दिया गया तथा भारत मंत्री ने वायसराय को लिखा कि साइमन कमीशन भारत में हिन्दू-बहुल बहुसंख्यक कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग तथा अछूतों जैसे भारतीयों के अल्पसंख्यक वर्गों पर अधिक निर्भर रहे।

गोलमेज परिषदों में आगा खाँ के नेतृत्व में लीगी प्रतिनिधियों ने इंगलैण्ड के प्रतिक्रियावादी तत्वों से गठबन्धन किया और परिणाम यह हुआ कि सम्मेलनों में भावी शासन व्यवस्था के विषय में कोई समाधान न हो सकने के कारण पूर्व निश्चित योजना के अनुसार भारत के भाग्य का निर्णय अंग्रेजी सरकार पर छोड़ दिया गया। अन्त में, अंग्रेजी सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को सवा 33 प्रतिशत स्थान दिए जाएंगे। सिंध को एक अलग प्रान्त बनाने की मुसलमानों की माँग भी मान ली गई तथा साम्राज्यिक निर्णय द्वारा अन्य सभी अल्पसंख्यकों के स्थान निश्चित कर दिए और पृथक् निर्वाचनों की व्यवस्था भी कर दी गई।

ऐसी स्थिति में सन् 1935 के एकट के अर्तगत जब कांग्रेस ने प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाए, तो लीग ने उनके शासनों को ऐसे अत्याचारी हिन्दू राज्य की संज्ञा दी, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं था। परिणामस्वरूप जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दिए, तो लीग ने 'मुक्ति दिवस' मनाया और उनकी माँग एक पग और बढ़ गई। मुस्लिम लीग के नेता 'जिन्ना' ने खुलकर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का स्वर अलापना प्रारम्भ किया तथा लीग के सन् 1940 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'भारत की समस्या का स्वरूप अन्तर्जातीय नहीं है, अपितु स्पष्टतया वह अन्तर्राष्ट्रीय है.. यह एक स्वप्न है कि हिन्दू तथा मुसलमान कभी एक सम्मिलित राष्ट्र बन सकते हैं। ऐसे दो राष्ट्रों को

एक राज्य के अन्तर्गत एक जुए में चलाए जाने परिणामस्वरूप अवश्य ही असन्तोष बढ़ेगा और ऐसे किसी राज्य का जो ढाँचा बनेगा, वह नष्ट हो जाएगा।” राष्ट्रीय मुसलमानों की ओर से जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की आलोचना की गई, किन्तु सरकार इन सब बातों को क्यों सुनने वाली थी, जब इनसे उसे भारत की भूमि पर पैर जमाए रखने की सुविधा मिलती थी।

मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का विचार सर्वप्रथम ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ जैसा राष्ट्रीय गीत के रचयिता शायर सर मुहम्मद इकबाल के मरिताक्ष में आया, जिन्होंने 1930 के लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के समय तत्सम्बन्धी विचार व्यक्त किए। मुस्लिम प्रतिक्रियावादियों को यह विचार अत्यन्त अच्छा लगा और एक ऐसे राज्य की स्थापना, जहाँ वे अल्पसंख्यक न होकर बहुसंख्यक के रूप में शासनकर्ता हो सकें, उनकी राजनीति का विषय बन गया। गोलमेज परिषदों के समय कैम्ब्रिज के कुछ मुसलमान छात्रों द्वारा पाकिस्तान योजना के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें सिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रान्त और पंजाब को मिलाकर पाकिस्तान बनाने का सुझाव रखा गया, यद्यपि लीगी नेताओं ने उसे लड़कों की काल्पनिक एवं अव्यावहारिक योजना बताया। इसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अब्दुल लतीफ ने एक योजना रखी, जिसमें भारत को 15 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बाँटकर 4 मुसलमानों को देने का सुझाव रखा गया। सन् 1938 में सिन्ध मुस्लिम लीग के अधिवेशन पर मुस्लिम तथा हिन्दू प्रान्तों के अलग-अलग संघ बनाए जाने की माँग की गई। सन् 1940 में लीग के अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया और स्पष्टतः पाकिस्तान की माँग की गई। अगले ही वर्ष 1941 में मद्रास अधिवेशन में उक्त माँग को फिर दोहराया गया और मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में भी उसके अनुसार परिवर्तन कर लिया गया। सन् 1942 में क्रिप्स मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान स्वीकार करके मुसलमानों की उक्त माँग को और भी प्रोत्साहित किया।

मार्च 1944 में फिर एक बार इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि मुसलमानों के बहुमत वाले क्षेत्रों को एक स्वतंत्र राज्य में संगठित किया जाए, यद्यपि उस समय देश के विभाजन की कोई योजना नहीं रखी गई थी। मुस्लिम लीग के नेताओं के मरिताक्ष में चल रहे इस प्रकार के विचारों के परिणामस्वरूप पूर्ण भारत के शासन के रूप से सम्बन्धित जितनी योजनाएं इसके बाद प्रस्तुत हुईं, सब विफल हुईं। शिमला सम्मेलन इसलिए विफल हुआ कि लीग कांग्रेस द्वारा कार्यकारिणी में मुसलमानों को सम्मिलित नहीं करने देना चाहती थी। कैबिनेट मिशन योजना इसलिए असफल रही कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग पूरी नहीं होती थी।

कांग्रेस की अन्तरिम सरकार में प्रवेश को मुस्लिम लीग ने हिन्दू राज्य का अत्याचार कहा और उससे छुटकारा पाने के लिए 16 अगस्त, 1946 की ‘सीधी कार्यवाही’ प्रारम्भ की, जो साम्राज्यिक पागलपन के कारण निहत्थी हिन्दू जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के सिवाय और कुछ नहीं थी। कुछ दिनों के लिए कलकत्ता, नोआखली, पटना, लाहौर तथा कुछ अन्य स्थानों पर मुसलमान गुण्डों ने वे नीचता पूर्ण काण्ड किए जिनका उदाहरण उससे पूर्वकालीन भारतीय इतिहास में मिलना कठिन है।

साम्राज्यिक दंगों से परिपूर्ण वातावरण का और अधिक बना रहना अंग्रेजी सरकार द्वारा खतरे से खाली नहीं समझा गया। अतः उसकी ओर से घोषणा की गई कि जून 1948 से पहले भारतीय हाथों में पूर्ण उत्तरदायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह स्पष्ट देख लिया कि मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की जिद पर अड़ी हुई है, अतः उन्होंने 3 जून, 1947 को अंग्रेजी सरकार के परामर्श से भारत के विभाजन की घोषणा की और भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मूर्त रूप में आ गया।

सन्दर्भ

- वी० पट्टाभि सीता रमैया, कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास
- वी० एल० ग्रोवर और यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास
- पी० एल० गौतम, आधुनिक भारत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- डॉ० ए० के० मित्तल, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास
- डॉ० ऋषिकेश सिंह, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय गणतंत्र का संविधान
- डॉ० आर० के० सिंह, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान
- आयशा जलाल, जिन्ना द सोल स्पोक्सपर्सन





Dr. Rishikesh Singh

Editor in Chief

**INDIAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES & SOCIETIES**

Publisher

FLASH PUBLICATION

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)